लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

चतुर्थ माला
Fourth Series

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.51
Parliament Library

खंड 5, 1967 / 1889 (शक)
Volume (V), 1967/1889 (Saka)

[20 जून, 1967 से 3 जुलाई 1967 / 30 ज्येष्ठ 1889 से 12 आषाढ़ 1889 (शक)]
[June 20 to July 3, 1967/ Jyaistha 20 to Asatha 12, 1889 (Saka)]

दूसरा सत्र, 1967/1889 (शक)
Second Session, 1967/1889 (Saka)

(खण्ड 5 में अंक 21 से 30 तक हैं)
(Volume (V) contains Nos. 21 to 30)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 26 मंगलवार, 27 जून, 1967/6 आषाढ़, 1889 (शक)

No. 26 Tuesday, June 27, 1967/Asadha 6, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता. प्र. संख्या / S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ / Pages
751 बिहार में कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain in Bihar	3417
761 कृत्रिम वर्षा	Artificial Rain ...	3418–3421
752 सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में सिंचाई	Irrigation in Drought affected Areas ..	3421–3425
प्रश्न संख्या 753 के बारे में	Regarding Q. N. 753 ..	3424–3425
753 अपीजे शिपिंग कम्पनी	Apeejay Shipping Co.	3426–3431
754 बिहार में अकाल की घोषणा	Famine Declaration in Bihar	3432–3435

प्रश्नों के लिखित उत्तर / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS.

ता. प्र संख्या S. Q. No. 5		
755 राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न का आयात	Import of Foodgrains by State Governments	3436
756 पिछले आम चुनावों में जम्मू तथा काश्मीर में अनियमितताओं के आरोप	Charges of Irregularities in the last General Elections in J. &. K.	3436
757 पत्तनों पर जहाजों में लादने तथा जहाजों से उतारने में खाद्यान्न की बर्बादी	Wastage of Foodgrains while loading and unloading at Ports ...	3437
758 मध्य प्रदेश में गहन कृषि कार्यक्रम	Intensive Agriculture Programme in Madhya Pradesh ..	3437
759 कोचीन स्थित जहाज निर्माण कारखाना	Cochin Shipyard ..	3437–3438
760 चीनी के कारखानों का आधुनिकीकरण	Modernisation of Sugar Mills ..	3438

• किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

• The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd

762	वन शिक्षा निदेशालय	Forest Education ...	3438–3439
763	पाकिस्तान को गेहूं का चोरी छिपे ले जाया जाना	Wheat Smuggling to Pakistan	3439
764	हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए एक गेहूं क्षेत्र	One Wheat Zone for H. P. and Punjab ..	3439–3440
765	होटल	Hotels	3440
766	कलकत्ता से आसाम को गेहूं ले जाना	Transport of Wheat from Calcutta to Assam	3441
768	भारत में दूध तथा मक्खन के उत्पादन के बारे में खाद्य तथा कृषि संगठन का प्रतिवेदन	F. A. O's Report of Milk and Butter Production in India	3441
769	अमरीका से जहाजों में भेजा गया खाद्यान्न	Transhipment of Food from USA	3441–3442
770	अकाल	Famines	3442
771	बिहार को अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains to Bihar ..	3442–3443
772	मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्न का नियतन	Allotment of Foodgrains to Madhya Pradesh	3443–3444
773	निर्धनों को कानूनी सहायता	Legal Assistance to the poor ...	3444
774	चारे की कमी	Fodder Shortage	3444–3445
775	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	Indian Agricultural Research Institute ..	3445
776	मध्य प्रदेश में अनाज की कमी	Food Shortage in Madhya Pradesh.. ...	3446
777	चीनी निगम	Sugar Corporation	3446
778	स्वेज नहर बन्द होने से प्रभावित जहाज	Ships affected by closure of Suez Canal ...	3447
779	खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने का मानव स्वास्थ्य पर प्रभ	Effect of Insecticides used for food on human health	3447

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

780	गौ हत्या सम्बन्धी समिति	Committee on cow slaughter ... –	3447-3448

अतारांकित प्रश्न संख्या U.S.Q.No.

3660	खण्ड विकास अधिकारी के पद की समाप्ति	Abolition of the Posts of Block Development Officers	3448
3661	इण्डियन ला इन्स्टीट्यूट को सहाय्य / अनुदान	Aid/Grants to Indian Law Institute ..	3448-3449
3662	खाद्यान्नों के लिये परिवहन सुविधायें	Transport of Foodgrains	3449
3663	चावल मिल	Rice Mills	344)
3664	साउथ बिहार शुगर मिल्स, बिहटा	South Bihar Sugar Mills, Bibta	3450
3665	नर्मदा नदी पर शुक्लतीर्थ में सड़क पुल	Road Bridge at Shukaltirth over the Narmada	3450
3667	कृषि ऋण	Agricultural Credit	3450-3451
3668	मनीपुर में कृषि कालेज	Agricultural College in Manipur ..	3451
3669	गुजरात में गेहूं, चावल तथा चीनी की सप्लाई	Supply of Wheat, Rice and Sugar to Gujarat	3451-3452
3670	गुजरात में छोटे बन्दरगाह	Minor Ports in Gujarat ...	3452
3671	गुजरात में दाहेज बन्दरगाह	Dahej Port in Gujarat	3452-3453
3672	काश्मीर के पर्यटक केन्द्र	Tourist Centres, Kashmir ...	3453-3454
3673	दिल्ली-हैदराबाद विमान सेवा	Delhi-Hyderabad Air Service	3454
3674	राज्यों के सहकार तथा पिछड़े वर्गों के प्रभारी मन्त्रियों का सम्मेलन	Conference of State Minister of Cooperation and Backward Classes ...	3454
3675	पंचायती राज सहलकार समिति	Panchayati Raj Consultative Committee ..	3454-3455
3677	सोयाबीन की खेती	Soyabean Cultivation – ...	3455
3678	गोआ, दमन और दीव में बन्दरगाहें	Ports in Goa, Daman and Div	3455-3456

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी) / WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

3679	जापान से खाद्यान्नों का आयात	Food Imports from Japan	3456-3457
3680	हरियाना में यमुना नदी पर पुल	Bridge over river Jamuna in Haryana ..	3457
3681	आम चुनावों पर व्यय	Expenditure of General Elections ..	3457
3682	नलकूपों के लिए ऋण	Loans for Tubewells	3458
3683	चावल के राशन की मात्रा में कमी	Reduction in quantum of Ration for Rice...	3458-3459
3684	बिहार को अनाज की सप्लाई	Foodgrains Supply to Bihar	3459-3460
3685	कृषि अनुसन्धान	Agricultural Research	3460
3686	ध्वनि तथा प्रकाश की झांकियां	Son-et Lumerie Spectacles	3460-3461
3687	खाद्यान्नों का समाहार	Procurement of Foodgrains	3461
3688	दिल्ली में चीनी की सप्लाई	Supply of Sugar to Delhi ..	3461
3689	हल्दिया पतन तक एक्स-प्रेस हाईवे	Express Highway to Haldia Port ...	3462
3690	सूखे के कारण आजमगढ़ जिले में बेरोजगारी	Unemployment in Azamgarh Dist. due to Drought	3462-3463
3691	अकालग्रस्त क्षेत्रों के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Famine Stricken Areas	3463
3692	राजस्थान में पर्यटकों के लिये आकर्षक स्थान	Places of Tourist interest in Rajasthan ...	3463-3464
3693	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन समितियां	Committee under the Ministry	3464
3694	उड़ीसा में सामुदायिक विकास खण्डों के लिये नियतन	Allocation for C. D. Blocks in Orissa ...	3464
3695	उड़ीसा में राष्ट्रीय राज-पथ	National Highways in Orissa ...	3464-3465
3696	उड़ीसा द्वारा ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors by Orissa ..	3465

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

अता. प्र. संख्या/ U S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3697	कोचीन और बम्बई के बीच तटवर्ती सड़क	Coastal Road between Cochin and Bomoay	3465–3466
3698	केन्द्रीय सड़क निधि	Central Road Fund – ..	3466
3699	केरल में छोटे बन्दरगाहों का विकास	Development of Minor Ports in Kerala ..	3466-3467
3700	जम्मू तथा काश्मीर में चावल का मूल्य	Price of Rice in Jammu and Kashmir ...	3467–3468
3701	मध्य प्रदेश में गेहूं का समाहार मूल्य तथा विक्रय मूल्य	Procurement and Selling Price of Wheat in M. P.	3468
3702	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा गेहूं का संकर बीज उगाने का प्रयोग	Experiment at Punjab Agriculture University to Grow Hybrid Seed of Wheat	3468
3703	उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ	National Highways in U. P.	3468–3469
3704	गेहूं और चावल का प्रति व्यक्ति उपभोग	Per Capita Consumption of Wheat and Rice .. –	3469
3705	उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to U. P.	3469–3470
3706	गोदामों में रखे अनाज की क्षति	Loss of Foodgrains in Storage	3470-3471
3707	उत्तर प्रदेश को गेहूं तथा चीनी की सप्लाई	Supply of Wheat and Sugar to U. P. ..	3471–3472
3708	प्रयोगात्मक नलकूप	Experimental Tube well ...	3472
3709	दक्षिण अमरीका से चावल की खरीद	Purchase of Rice from South America ...	3472–3473
3710	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों के लिये योग्यता योजना	Merit Scheme for Scientists in I.C.A.R. ...	3473
3711	नदियों के किनारों के पास की भूमि में खेती	Cultivation near River Banks	3473-3474

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3712	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में अनुसंधान कार्य में लिये छात्र–वृत्तियां	Scholarships for Research Work in I. C. A. R.	3474
3713	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद	Indian Council of Agricultural Research	3474–3475
3714	उड़ीसा के लिये पम्पिग सेट	Pumping Sets for Orissa	3475
3715	पश्चिम बंगाल में दिधा में हवाई अड्डा	Aerodrome at Digha in West Bengal ...	3475–3476
3716	बाल बिवाह् रोक अधिनियम, 1929 के अन्तर्गत विवाह्	Marriages under the Child Marriage Restraint Act, 1929	3476
3717	क्षेत्रीय खाद्य निदेशक, नई दिल्ली	Regional Director of Food, New Delhi ...	3476
3718	उड़ीसा में सहकारी चीनी मिलें	Cooperative Sugar Mills in Orissa ...	3477
3719	सहकारिता आन्दोलन के लिये सहायता	Aid for Cooperative Movement ...	3477
3720	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक की पुनर्नियुक्ति	Re-employment of Director General Indian Council of Agricultural Research	3477–3478
3721	निकोबार द्वीप के सामुदायिक विकास खण्डों पर खर्च	Expenditure on C. D. Blocks Nicobar Island	3478
3722	राजस्थान नहर परियोजना का सर्वेक्षण	Survey of Rajasthan Canal Project	3479
3723	निर्वाचन-उपायुक्तों के पद बनाना	Certain of Posts of Deputy Election Commissioners ...	3479
3724	कृषि उत्पाद परिष्करण उद्योगों की स्थापना	Sitting up of Agricultural Processing Industries	3479-3480
3725	मैसूर राज्य में हवाई अड्डे	Aerodromes in Mysore State	3480
3726	तुगंभद्रा नदी पर पुल	Bridge over the Tungabhadra River ...	3480–3481

3727	पर्यटकों को सुविधायें देने के लिये आयातित मोटर गाड़ियां	Imported Vehicles for providing facilities to Tourists	3481–3482
3728	वर्ष 1961 से लेकर 1965 तक खोदे गये उपयोगी नल-कूप	Productive Tubewells dug during 1961–65	3482
3729	उड़ीसा में अधिक उपज वाली किस्मों की खेती का कार्यक्रम	High Yielding Varieties Programme in Orissa	3482–3483
3730	गेहूं देने के बारे में पंजाब का प्रस्ताव	Offer of Wheat by Punjab ...	3483
3731	मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था	Transport facilities in M. P.	3483
3732	आस्ट्रेलिया से उर्वरक	Fertilizers from Australia	3483–3484
3733	बिहार को प्रति व्यक्ति चीनी की सप्लाई	Per Capita Sugar Supply to Bihar	3484
3734	मनीपुर में सहकारी समितियां	Cooperative Societies in Manipur	3484–3485
3735	फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs ... —	3485
3736	केम्मनगुडी हिल स्टेशन का विकास	Development of Kemmanagudi Hill Station	3485
3737	देश में ट्रैक्टर	Tractors in the Country	3486
3738	समुद्र के पानी से समुद्री घास-पात (अलगा) निकालना	Alga from Sea Water	3486–3487
3739	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था	Indian Council of Agricultural Research Institute	3487
3740	राष्ट्रीय उपवनों में जंगली पशु	Wild Animals in National Parks	3487–3488
3741	मध्य प्रदेश में बागवानी का विकास	Development of Horticulture in M. P. ...	3488
3742	मध्य प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizer to Madhya Pradesh ...	3488–3489

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3743	दिल्ली में अंगूर उपजाना	Cultivation of Grapes in Delhi	3489
3744	बम्बई पत्तन की गोदियों में चोरी	Theft and Pilferage at Bombay Port Docks	3489–3490
3745	श्रीनगर में भुकम्पीय प्रयोगशाला	Seismological Laboratory at Srinagar ..	3490
3746	पालम हवाई अड्डा	Palam Airport	3490–3491
3747	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme ...	3491–3492
3748	प्रति नियुक्ति पर अधिकारी	Officers on Deputation	3492
3749	दिल्ली दुग्ध योजना	Delhi Milk Scheme	3492–3493
3750	समयोपरि भत्ता	Overtime Allowance ...	3493
3751	खाद्यान्न में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिये कनाडा से सहायता	Canadian Assistance to achieve Self-sufficiency in Food	3493
3752	राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8	National Highway No. 8	3493–3494
3753	राष्ट्रीय राजपथों पर एक जैसे सड़क सकेत	Uniform Road Signs on the National Highways	3495
3754	बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में सडकें	Roads in Adivasi Area of Bastar ...	3495
3755	मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in the Ministry	3495–3496
3756	विदेशी पर्यटक	Foreign Tourists	3496
3757	साइप्रस के जहाज का डूबना	Sinking of Cyproit Ship -- ...	3496–3497
3758	अमरीका के लिये यात्री नौवहन सेवा	Passenger Shipping Service to USA ...	3497
3759	चुहों द्वारा खाया गया अनाज	Foodgrains Consumed by Rats	3497–3498
3760	कपास और खाद्य फसलों की खेती के क्षेत्रों का अदल-बदल	Inter Shifting Areas under cotton and Food crops – ...	3498

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

3761	दालों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Prices of Pulses	3499
3762	मंगलौर पत्तन	Mangalore Port	3499-3500
3763	मैसूर राज्य में केन्द्रीय कृषि फार्मं	Central Agricultural Farms in Mysore State ..	3500
3764	दालों के मूल्यों में वृद्धि	Rise in Price of Pulses	3500
3765	सहकारी आंदोलन सम्बन्धी समिति	Committee on Co-operative Movement ...	3501
3766	लाल किला, दिल्ली में "ध्वनि तथा प्रकाश झांकी"	Son-Et-Lumiere Spectacle at the Red Fort, Delhi	3501
3767	लाल किला, दिल्ली में 'ध्वनि तथा प्रकाश झांकी"	Son-Et-Lumiere Spectacle at the Red Fort, Delhi	3501-3502
3768	लाल किला, दिल्ली में "ध्वनि तथा प्रकाश" झांकी	Son-Et-Lumiere Spectacle at the Red Fort, Delhi	3502
3769	जहाजों के फालतू पुर्जे	Spare part for Vessels	3503
3770	जहाजों के देश में बने फालतू पुर्जे	Indigenously Manufactured of spare parts for ships	3503
3771	मध्य प्रदेश में वन पर आधारित उद्योग	Forest based Industries in M. P.	3503-3504
3772	भारत और चीन में खाद्यान्न के उत्पादन में असमानता	Disparity in production of Food-grains in India and China	3504
3773	जल्दी उगने वाली सब्जियाँ तथा फल	Quick yielding varieties of vegetable and Fruit	3504-3505
3774	चीनी मिल	Sugar Factories	3505
3775	नेपाल से चावल	Rice from Nepal	3505
	ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re. Calling Attention Notice (Query) ..	3506
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	3506-3517

अता. प्र. संख्या./U. S. Q. Nos. विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
संसद् सदस्य पर प्रहार किये जाने के समाचार	Reported Assault on an M.P. ..	3506
श्री द्वैपायन सेन	Shri D. P. Sen	3506
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	3508
विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय	Ruling on Question of Privilege ..	3517
सभा पटल पर रखा गया पत्र	Paper Laid on the Table	3518
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilage	3518–3519
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha	3519
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sittings of House ..	3519
एयर इंडिया के विमान चालकों (पायलेट्स) द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य	Statement on Strike by Air India Pilots ..	3519–3521
डा. कर्णसिंह	Dr. Karan Singh	3519
समिति के लिये निर्वाचन	Election to Committee	3521
पशु कल्याण बोर्ड	Animal Welfare Board ...	3521
अनुदानों की मांगे, 1967–68 (जारी)	Demands for Grants, 1967–68 (Contd.) ...	3522–3542
प्रतिरक्षा मंत्रालय (जारी)	Ministry of Defence (Contd.)	3522
श्री दी. चं. शर्मा	Shri D. C. Sharma	3522
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ..	3523
श्री म. र. कृष्ण	Shri M. R. Krishna ..	3526
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	3528
श्रीमती शारदा मुकर्जी	Shrimati Sharda Mukerjee ..	3529
श्री उमानाथ	Shri Umanath	3532
श्री गजराज सिंह राव	Shri Gajraj Singh Rao	3535
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया	Shri Arjun Singh Bhadoria	3537
श्री ब. रा. भगत	Shri B. R. Bhagat	3539
श्री फ्रैंक एन्थनी	Shri Frank Anthony	3540

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.

हड़ताल तथा श्रमिक आंदोलनों के बारे में, आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion Re: Strikes and Labour Agitations	3543–3547
श्री अ. क. गोपालन	Shri A. K. Gopalan ..	3543
श्री जार्ज फर्नेन्डीज	Shri George Fernandes	3544
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D. N. Patodia	3544
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	3545
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	3545
श्री नायनार	Shri E. K. Nayanar	3545
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta ...	3545
श्री हाथी	Shri Hathi	3546

लोक-सभा वाद-विवाद का

संक्षिप्त अनुदित संस्करण

मंगलवार 27 जून, 1967 । 6 अषाढ़, 1889 (शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
3420	पंक्ति 17 में `सिन्दे` के स्थान पर `शिन्दे` पढ़िये ।
3506	पंक्ति 2 में 'NOTIC' के स्थान पर 'NOTICE' पढ़िये ।
3508	पंक्ति 2 में `(व्यवधान)` के बाद भी पढ़िये । पंक्ति 4 में `श्री द्वैपायन` के बाद `सैन` पढ़िये ।
3521	पंक्ति 19 में `अध्यक्ष महोदय` के स्थान पर `उपाध्यक्ष महोदय` पढ़िये ।
3529	नीचे से पंक्ति 5 में `(रलगिरि)` के स्थान पर `(रत्नगिरि)` पढ़िये ।

लोक-सभा

LOK SABHA

मंगलवार, 27 जून, 1967/6 आषाढ़, 1889 (शक)

Tuesday June 27, 1967/6 Asadha, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार में कृत्रिम वर्षा

\+

*751. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला को निर्देश दिया है कि बिहार में बड़े पैमाने पर कृत्रिम वर्षा कराने की सम्भावना का पता लगाये; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की क्रियान्विति में कितनी प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

कृत्रिम वर्षा

+

*761. श्री राने :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री पार्थसारथी :
श्री आत्म दास :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) क्या अमरीका सरकार ने कृत्रिम वर्षा परियोजना के लिये तकनीकी तथा वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस पर विचार कर लिया है तथा देश के वैज्ञानिकों तथा कृषि विशेषज्ञों से भी इस पर विचार-विमर्श कर लिया है ; और

(घ) यदि यह परियोजना मंजूर तथा क्रियान्वित की जाये तो प्रतिवर्ष इसके अन्तर्गत कितनी भूमि (फसलों वाला क्षेत्र) आयेगी और परियोजना पर कितना वार्षिक व्यय होने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहब शिन्दे) : (क) यू एस ऐड ने उपकरणों व विशेषज्ञों की पेशकश की है। किसी रकम की पेशकश नहीं की गई है।

(ख) पत्र-व्यवहार हो रहा है और विवरण तैयार किया जा रहा है।

(ग) जी हां, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की 'रेन एण्ड क्लोऊड फिजिक्स' विषयक सलाहकार समिति, जो इस क्षेत्र में वैज्ञानिक परीक्षण करती है, इस परियोजना पर विचार कर रही है। कृषि विशेषज्ञों की भी सलाह ली गई है।

(घ) अभी ये विवरण तैयार होने हैं।

Shri Yashpal Singh : When this experiment could not succeed in U. S. A. which is out of the most advanced countries how can it succeed in a dry place like Bihar ? If instead of spending huge sums of money on this project, the same funds are diverted for he construction of canals and drains, Bihar would develop more rapidly.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूँ कि कोई तरक्की नहीं हुई है। कृत्रिम वर्षा के लिये जिन देशों में अमरीका और आस्ट्रेलिया में तजर्बे किये गये हैं वहां पर पर्याप्त प्रगति हुई है। हमारे वैज्ञानिक भी यह महसूस करते हैं कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमें कड़ा प्रयत्न करना चाहिये ताकि यदि यह सफल हो जाये तो वर्षा न होने के कारण उत्पन्न स्थिति का मुकाबिला किया जा सके।

Shri Yashpal Singh : When National Physical Laboratory is not doing this work, what other organisation is piloting this work and what amount of expenditure will be incurred on this scheme ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस काम को 'वर्षा तथा मेघ भौतिकीय केन्द्र' संगठन द्वारा किया जा रहा है। अब तक यह वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद् के अधीन काम कर रहा था। 1 अप्रेल 1967 से यह काम भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को सौंप दिया गया है जहां तक अन्य ब्यौरों का सम्बन्ध है, चूंकि यह उड्डयन के अन्तर्गत आता है, बजट उपबन्ध आदि के बारे में मैं ब्यौरा नहीं दे सकता हूँ।

Shri S. C. Samanta : Why the work relating to artificial rain is being done in National Physical Laboratory only and not in other states also ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : तजर्बे किसी विशिष्ट प्रयोगशाला में नहीं किये गये थे; वे प्रयोग शाला के बाहर भी किये जाते हैं। मेरी जानकारी यह है कि ये तजर्बे पिछले दस वर्षों से चल रहे हैं और हुई वर्षा के परिणामों से पता चला है कि उन तजर्बों से वर्षा में वृद्धि हुई है।

श्री राने : और किन किन देशों में कृत्रिम वर्षा के तजर्बों में सफलता मिली है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने बताया, ये तजर्बे मुख्य रूप से अमरीका और आस्ट्रेलिया में किये गये हैं और इनमें काफी प्रगति प्राप्त हुई है।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के कृत्रिम वर्षा कराने के कोई तजर्बे किये हैं, यदि हां, तो क्या इसकी उपपत्तियों से यह पता चलता है कि ये तजर्बे हमारी जलवायु में सफलता पूर्वक किये जा सकते हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने दूसरे प्रश्न के भाग दो के उत्तर में बताया हम अमरीका के सहायता अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, परन्तु भारत में वैज्ञानिकों की इस कार्यक्रम पर अलग अलग राय है। चर्चा अभी चल रही है। यदि कोई करार हो गया तो कोई विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

Shri Sarjoo Pandey : Just now the hon. Minister stated that considerable success has been achieved in the experiments relating to artificial rain making. Have such experiments been carried out at any place in India and if at what places and expenditure has been incurred on them ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने बताया यह तजर्बा किया गया है और हाल ही में बिहार और उत्तर प्रदेश में भी किया गया है, परन्तु इस तजर्बे के लिये सबसे अनुकूल समय वर्षा ऋतु है, परन्तु पिछले वर्ष यह तजर्बा हमने बिहार में सूखे की हालत में किया क्योंकि बिहार में पीने के पानी की बड़ी कमी थी।

श्री रंगा : वर्षा ऋतु में ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : कभी कभी बादल होते हैं और इसलिए उससे वर्षा शीघ्र कराने में सहायता मिलती है। मान लीजिये वर्षा 25" होती है तो वह 30" या 35" हो जाती हैं। उससे फसलों को बचाने में सहायता मिलती है। परन्तु इस वर्ष तजर्बा फरवरी–मार्च में किया

गया था और वह अनुकूल मौसम न था। तजर्बे के मूल्यांकन का अभी हमें पूरा ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला, को नई दिल्ली को सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में अधिक कृत्रिम वर्षा कराने के तजर्बे में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ? क्या माननीय मंत्री कृत्रिम वर्षा के प्रश्न को एक वाणिज्यिक प्रस्तावना का रूप देने पर विचार करेंगे ताकि कृषि का सुधार करने की दृष्टि से ऐसी योजना को राष्ट्रीय योजना का आधार बनाया जा सके ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम इस दिशा में प्रयत्न करेंगे, परन्तु अभी यह बताना कठिन है कि इसको वाणिज्यिक स्तर पर लिया जा सकेगा या नहीं।

Shri Shiv Chandra Jha : Is the hon. Minister aware that in Australia considerable success has been achieved in artificial rain making and last year they got one inch of extra rain in an area of 10,000 sq. miles in Victoria State, which was 24% more than the rainfall in area where clouds had not been seeded, if so, have the National Physical Laboratory established contacts with the concerned scientists of Australia with a view to benefiting from their experiment, if so, what progress has been achieved in the artificial rain making ?

श्री अन्ना साहिब सिन्दे : आस्ट्रेलिया के बारे में माननीय सदस्य की जानकारी मौटे तौर पर सही है, परन्तु संसार के विभिन्न देशों में किये गये तजर्बों से हम लाभ उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं और शायद भविष्य इस क्षेत्र में अपनी योजनाएं तैयार करते समय दूसरे देशों का अनुभव हमें उपलब्ध होगा।

श्री तुलशीदास जाधव : इस तजर्बे पर किये गये व्यय और सामान्य सिंचाई के व्यय में क्या अन्तर है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं यह बताने में असमर्थ हूं।

श्री हेम बरुआ : द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् कृत्रिम वर्षा कराने के लिये अमरीका और आस्ट्रेलिया में काफी तजर्बे किये गये हैं। बिहार में अकाल के कारण लगभग 60 बच्चों के कुपोषण के कारण उनके दिमाग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो गये हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने आस्ट्रेलिया और अमरीका के वैज्ञानिकों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न किया है ताकि विशेष रूप से बिहार के पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि हमें इस तजर्बे में सफलता मिल गई तो उससे हमें काफी सहायता मिलेगी क्योंकि इससे हम फसलों को बचा सकेंगे। इस समय हम अमरीका के वैज्ञानिकों से बातचीत कर रहे हैं।

श्री हेम बरुआ : आस्ट्रेलिया के बारे में आपने नहीं बताया।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम संसार के सभी देशों के वैज्ञानिकों से लाभ उठायेंगे ।

श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा : हम दूसरे देशों की ओर तो देखते हैं, परन्तु हमारे वेदों में जो विज्ञान है उसकी अवहेलना करते हैं । श्री राजगोपालाचारी ने स्वयं एक बार कहा था कि यज्ञों के द्वारा आप देवताओं को प्रसन्न कर सकते हो और वर्षा करा सकते हो । भगवद् गीता में भी ऐसा कहा गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हम भगवद् गीता पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ।

श्रीमती लक्ष्मी कांतम्मा : मैं केवल यह जानना चाहती हूं कि क्या विज्ञान के इसके पहलू को भी प्रोत्साहन दिया जाता है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : हम अपने वैज्ञानिकों पर भी भरोसा कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय भगवद् गीता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते हैं ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : इन काल्पनिक बातों पर रुपया व्यय करने से पूर्व क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नदियों में उपलब्ध जल का पूर्ण उपयोग किया जा रहा है और यदि नहीं तो क्या सरकार इस ओर अपना ध्यान देगी ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं नहीं समझता कि यह छोटी और बड़ी सिंचाई योजनाओं के आरम्भ किये जाने में बाधक है ।

Irrigation in Drought-Affected Areas

+

*752. **Shri K. N. Tiwary** :
Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Kameshwar Singh :
Shri A. Sreedharan :
Shri Nihal Singh :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri J. B. Singh :
Shri B. S. Sharma :
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the immediate arrangements made for providing irrigation facilities in the drought-affected areas of Bihar including the financial assistance given to the Bihar Government for this purpose; and

(b) the acreage of land likely to be brought under irrigation as a result thereof ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना-साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 795/67]**

Shri K. N. Tiwary : May I know the number of rigs for which foreign exchange had been released, whether all those rigs have arrived and what is their per day capacity ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : आरम्भ के चरणों में बिहार सरकार को लगभग 100 रिग मिल रहे थे और बिहार तथा केन्द्र दोनों सरकारों के प्रयत्नों के परिणामस्वरूप लगभग 125 रिग काम कर रहे हैं। उनके लिये अमरीका और अन्य देशों से कुछ फालतू पुर्जे आयात किये गये थे। उसके अतिरिक्त कुछ हाथ से चलाये जाने वाले पम्प भी हैं जो बिहार सरकार ने प्राप्त किये थे।

Shri K. N. Tiwary : May I know if it is a fact that all the rigs which had been imported are lying idle ? The question relates to the drought affected area and the figure states that the target has been exceeded in achievement in regard to the persian wheel. Are there figures correct ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ये आंकड़े हमें राज्य सरकार द्वारा दिये जाते हैं और मैं समझता हूँ कि मोटे तौर पर ये आंकड़े सही हैं। कभी-कभी कम गहरे कुंए भी एक या दो मौसम के लिये सिंचाई के लिये उपयोगी होते हैं। रबी के मौसम में इनमें से कुछ कुंओं में पानी उपलब्ध था। हो सकता है कुछ कुंए सूखे हों, परन्तु मोटे तौर पर बिहार में लघु सिंचाई कार्यक्रम अच्छी तरह चला है और वास्तव में हमें गर्व होना चाहिये कि लोगों ने कठिनाइयों का डट कर मुकाबिला किया है।

Shri Kameshwar Singh : May I know the number of tube wells bored in Northern Monghyr so far and whether any rig machine is proposed to be sent there for boring tube wells. Will the pattern of cavity boring followed in Punjab is also proposed to be followed in North Bihar ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : बिहार के किसी खास जिले के बारे में मैं जानकारी नहीं दे सकता। हमारे पास राज्यवार आंकड़े हैं।

Shri Sheopujan Shastri : May I know the irrigation facilities that have been provided in Bhamana Sub Division of Bihar which was declared drought affected ? What progress has since been made in the construction of Karam Chand dam and Mura Division dam ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : बहुत सा ब्यौरा सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिया गया है। परन्तु मोटे तौर पर मैं बता सकता हूं कि इन योजनाओं के परिणामस्वरूप सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में 2·8 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचा है।

Shri B. S. Sharma : May I know whether some military platoon or company or brigade has been sent to Bihar to do some irrigational work and if the works that have been completed by them ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सेना से कुछ रिग प्राप्त किये गये थे और उन्हें वहां चलाया जा रहा है।

Shri J. B. S. Bisht : May I know the number of tube wells and Kacha wells sunk in drought affected areas, the amount of expenditure incurred on them and the area of land irrigated by them ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ये सभी आंकड़े सभापटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं।

Shri Sidheshwar Prasad : Recently it was reported in a section of the Press that some rigs were expected from U. S. A. If those rigs have been received from U. S. A., may I know whether they have been sent to Bihar ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : अमरीका से कुछ फालतू पुर्जे आने वाले थे और उनके लिये प्रबन्ध किये गये थे। कुछ तो पहले भेज दिये गये थे और कुछ बाद में। बाद में आने वाले पुर्जे अतिरिक्त थे ओर उनके कारण बिहार में रिगों के चलाने में कोई कठिनाई नहीं थी।

श्री रा० बरुआ : समाचार पत्रों से यह प्रतीत होता है कि एटाह और साथ के क्षेत्रों में सिंचाई के लिये सहायता प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार विश्व बैंक से बातचीत कर रही है। क्या बिहार में भी भूमिगत जल को काम में लेने के लिये विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इसके लिये मुझे सूचना चाहिये।

Shri Bhogendra Jha : Some years back the Central Government wanted to take over the Gundak and Kosi projects, but the then Bihar Government declined the offer. This project when completed will irrigate 50 lakh acres of land. Is it a fact that the present Bihar Government has urged the Central Government to take over those projects and the Central Government has turned down the offer, if so is it because the centre wants to penalise the state Government ? My second question is that from the statement it is not clear as to what number of rigs was supplied to Bihar by the Centre.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं पहले बता चुका हूँ कि केन्द्रिय सरकार और बिहार सरकार की संयुक्त समिति को लगभग 100 रिगों की आशा थी। अब वहां पर वास्तव में 125 रिग हैं। अत: मूल लक्ष्य लगभग पूरा हो गया।

Shri Bhogendra Jha : Sir, in the statement it is given that 380 rigs were demanded, but now he speaks of 125 rigs.

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जहां तक केन्द्र द्वारा इस परियोजना को अपने हाथ में लेने के प्रश्न का सम्बन्ध है यह प्रश्न सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये।

Shri George Fernandes : Sir, on page two of the statement given by the Hon. Minister it has been stated :

"1966-67 की अवधि में लघु सिंचाई के कार्यों को गतिमान करने के लिये उठाये गये विभिन्न कदमों के परिणामस्वरूप मूल लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि अधिक थी—जैसाकि निम्न तालिका से पता चलता है।

In this table it has been mentioned that the original target of open wells was 500. But actually 6,840 wells were constructed i. e. thirteen times more. The target of boring in-open wells was 1000 and 3754 wells were cempleted i. e. three and a half times more. The achievement of persian wheels was four times, of diesel pumps six-times. That is in every case the achievement was more than the target. At the same time in the next paragraph of the statement it is mentioned ;

"आशा है कि 1966–67 की अवधि में लघू सिंचाई के क्षेत्र में शुरु किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप 2·4 लाख एकड़ भूमि (जो अधिकतर सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में स्थित हैं) को लाभ पहुँचेगा जबकि शुरु में 2 लाख एकड़ भूमि को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था।"

Sir, according to the o iginal target, Government had to provide water for two lakhs acres. But after digging wells thirteen times more than the target, after installing pumps four times more, after making achievement three or four time in every sphere only eight lakh acres more will get water for irrigation.

I would therefore like to know from the Hon. Minister as to which figures are correct and which are not ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास करता हूं और मैंने वही आंकड़े दिये हैं जो मुझे राज्य सरकार से मिले हैं। किसी कुएं से कितने एकड़ भूमि सीची जा सकती है इस क्षेत्र की भूमि पर निर्भर करता है जिसमें वह कुआ हो। अतः इन मामलों की गणना इस प्रकार नहीं की जा सकती है।

श्री द्वा० ना० तिवारी : विवरण के पृष्ठ 2 में यह लिखा है :

"बड़ी परियोजनाओं के कमाण्ड क्षेत्रों के लिये, खेतों में नालियों के निर्माण हेतु एक क्रैश कार्यक्रम शुरु किया गया ताकि इन योजनाओं से लाभ उठाकर अधिक से अधिक क्षेत्रों की रबी फसलों को सिंचाई का लाभ प्राप्त हो सके ।"

क्या मैं जान सकता हूं कि इस कारण गत रबी की फसल में कितने एकड़ भूमि पर सिंचाई की गई तथा किसानों को कितना लाभ पहुँचा।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे पास इस बारे में कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्न संख्या 753 के बारे में

RE : QUESTION No. 753

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, श्री मधु लिमये।

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise to a point of order. This question is being asked for a pretty long time and the concerned Cabinet Minister is not giving its answer. The concerned ex-Ministers Shri S. K Patil and Shri Subramaniam have been defeated by Shri George Fernandes and D. M. K. candidate. The remaining third concerned Minister, Shri Jagjivan Ram, who was then the Transport Minister, is now the Food Minister. I would like to know why this question is not answered by the Cabinet Minister. Last time Shri Govinda Menon had given an answer and this time Shri Shinde is giving it answer who does not have any personal knowledge of this case.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि जो चुनाव में हार गये हैं वे आयें ?

Shri Madhu Limaye : No, Sir. But Shri Jagjiwan Ram had himself given an assurance last time that he would probe into the matter afresh. But when the time to answer the question has come, it is Shri Shinde who is giving it. He does not possess information regarding other points. We are raising this question for such a long time and this is the treatment which is being meted out to us by Government.

श्री स० मो० बनर्जी : जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं अपने माननीय मित्र श्री मधु लिमये का पूरा समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उनको आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इसलिये समर्थन करता हूं क्योंकि इस विशेष मामले में मंत्रिमंडल के दो मंत्री अन्तर्ग्रस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। यह सब क्या हो रहा है। इसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं है। वे पराजित हो चुके हैं।

Shri Madhu Limaye : I am not saying anything regarding them. I am saying about Shri Jagjiwan Ram. Those who have been defeated, how can they come ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री मधु लिमये को सुन चुका हूं। श्री जगजीवन राम यहां नहीं है। क्या वह उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं अथवा नहीं ?

Shri Madhu Limaye : I want the answer. You can say him later on that he could say so in this way.

अध्यक्ष महोदय : श्री जगजीवन राम यहां नहीं है। यदि वह यहां होते तो हम उत्तर देने के लिये कह सकते थे क्योंकि वह खाद्य मंत्री है।

Shri Madhu Limaye : I am not saying anything to Shri Shinde on the basis of constitution or some other legal point. I wish he could have answered this question himself.

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं उन्हें प्रश्न का उत्तर देने के लिये कह सकता हूं अथवा नहीं ?

Shri Madhu Limaye : The answer should be given.

Shri K. N. Tiwary : Sir, I rise to a point of order. It is known to every body that this matter has been pursued in a Court of Law. Hence it is sub-judice. Therefore it should not be taken up here.

Shri Madhu Limaye : It has nothing to do with that. This question has been asked merely to know the facts.

अध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है।

अपीजे शिपिंग कम्पनी

+

*753. श्री मधु लिमये :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री एस० एम० जोशी :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री अपीजे शिपिंग कम्पनी के बारे में 28 मार्च, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बर्मा से चावल के आयात के बारे में अपीजे शिपिंग कम्पनी द्वारा धोखा दिये जाने के प्रयास से सम्बन्धित मामले की जांच इस बीच पूरी कर ली है;

(ख) इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इस कम्पनी को काली सूची में रखने का आदेश इस बीच जारी कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कानूनी परामर्श प्राप्त करने के बाद सरकार ने कम्पनी के सरकार को धोखा देने की कोशिश करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध, जिसने अनुदेश जारी किये थे, अपराधात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) कम्पनी के सम्बन्धित कर्मचारी के विरूद्ध मुकदमा चलाने के निर्णय की दृष्टि में सरकार कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये आवश्यक औपचारिक पग उठा रही है।

Shri Madhu Limaye : Black-listing has nothing to do with prosecution. It is within the right of Government. I had asked in part (c) of my Question.

"(ग) क्या इस कम्पनी को काली सूची में रखने का आदेश इस बीच जारी कर दिया गया है ; और"

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : सामान्य कार्यवाही में काली सूची में रखना भी आ सकता है।

Shri Madhu Limaye : Sir, he does not know this. Black-listing comes under Government's Jurisdiction. It has nothing to do with prosecution. So, I was saying....

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि क्या इस कम्पनी को काली सूची मे रखने का आदेश इस बीच जारी कर दिया गया है। माननीय मन्त्री 'हां' अथवा 'न' में उत्तर दे सकते है।

यदि ऐसा किया गया है, तो किया ही गया है, और यदि नहीं किया गया है तो नहीं किया गया है। वह इसे स्पष्ट कह सकते हैं।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक अन्य कार्यवाही करने का सम्बन्ध है हमें विधि मन्त्रालय ने यह सलाह दी है कि उसे करने से पहले हमें कुछ कार्यवाही करनी है।

श्री जार्ज फरनेंडीज : वह क्या है ?

Shri Madhu Limaye : Sir, it may be the that prosecution could not be launched but they could have issued black-listing order.

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : स्थिति इस प्रकार है। कम्पनी को काली सूची में रखने का आदेश अभी तक जारी नहीं किया गया है। जैसे ही खाद्य मंत्रालय से हमें यह सूचना मिली कि धोखा दिया गया है और वे मुकदमा चला रहे हैं, तो हम मैसर्स सुरेन्द्र ओवरसीस लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहते थे। परन्तु, जैसे मन्त्री महोदय को पहले ही पता होगा, लोहा और इस्पात मंत्रालय ने अपने लेन देन के बारे में इस कम्पनी को काली सूची में रखने के लिये, मेरे विचार से गत वर्ष, आदेश जारी किये थे। तब कलकत्ता उच्च न्यायालय से रोक आदेश ले लिया गया था और उस आदेश को अभी तक रद्द नहीं किया गया है। इसलिये यदि हम अपनी इच्छा से कोई कार्यवाही तुरन्त कर लेंगे हम······

डा० वी० के० आर० वी० राव : एक मिनट ठहरिये। मैं वकील नहीं हूं। दुर्भाग्य वश मैं अपने माननीय मित्र, श्री कंवर लाल गुप्त की तरह विधि का विद्यार्थी नहीं हूँ। अतः मुझे सरकार के विधि अधिकारियों द्वारा दी गई सलाह के अनुसार काम करना है। हमें यह सलाह दी गई है कि हमें कम्पनी को यह नोटिस जारी करना है कि वह इस का कारण बताये कि उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये। इसके अतिरिक्त कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले हमें कलकत्ता उच्च न्यायालय को सूचना देनी होगी। अन्यथा, परिवहन मन्त्री, यदि सारी भारत सरकार नहीं, तो न्यायालय का अवमान कर रहे होंगे। अतः स्थिति इस प्रकार है। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि पहले ही कार्यवाही कर रहे हैं। हमने खाद्य मन्त्रालय को सूचित कर दिया है कि सभी आवश्यक कार्यवाही कर लेंगे। हम वे सभी उपाय करना चाहते हैं जो विधि के अनुसार इस सम्बन्ध में किया जा सकता है।

Shri Madhu Limaye : Sir, I rise to a point of order. I have not asked any question so far. He has given a wrong information to the House. He has misled the House. The Steel Minister had issued orders to black list in regard to some other matter. This matter is regarding the import of rice from Burma and cheating in regard there to. Therefore these are two different matters. Hence I do not know which Law Minister has advised him. I would, therefore, like to know whether he has consulted the Attorney-General, or Solicitor-General, Shri Gupta. In case he has consulted the views of those persons they should be brought before the House. As these are two different matters, therefore the question of Calcutta High Court does not arise at all. Now, I shall ask my question. Last time I had asked a question in this regard. When the company had got issued a circular regarding theft through Dr. Ram Manohar Lohia and the same was placed on the Table of the House than I had asked a question in the last session of Third Lok Sabha

regarding the veracity of this circular. In regarding to that question I had received the following information. I don't know whether any action was taken by you or not.

"मैंने दस्तावेज देख लिया है। यह अप्रैल 1962 में खाद्य विभाग में प्राप्त हुआ था, इस पर विचार कर लिया गया था और कार्यवाही की गई थी।

This was the reply that I had received. Now he has said that black-listing order has not been issued to them so far. Inspite of all this, inspite of the fact that an assurance was given last time, this is the first time that we are hearing in this House something about legal action. Sir, it was on their account that I had to suffer and Shri Patil has also sued me in the Court of Law. Now all the facts are coming to light. Can't I expect protection from the House ? Sir, we have been pursuing this matter for the last two years. Iwould like to know whether Shri Patil was the Food Minister when you had replied, it was duly examined and dealt with. What action was taken by you then ? Neither prosecution was launched nor black-listing order was issued in 1963 on some other ground. Then the Transport Ministry said Shipping Corporation should also not be black-listed. That was the reason that a good show was presented there during the last monsoon session.

The question of privilege was also raised. The Public Accounts Committe had also presented its report. I would like to know what is meant by it was duly examined'. ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इतना समय ले लिया हैं। प्रश्न काल में आप चर्चा नहीं कर सकते। इस मामले को आप किसी और रूप में उठा सकते है, प्रश्न काल में नहीं।

Shri Madhu Limaye : I don't like to take time of the House. But when efforts are made to hide the facts, when meaningless reply such as, 'it was duly examined and dealt with' is given then you can very well imagine what alternative is left with us. This matter is going on for the last three years and do you think that these things could have come to light had we not give question ? We are serving the public.

अध्यक्ष महोदय : यह तो सही है।

Shri Madhu Limaye : My question has not been answered. What is meant by 'it was duly examine and dealt with'. I want answer to this end.

अध्यक्ष महोदय : अब तो आप बैठ जाइये। आपने दस पन्द्रह मिनट तक बोल लिया है। यदि आपको सही उत्तर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं मिलता है तो आप अपनी शिकायतें अन्य तरीकों से दूर कर सकते हैं। आप वाद-विवाद आदि की मांग कर सकते हैं। यदि आप प्रश्न पूछे तो मैं मन्त्री महोदय को उत्तर देने के लिये कह सकता हूँ। यदि उत्तर संतोषजनक न हो, तो दूसरे तरीके अपनाये जा सकते हैं। दूसरे तरीके और प्रभावी हो सकते हैं। यदि दूसरे तरीके न रह गये हो, तो संविधान के अन्तर्गत कई तरीके हैं। अध्यक्ष पीठ आपकी सहायता नहीं कर सकती।

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : जैसे ही इस पत्र की नकल मन्त्रालय में पहुंची विभिन्न बन्दरगाहों को ये हिदायतें जारी कर दी गई थी कि सरकारी अधिकारियों को इस बारे में ध्यान रखना चाहिये कि माल कम न उतरे। उस समय तक भी हमने यह नहीं समझा था

कि यह पत्र अयथार्थमय हो सकता है। चाहे माननीय मंत्री मेरे उत्तर से सन्तुष्ट न हों, परन्तु इस लिहाज से कार्यवाही अवश्य की गई थी, कि यह कम्पनी सरकार को धोका न दे सके मेरे विचार से उस समय ये पूर्वोपाय किये गये थे कि जहाजों से जितना माल उतरने की सम्भावना थी वह विभिन्न बन्दरगाहों में उतारा गया।

Shri Madhu Limaye : Secondly, I would like to know who had given licence to the Apeejay Shipping Company? Who was the Transport Minister then and who had got issued the quota of foreign Exchange for the purpose of purchasing ships etc. ?

श्री अन्नासाहिब शिन्दे : सबसे पहले इस प्रश्न को परिवहन मन्त्रालय को बताना पड़ेगा।

Shri Madhu Limaye : The Transport Minister is also sitting here.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : यदि मुझे इसका उत्तर देना है तो उसके लिए नोटिस चाहिये।

डा० वी० के० आर० वी० राव : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि परिवहन मन्त्री कौन था, तथा लाइसेन्स कैसे दिया गया, मुझे आंकड़े इकट्ठे करने पड़ेगें। वे आंकड़े मेरे पास इस समय नहीं है। जहां तक माननीय मन्त्री, श्री मधु लिमये, द्वारा उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है हमें यह बताया गया था कि यह एक संयुक्त कम्पनी है, परन्तु हम न्यायालय में उन द्वारा दिया गया यह तर्क लेकर जाना चाहते हैं कि यह व्यापार और यह लेन देन पृथक् पृथक् हैं और इसलिए हमें कार्यवाही करने की अनुमति दी जाये।

Shri Sidheshwar Prasad : May I know when this thing was brought to the notice of the Government that the company has cheated, what action had been taken by Government against it and whether it has been examined as to how much loss Government had to sustain as a result thereof ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : पिछले सत्र में खाद्य तथा कृषि मन्त्री ने सभा को यह आश्वासन दिया था कि हम सारी स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। क्योंकि यह कानूनी मामला समझा गया है इसलिये हम विधि मन्त्रालय द्वारा ही की गई सलाह के आधार पर कार्यवाही करेंगे। अब हमें सलाह दी गई है कि मुकदमा चलाया जा सकता है। यही कारण है कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है कि अपराधात्मक कार्यवाही की जा रही है।

Shri Sidheshwar Prasad : The hon. Minister has not told as to how much loss Government had to sustain ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : धोखा देने का प्रयास करने के लिये हम मुकदमा चला रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि वे वास्तव में सरकार को धोखा नहीं दे सके हैं, और इसके विपरीत यह समाचार मिलने तक कि उन्होंने सरकार को धोखा दिया है, हम यही समझेंगे कि वे सरकार को धोखा नहीं दे सके हैं।

Shri George Fernandes : A question was asked regarding the dealings and taxes of the company. Sir, the House and the whole country knows that this company was going on with the support of both Shri Jagjivan Ram and Shri Swaran Singh, and Sir,

this thing weighs very much. While answering question the hon. Minister had said that this company had paid an annual tax to the tune of nine lakhs from 1951-52 to 1953-54 and from the figures presented here, it appears that the company had paid an annual tax to the tune of $1\frac{1}{4}$ Lakhs or $1\frac{1}{2}$ lakhs during the period 1954-55, and 1958-59 When a question on this fact was asked then the reply given was that this company has not paid a tax of rupees one crore. The assessment was made ex-parte. Then latter on the Income tex department decided that the company should pay rupees seventy five lakhs in the form of tax, May I know the regsons... (interruptions). I have made a mention of these Ministers and not others, so why are you crying ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं विवश हूं। आप प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। आप भाषण दे रहे हैं।

Shri George Fernandes : All these persons need not speak. My question is this.

उपाध्यक्ष महोदय : आप आगे कहिये। मैं श्री फरनेन्डीज से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना भाषण पूरा कर लें।

Shri George Fernandes : Kindly excuse me, Sir. I, Just wanted to know why is it that no action is taken against this company by all the Ministries, may it be the Transport Ministry or Food Ministry or any other, for the offence committed by it ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं सभा को केवल यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमारी ओर से किसी को भी बचाने की कोशिश नहीं की जायगी। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा कहे गये तथ्यों का सम्बन्ध है, वे उन्हें वित्त मन्त्रालय को भेज दें।

श्री स० मो० बनर्जी : यह कम्पनी अमीनचन्द प्यारेलाल की कम्पनियों में से है और इसके विरुद्ध सभा में बताया जा चुका है। मुझे यह नहीं पता कि यह ठीक था या नहीं। (बाधाएं) मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इस चावल के मामले के अलावा जिसमें यह कहा गया है, वह ठीक है या नहीं, कि इसमें भूतपूर्व मन्त्री स्तर के मन्त्री शामिल हैं, क्या यह भी सच है कि जब माननीय खाद्य मन्त्री रेलवे मन्त्री थे, तब रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व अध्यक्ष, सरदार करनेल के समय, इस विशेष कम्पनी को इस्पात बहुत सस्ते दाम पर बेचा गया था। क्या खाद्य-मन्त्री, जो इस समय रेलवे मन्त्री थे, और परिवहन मन्त्री भी इसमें शामिल हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस प्रश्न से यह सवाल किस प्रकार उठता है ?

अध्यक्ष महोदय : जो भी जानकारी आप चाहते हैं वह दे सकते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं अपने प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि सभा में व सभा के बाहर हमने जो गम्भीर आरोप लगाये हैं उनको ध्यान में रखते हुए क्या केन्द्रीय गुप्त विभाग द्वारा इसकी जांच जरुरी है या नहीं और क्या वह इसके लिये तैयार हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इन सब बातों के सम्बन्ध में मैं यह कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है । जांच के बाद जब किसी नतीजे का पता लगेगा तो उस पर विचार किया जा सकता है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Hon. Minister has said that an enquiry has been conducted in this regard. I want to know the details of the enquiry from the Hon. Minister and whether he would put the report of the enquiry on the Table of the House ? Under which sections they have prosecuted them.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यह मामला भारतीय दण्ड संहिता की धाराएं 420 और 511 के अन्तर्गत चलाया जा रहा है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : I asked about the details of the enquiry.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई । यदि माननीय सदस्य सारे मामले की ओर ध्यान दे तो उन्हें याद होगा यह सारा झगड़ा इस बात पर है कि प्रबन्धकों ने जाहजों के मालिकों को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि वह अनाज के खाली थैले इत्यादि रख सकते हैं ताकि कमी के समय इनका प्रयोग किया जा सके ।

वह पत्र बर्मा दूतावास के एक एटैची ने खाद्य विभाग को भेजा था । इसी के आधार पर ही सारा झगड़ा आरम्भ हुआ । विधि मंत्रालय ने सलाह दी कि यह सरकार को धोखा देने का मामला है, अत: इस कम्पनी के विरुद्ध मुकदमा चलाना चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Whether an enquiry was conducted with regard to the letter written by you ? I want to know the findings of the enquiring officer. There has been a great deal of embezzlement, the hon. Minister does not want to disclose them.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने विस्तार से बतला दिया है ।

श्री हो० ना० मुकर्जी : इस कम्पनी द्वारा लगातार पिछले वर्ष से देश में किये गये घोटाले को ध्यान में रखते हुए, जिसका सभा में उल्लेख भी किया जा चुका है, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार इस सम्बन्ध में इतना उदार रुख क्यों अपना रही है और इस विशेष कम्पनी ने जो व्यापार किया है उनके कारण इसका नाम काली सूची में रखने से क्यों हिचक रही है, सरकार एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति द्वारा दी गई कानूनी सलाह की आड़ ले रही है ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि हम कम्पनी की रक्षा करने में रूचि नहीं रखते । उन मामलों में हमें ......

श्री रंगा : आप इसे बचा रहे हैं।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इन मामलों में हमें विधि मन्त्रालय की सलाह पर चलना होता है । मेरे विचार से हम विधि मन्त्रालय की सलाह के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकते । इस मामले में हम सक्रिय हैं ।

बिहार में अकाल की घोषणा

754. श्री श्रद्धाकार सूपकार :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा राज्य के सात जिलों में अकाल की घोषणा किये जाने से सहायता कामों पर अथवा उन्हें करने के लिए केन्द्र के अंशदान पर कोई विशेष अन्तर पड़ा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या अकाल की घोषणा से बिहार के प्रभावित जिलों में स्थिति और खराब नहीं हो गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) से (ग) : अकाल की घोषणा से यह अभिप्राय नहीं है कि इस संकट का मुकाबला करने के लिये सरकार पर नया दायित्व आ पड़ा है । यह तो इस बात की एक स्वीकारोक्ति है कि संकट, जिसके निवारणार्थ राज्य सरकार ने पहले ही विभिन्न पग उठाये हैं, काफी अधिक अनुपात में बढ़ गया है, जिसके लिए सुधारात्मक उपाय बढ़ाने, और अधिक निधि की व्यवस्था करने और उसके फलस्वरूप स्थिति के बारे में अधिक ब्योरेवार तथा निरंतर रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता है । इस घोषणा से केन्द्र द्वारा राज्य को दी जा रही वित्तीय सहायता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ।

बिहार के कुछ क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा अकाल की घोषणा करने का प्रयोजन वहां सहायता कार्य बढ़ाने से था । प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति अब नियंत्रण में है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मैं यह जानना चाहता हूँ कि वास्तविक अकाल की घोषणा से पूर्व राज्य के सात जिलों को सूखा सहायता के लिए कितनी धन राशि दी गई थी और अकाल घोषणा के बाद यह धन राशि कैसे बढ़ गई ? मैं इसके आंकड़े चाहता हूं ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मैं समस्त बिहार के आंकेड़े दे सकता हूँ परन्तु किसी विशेष जिले के नहीं । उदाहरण के लिये बिहार सरकार को विभिन्न गतिविधियों के लिये 56 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया है । इसका विवरण इस प्रकार है:—

पीने के पानी की एक योजना के लिये अनुमानतः 507 लाख रुपये की मन्जूरी दी गई है, जानवरों की रक्षा योजना के लिये अनुमानतः 7 करोड़ रुपये की मन्जूरी दी गई है; सहायता व्यय में मदद करने के लिये 29.75 करोड़ रुपये ऋण या अनुदानों के रूप में दी गई है; विभिन्न कार्यक्रमों के लिये, जैसे छोटे सिंचाई कार्यक्रम के लिये 2.7 करोड़ रुपये की मंजूर

दी गई है; गांव में बिजली लगाने के लिये 6 करोड़ रुपये, पीने के पानी के लिये 1 करोड़, बड़ी और छोटी परियोजना के अन्तर्गत पानी मार्गों को बढ़ाने के लिये 0.30 करोड़ रुपये । इसके अतिरिक्त बीजों, उरवर्को; कीटनाशक दवाइयों के लिये 15.49 रुपये के छोटी अवधि ऋण दिये है । सामान्य प्रणाली के अनुसार राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अशंदान करना होता है । लेकिन हमने बिहार सरकार को शत-प्रतिशत सहायता दी है ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : मुझे दुख है कि मैं अपना प्रश्न स्पष्ट नहीं कर सका । मैं यह जानना चाहता हूँ कि आकर्ल की घोषणा किये जाने से पूर्व लोगों को क्या सहायता दी गई थी और इसकी तुलना अकाल की घोषणा किये जाने के बाद से किस प्रकार की जा सकती है । मैं तुलनात्मक आंकड़े चाहता हूँ ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : ये सब सहायता उपाय तेज किये गये थे । स्थिति का मुकाबला करने के लिये सब योजना बना ली गई थी और इसे तेज कर दिया गया था ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : किस अनुपात में ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : अनुपात के विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता ।

Shri Sarjoo Pandey : Government have not got the responsibility of adopting relief measures in those areas which have been declared as famine stricken areas, Except Bihar none other areas have been declared as famine stricken areas so far. I want to know what is the difficulty in it ? When there is actually famine, why it has not been declared as famine stricken area.

According to the old famine code, the test works are made to be done in Uttar Pradesh and Bihar and very low wages are being paid. Its aim is that more and more people may come at the lowest wage and then only it would be considered that there was famine.

I want to know whether by changing the code with a view to give more assistance, he is taking some action ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : वास्तव में इस प्रश्न का उत्तर पहले कई अवसरों पर दिया जा चुका है । अकाल की घोषणा करना राज्य सरकारों की शक्ति में है । यदि राज्य सरकारों का यह विचार है कि किसी राज्य के विशेष क्षेत्र में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गई है तो राज्य सरकारों को अकाल की घोषणा करने का अधिकार है । परन्तु जब अनौपचारिक रूप से बिहार सरकार ने हमारे से सलाह की तो हमने उसे बताया कि अकाल की घोषणा करने से मुसीबत का मुकाबला करने का नया दायित्व उत्पन्न नहीं हो जायेगा; क्योंकि वे सब उपाय पहले ही प्रयोग किये जा चुके हैं । हमारे विचार से इस प्रकार की घोषणा के परिणाम स्वरूप अधिक कमी का मनोवैज्ञानिक वातावरण उत्पन्न हो जायेगा और मूल्य स्तर बढ़ जायेगा । हमने उनको जो सलाह दी थी । बिहार सरकार उसके स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं थी । बिहार सरकार द्वारा अकाल घोषित करने के पश्चात हम उनकी मदद के लिये पहुंच गये और हम इस प्रकार का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि बिहार सरकार को अकाल से मुकाबला करने के लिये पूरी सहायता दी जाये ।

Shri Sarjoo Pandey : Nothing has been mentioned about famine code.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : भारत का कोई अकाल कोड नहीं है । अकाल कोड राज्य के अधिनियम हैं । यदि राज्य सरकारें चाहे तो वे उसमें संशोधन कर सकती हैं यदि उनके विचार में उनमें कुछ पुराने उपबन्ध हैं तो बिहार सरकार या और कोई राज्य सरकार अकाल कोड में संशोधन करने का अधिकार रखती है ।

श्री कार्तिक ओरांव : जहां तक बिहार का सम्बन्ध है वहां हमेशा सहायता का प्रश्न रहा है–चाहे वह सूखा सहायता हो, खाद्य सहायता हो या इसी प्रकार की अन्य सहायता, परन्तु मैंने रक्त सहायता के विषय में पहले नहीं सुना । जहां तक बिहार का सम्बन्ध है वहां किसी न किसी प्रकार की सहायता पहुंचाई जायेगी । वहां बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, यद्यपि सिंचाई के लिये नहरों का जाल बिछा है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि छोटे नागपुर के साथ हमेशा सौतेली मां का सा व्यवहार किया जाता है, चाहे वह कांग्रेसी सरकार हो, या गैर–कांग्रेसी, चाहे हो अथवा नहीं,

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है ? आप अपना प्रश्न पूछिये ।

श्री कार्तिक ओरांव : मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को बहुत ही कम लोग जानते हैं । वह पत्तों और फलों पर गुजर कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इस बात का पता है कि छोटे नागपुर के कुछ जिलों को जैसे रांची को अकाल क्षेत्र घोषित न कर राजनीतिक विवेक से काम लिया गया है ।

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जैसा कि मैंने पहले कहा कि राज्य सरकारें अपने अनुमान लगाने के लिये स्वतन्त्र हैं और किसी भी क्षेत्र को अकाल क्षेत्र घोषित कर सकती हैं । मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूँ कि केन्द्र द्वारा समस्त देश में अकाल सहायता देने का एक ही तरीका है । यदि देश के किसी भाग में, किसी राज्य में, कोई राज्य सरकार केन्द्रीय पद्धति के अनुसार सहायता के उपाय अपनाना चाहती है तो केन्द्रीय सरकार से उसे धन राशि उपलब्ध होगी ।

Shri Ramavatar Shastri : I want to know the amount demanded by the Bihar Government for relief from the Central Government. I also want to know whether the food officers of the Central Government, who are in Patna have submitted a confidential report to the Central Government, stating that such a big amount should not be given to the Bihar Government. If a report of this nature has been given by these Officers, I want to know the amount they have recommended for the Bihar Government. I also want to know the amount so far has been given to the Bihar Government, and more amount demanded by the Bihar Government, so that the relief operation may be done properly ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : जहां तक सहायता कार्य का सम्बन्ध है हमने राज्य सरकार से कहा है कि इसकी कोई सीमा नहीं होगी । वे कोई भी सहायता के उपाय उठा सकते हैं और हम उनकी सहायता करने का प्रयास करेंगे ।

Shri Prem Chandra Verma : I want to know the quantity of foodgrains supplied to the Bihar Government during the months of February, May and June.

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : पूछा गया प्रश्न मुख्य प्रश्न से बाहर है। परन्तु मैं जानकारी दे सकता हूँ। हमें आशा है कि मई मास में हम 2.26 लाख टन और जून मास में 2.5 लाख टन गेहूं हम बिहार को सप्लाई कर सकेंगे।

Shri Gunanand Thakur : Whether the Central Government stopped the Bihar Government from declaring those areas as famine stricken areas. Not only this, after the declaration of the famine in Bihar, it is not getting food and other help according to its need. I want to know why this discremination has been made by the Central Government with regard to Bihar ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : मेरे विचार से माननीय सदस्य का यह कहना कि बिहार के साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया है, ठीक नहीं है। वास्तव में अकाल घोषित करने की स्थिति के सम्बन्ध में मैं पहले ही बता चुका हूँ और उसको दोहराना मैं ठीक नहीं समझता।

जहां तक खाद्यान्न को भेजने का सम्बन्ध है हमने इस बात की कोशिश की है और हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकार को निर्धारित की गई मात्रा में अनाज भेजा जाये। यद्यपि अनाज की वर्तमान स्थिति बहुत गम्भीर है, फिर भी बिहार को प्रतिदिन 10,000 टन अनाज भेजा जा रहा है यह जानकारी पिछले कुछ दिनों की है। जहां तक जून की निर्धारित मात्रा का सम्बन्ध है, हमें आशा है कि हम आंकड़ों के अनुसार अनाज भेजने में सफल होंगे।

श्री फ० गो० सेन : बिहार सरकार ने कुछ जिलों को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है और कुछ जिलों को अभाव वाला क्षेत्र घोषित किया है वे कौन से स्थान हैं जो बिहार सरकार ने अभाव वाले क्षेत्र घोषित किये हैं ?

श्री अन्ना साहिब शिन्दे : इनके दो वर्ग हैं। बिहार सरकार न कुछ जिले अभाव वाले और कुछ जिले अकाल वाले क्षेत्र घोषित किये हैं। अकाल वाले क्षेत्र हैं:—पालमऊ, गया, पटना, भागलपुर, हजारीबाग, शाहबाद और मूंगेर। अभाव वाले क्षेत्रों की संख्या चौदह है और वे हैं:—पटना, मुजफ्फरपुर, सरन, भागलपुर, सहरसा, पूरणिया और धनबाद।

अध्यक्ष महोदय : काश्मीर निर्वाचन इत्यादि के सम्बन्ध में भी एक प्रश्न है, वह बहुत महत्वपूर्ण है, और वह पहले लिया जाना चाहिये था, परन्तु अब वह बाद में लिया जायेगा। मैंने यह प्रयास किया था कि वह प्रश्न पहले ले लिया जाये, परन्तु बिहार से सम्बन्धित प्रश्न पर माननीय सदस्यों ने इतना अधिक समय ले लिया कि मैं इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कर सकता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न का आयात ।

755. **श्री शारदानन्द :** **श्री रणजीत सिंह :**
श्री भारत सिंह चौहान : **श्री ओंकार सिंह :**
श्री कंवर लाल गुप्त . **श्री ओंकार लाल बेरवा :**
श्री स्वैल :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को सूचना दी है कि यदि केन्द्र उनकी खाद्यान्नों की मांगें पूरी न कर सकी, तो वे अन्य देशों से सीधे खाद्यान्न आयात करेंगे; और

(ख) ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं और इस प्रस्ताव के प्रति केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सरकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Charges of Irregularities in the Last General Elections in J & K.

*756. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether the enquiry into the charges of gross irregularities committed during the last General Elections in Jammu and Kashmir State has been completed ;

(b) whether judgement has been delivered in any of the cases pending in courts; and

(c) the measures being taken to prevent the recurrence of such irregularities in future ?

The Deputy Minister of in the Ministry of Law (Shri D. R Chavan) : (a) The Election Commission has not instituted any enquiry to investigate the cases of gross irregularities, However, such of the complaints which appear to the prima facie verifiable have been referred to the Chief Electorol Officer of the State Government of Jammu & Kashmir for report. The Election Commission has not so far received reports in this behalf from the State Government.

(b) No, Sir.

(c) The measures to be taken to prevent the recurrence of irregularities in future will be decided after the judgements of the High Court and Election Tribunals in the election petitions have been delivered.

Wastage of Foodgrains while Loading and Unloading at ports

***757. Shri Kanwar Lal Gupta :**
Shri Bibhuti Mishra :
Shri Swell :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a large amount of foodgrains are wasted in the process of loading and unloading at Madras and other ports ; and

(b) if so, the average percentage of such wastage and arrangements made by Government to check it ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) It is not a fact that a large amount of foodgrains is wasted in the process of loading and unloading at Madras and other ports. The loss, if any, is negligible and is unavoidable in the course of handling of millions of tonnes of food grains at our ports.

मध्य प्रदेश में गहन कृषि कार्यक्रम

758. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले गहन कृषि के लिये करोड़ों रुपये की लागत का एक "क्रैश कार्यक्रम" तैयार किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस कार्यक्रम को भारत सरकार के पास विचारार्थ मंजूरी तथा अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिये भेजा गया था;

(ग) क्या इस कार्यक्रम को किसी रूप में क्रियान्वित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी क्रियान्विति के फलस्वरूप क्या उपयुक्त लाभ हुए हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रमों (जो समय-समय पर प्राप्त होते हैं) जैसे सामान्य प्लान योजनाओं के अलावा सघन कृषि तथा "क्रैश कार्यक्रम" सम्बन्धी कोई प्रस्ताव अभी तक मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोचीन स्थित जहाज निर्माण कारखाना

***759. श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मितसुबिसी फर्म द्वारा तैयार की गई कोचीन जहाज निर्माण कारखाने की परियोजना रिपोर्ट के बारे में विशेष अधिकारी ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस विशेष अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर इस परियोजना पर कुल कितना परिव्यय होने का अनुमान है;

(ग) क्या परियोजना के लिये पहले लगाये गये विदेशी मुद्रा परिव्यय के अनुमान में कुछ कटौती करने की सिफारिश इस प्रतिवेदन में की गई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिये क्या कारण बताये गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) जी हां : विशेष अधिकारी की रिपोर्ट पर तकनीकी कार्यकरण दल द्वारा विचार कर लिया गया है। कार्यकरण दल के अनुसार परियोजना पर 35.50 करोड़ रुपये का कुल उदव्यय प्राक्कलित किया जाता है।

(ग) और (घ) जी हां। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा की गई सिफारिश और उनके द्वारा किये गये देशी मशीन तथा उपस्कर की उपलब्धता के अन्तिम अभिनिर्धारण के अनुसार परियोजना की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विदेशी मुद्रा संघनक कम कर दिया गया है।

Modernisation of Sugar Mills

***760. Shri Sarjoo Pandey :**
Shri Ishaq Sambhali :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 57 on the 26th July, 1966 regarding the modernisation of Sugar Mills and state :

(a) whether any decision has since been on the recommendations of the Committee and modernisation of Sugar Mills; and

(b) if so, the broad details thereof ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

वन शिक्षा निदेशालय

***762. श्री वासुदेवन नायर :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देहरादून से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्र "नोदर्न पोस्ट" दिनांक 22 मई, 1967 में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें कि वन शिक्षा निदेशालय द्वारा सरकारी धन का दुरुपयोग किये जाने के बहुत से मामलों का उल्लेख है जैसे कि माल सप्लाई न करने वाली फर्मों को भुगतान किया जाना, उपकरणों के

क्रयादेश खास फर्मों को ही देना वास्तविक आवश्यकता से अधिक माल के लिये क्रयादेश देना तथा माल प्राप्त होने से पहले ही उसके मूल्य का भुगतान करना आदि ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय जांच कार्यालय द्वारा मामले की छानबीन हो रही है ।

पाकिस्तान को गेहूँ का चोरी छिपे ले जाया जाना

*763. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब तथा भारत के अन्य सीमावर्ती राज्यों से पाकिस्तान को चोरी छिपे गेहूं ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या इस मामले की कोई जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या निष्कर्ष निकला ; और

(घ) इसको रोकने तथा सम्बन्धित व्यक्तियों को सजा देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) से (ग) जी नहीं । पंजाब सरकार ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि पाकिस्तान को चोरी-छिपे कोई गेहूँ नहीं भेजा जा रहा है । किसी भी पड़ौसी राज्य से पाकिस्तान के साथ तस्कर व्यापार के बारे में कोई सूचना नहीं मिली है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए एक गेहूँ क्षेत्र

*764. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने यह सुझाव दिया है कि हिमाचल प्रदेश को पंजाब गेहूँ क्षेत्र में शामिल किया जाये;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ; और

(ग) क्या पंजाब सरकार इस सुझाव से सहमत है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) । (क) जी हां ।

(ख) और (ग) पंजाब और हिमाचल प्रदेश को एक राज्यीय क्षेत्र बनाने का निर्णय नई दिल्ली में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में केवल अप्रैल, 1967 में ही लिया गया था और इतना जल्दी इसके पुनरीक्षण के बारे में नहीं सोचा जा सकता ।

होटल

***765. श्री ज्योतिर्मय बसु : श्री नायनार :**
श्री कं० हाल्दर : श्री चक्रपाणि :
श्री भगवान दास :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक स्टार वाले होटल, दो स्टार वाले होटल, तीन स्टार वाले होटल, चार स्टार वाले होटल और पांच स्टार वाले होटल में इकहरे कमरे और दोहरे कमरे का क्षेत्रफल कम से कम कितना-कितना होना चाहिए;

(ख) भारत के सभी मान्यता प्राप्त होटलों में अधिक राशि ली जाने और अधिक मूल्य लगाये जाने के बारे में सरकार को गत तीन वर्षों में कितनी शिकायतें मिली हैं; और

(ग) ऐसे होटलों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) सभी प्रकार के स्टार वर्गीकरणों के अधीन सरकारी मान्यता प्राप्ति के लिये आवेदन करने वाले होटलों में समान रूप से इकहरे तथा दोहरे कमरों के लिये निर्धारित क्षेत्रफल के मानक निम्न प्रकार हैं :—

गैर–वातानुकूलित इकहरे कमरे	160 वर्ग फुट
गैर–वातानुकूलित दोहरे कमरे	220 वर्ग फुट
वातानुकूलित इकहरे कमरे	140 वर्ग फुट
वातानुकूलित दोहरे कमरे	180 वर्ग फुट

(ख) शिकायतों की संख्या—20

इनमें अतिथियों के वास्तव में होटलों में 24 घंटे से कम रहने पर भी पूरे दिन का किराया वसूल करने, वास्तविक दरों तथा समुद्रपार एजेंसियों द्वारा घोषित दरों में असंगति, अतिथियों द्वारा खाना न खाने पर भी खाने के पैसे लिये जाने तथा एक मामले में जोड़ (टोटल) करने में गलती की शिकायतें शामिल हैं ।

(ग) सब शिकायतों के बारे में होटलों से जांच की गई है तथा अधिकांश मामलों में शिकायतों को शिकायत करने वालों की तसल्ली के अनुसार सुलझा दिया गया है । अच्छे व्यवसाय के हित को दृष्टि में रखते हुए बहुत से होटल ऐसी राशि को लौटा देते हैं जो उनके द्वारा अधिक ली गयी कही जाती है, हालांकि औचित्य की दृष्टि से उनके लिये ऐसा करना आवश्यक नहीं ।

कलकत्ता से आसाम को गेहूँ ले जाना

*766. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के लिये नियत किया गया गेहूं परिवहन व्यवस्था न होने के कारण कलकत्ता के केन्द्रीय गोदामों में पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान के रास्ते से होकर लाने वाली स्टीमर सेवा बन्द है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

F. A. O.'s Report on Milk and Butter Production in India

*768. **Shri Molahu Prasad** :
Shri Rabi Ray :
Shri Maharaj Singh Bharati :
Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food and Agriculture Organisation of U, N. O, has expressed concern in their recent annual report regarding constant fall in the production of milk, butter etc. in India;

(b) if so, whether it is also a fact that it has also been mentioned in the annual report that it is adversely affecting the foodgrain production and trade;

(c) if so, whether the consumption of foodgrains has increased as a result of fall in the production of milk, butter etc; and

(d) if so, the steps taken during the last five years to increase the production of milk, butter etc, on an all-India basis ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Government of India has not so far received the recent Annual Report of the Food and Agriculture Organisation of U. N. O. Hence it is not possible to give any comments on any observations made in that Report.

(b) to (d) Do not arise,

अमरीका से जहाजों में भेजा गया खाद्यान्न

*769. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेज नहर बन्द कर दी जाने के कारण क्या सरकार का विचार अमरीका से जहाजों से आने वाले खाद्यान्नों को अमरीकी महाद्वीप में थल मार्ग से और बाद में प्रशान्त महासागर के मार्ग से मंगाने की व्यवस्था करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस मार्ग से जहाजों द्वारा खाद्यान्न मंगाने में शीघ्रता करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कठिनाइयां हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) 6 जून, 1967 से स्वेज नहर के बन्द होने का तत्काल प्रभाव उन खाद्यान्न जहाजों पर पड़ा है जो कि उस तारीख को समुद्र में थे और स्वेज नहर के रास्ते भारतीय बन्दरगाहों की ओर आ रहे थे। आशा अन्तरीप के रास्ते से आने के कारण इन जहाजों के पहुँचने में देर लगने के फलस्वरूप जून के दूसरे पखवाड़े और जुलाई मास के पहले पखवाड़े में खाद्यान्नों की उपलब्धि पर प्रभाव पड़ा है। समय की दृष्टि से इस अवधि में इस कमी को किसी स्रोत से पूरा करने की कोई संभावना नहीं थी। अमरीका से जहाजों से खाद्यान्नों को अमरीकी महाद्वीप में थल मार्ग और फिर प्रशान्त महासागर के रास्ते से मंगाने पर भी इस नाजुक अवधि में जहाजों का भारतीय बन्दरगाहों पर पहुंच पाना सम्भव नहीं हो पाता।

अकाल

*770. **श्रीमती सुशीला रोहतगी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले चन्द वर्षों में अदृष्टपूर्व अकाल पड़ने के कारणों का विश्लेषण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासासिब शिन्दे) : (क) 1965, 1966 और 1967 में देश के बड़े भाग में जो भयंकर कमी की स्थिति पैदा हुई थी उसके कारणों का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है। यह स्थिति वर्षा के असफल रहने और उसके फलस्वरूप सम्बन्धित क्षेत्रों में सूखा पड़ने के कारण पैदा हुई थी।

(ख) सूखे और कमी से उत्पन्न संकट को दूर करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने बड़े पैमाने पर सहायता कार्य संगठित किये हैं। देश भर में कृषि उत्पादन बढ़ाने जिसमें हाल ही के वर्षों में सूखे से पीड़ित क्षेत्र भी शामिल है, के लिए भी उपाय किये जा रहे हैं।

Supply of Foodgrains to Bihar

*771. **Shri Ramavatar Shastri** :
Shri Chandra Shekhar Singh :
Shri Yogendra Sharma :
Shri K. M. Madhukar :
Shri Jageshwar Yadav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether the Government of Bihar were likely to get two and a quarter lakh tonnes of foodgrains from the Central Government in the month of June to feed the famine-stricken people of Bihar;

(b) whether only 29 thousand tonnes of foodgrains were supplied to Bihar upto the 11th June, 1967 as stated by the Food Minister of Bihar in his statement made in the Bihar Legislative Assembly on the 13th June, 1967 while one lakh tonnes of foodgrains were to be supplied to them by the said date;

(c) whether there is a likelihood of the breakdown of the rationing system in Bihar and rise in the foodgrain prices as result of the short supply; and

(d) if so, the reasons for not supplying the full quota to the Bihar Government and the arrangements being made in this behalf ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) Yes. Sir. The original allotment to Bihar for June was 2·25 lakh tonnes of foodgrains (wheat and milo).

(b) Including movement from ports and supplies from depots the despatches upto 10-6-67, were 36400 tonnes. The movement to Bihar during this period was slow. This was mainly due to poor arrival and availablity in other ports and stocks from Calcutta port being supplied to West Bengal and Assam.

(c) The distribution in Bihar will continue under strian as the supplies reaching Bihar will not be quite satisfactory. It is, however, expected that there will be no break-down as such.

(d) Actual supplies depend on actul availablities which have been severely restricted by the recent closure of the Suez Canal. All efforts are being made to despatch maximum quantities of foodgrains to Bihar consistent with the availablity and the minimal needs of other areas.

Allotments of Foodgrains to Madhya Pradesh

***772. Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri G. C. Dixit :
Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avatar Sharma :
Shri Surya Prakash Puri :
Shri Achal Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Nitiraj Singh Chaudhary :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the monthly quota of foodgrains fixed by Centre for Madhya Pradesh has not been supplied fully during the period from January, 1967 to May, 1967;

(b) if so, the monthly quota fixed and the quota actually supplied; and

(c) in case some reduction has been effected in the quota per month, the extent thereof and the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) There has been some shortfall in supplies during the months from February, 1967 to May, 1967. Quotas of foodgrains (wheat and milo) altotted to Madhya Pradesh from Janury 1967 to May, 1967 and supplies made are indicated below :

(Figures in '000 MT)

Month	Quotas	Supplies
January, 67	40·0	41·8
February, 67	40·0	29·7
March, 67	35·0	24·3
April, 67	31·0	27·2
May, 67	30·5	30·1

(c) There is no fixed monthly quota for any State. Quantities allotted to States vary from month to month depending on the availability during the month and relative needs of other states. Against 30·5 thousand tonnes for may, 67 the State has been alloted 31,000 tonnes June, 67.

Legal Assistance to the Poor

*773. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :
Shri S. R. Damani :

Will the Minister of Law be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to give legal assistance to the landless persons in the various courts;

(b) whether it is a fact that even after twenty years of Independence, landless poor persons are subjected to various handicaps; and

(c) if so remedial steps taken to ameliorate their conditions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chawan) : (a) to (c) Administration of legal assistance to landess persons in general is the responsibility of the State Governments. So far as this Government is aware, no scheme has been framed by any State Government exclusively for landless persons.

चारे की कमी

*774. श्री मधु लिमये :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज़ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री राम मनोहर लोहिया :
डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री गार्डिलिंगन गौड :
श्री रा० बरुआ :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री श० ना माइती :
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री लखण लाल कपूर :
श्री कंवरलाल गुप्त :
श्री स० कुण्डू :
श्री श्रीधरन :
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने राज्यों/राज्यों के भागों में चारे की अत्यधिक कमी है;

(ख) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में चारे और पानी की कमी के कारण बहुत बड़ी सख्या में पशु मर गये हैं तथा बुचड़खानों में भेजे जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इससे अनुमानतः कितनी हानि हुई है; और

(घ) पशुधन के इस प्रकार के नाश को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) राज्य सरकारों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3 राज्यों में चारे की अत्यधिक कमी है।

(ख) बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों को नवीनतम रिपोर्टों से जाहिर नहीं होता कि चारे और पानी की कमी के कारण बड़ी संख्या में पशु मर गये हैं या बूचड़खानों में भेजे जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाना है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 796/67]**

Indian Agricultural Research Institute

***775. Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri N. S. Sharma :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether equipment worth crores of rupees is lying idle due to the non-availability of foreign parts, in the Indian Agricultural Research Inistitute, New Delhi;

(b) if so, the time since when this equipment has not been used;

(c) the estimated loss sustained so far as a result thereof; and

(d) the action taken by Government in this behalf ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Equipment worth about Rs. 95,000/- only is lying idle for want of foreign parts.

(b) Six months to 4 years.

(c) It is not possibie to make a proper assessment. The work in the Inistitute has been carried on with the help of other available equipment.

(d) Attempts have been made to repair the equipment locally with second hand or fabricated parts. Where this has not been possible, attempts have been made to obtain spares from abroad. A few spares have been received recently and it is hoped to put to use shortly some of the items of machinery now lying idle.

मध्य प्रदेश में अनाज की कमी

776. श्री बाबूराव पटेल : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य में इस वर्ष अनाज की अत्यधिक कमी बताये जाने के क्या कारण हैं, जबकि यह राज्य हमेशा ही अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करता रहा है;

(ख) क्या वहां वास्तव में अनाज की कमी है अथवा यह कृत्रिम कमी है जिसे राज्य सरकार तथा अनाज के जमाखोरों ने खाद्यान्नों के मूल्य बढ़ाने तथा अधिक मुनाफा कमाने के लिये उत्पन्न किया है;

(ग) क्या बताई गई इस कमी तथा जमाखोरी के आरोप के बारे में जांच करने के लिये सरकार का विचार एक समिति नियुक्त करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) उत्पादन में कमी होने के कारण मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की कमी हुई है।

(ग) से (ङ) कोई समिति नियुक्त नहीं की जा रही है, क्योंकि कमी प्राकृतिक कारणों से हुई है।

चीनी निगम

***777. श्री यशपाल सिंह**
श्री महादेव प्रसाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री अ० कु० किस्कु :
श्री न० कु० सांघी :
श्री श० ना० माइती :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दोषी तथा कुप्रबन्धित चीनी मिलों को अपने नियन्त्रण में लेने के लिये एक चीनी निगम बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा तथा इसके बारे में कब तक निर्णय कर लिया जायेगा।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वेज नहर बन्द होने से प्रभावित जहाज

***778. श्री वी चं० शर्मा :**
श्री स० कुण्डू :
श्री श्री निवास मिश्र :
श्री क० लकप्पा :
श्री हेम बरुआ :
श्री समर गुह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वेज नहर बन्द होने से ऐसे कितने जहाजों पर प्रभाव पड़ा है जो भारत आ रहे थे; और

(ख) भारत को आशा अन्तरीप से होकर आने वाले जहाजों का कितना भाड़ा अधिक देना पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) प्रभावित खाद्यान्न-जहाजों की संख्या 15 थी।

(ख) सभी जहाजों या एक जहाज़ के सम्भावी भाड़े की वृद्धि के बारे में अभी तक कोई निश्चित् संकेत न होने के कारण यह जानकारी देना सम्भव नहीं है।

खाद्य वस्तुओं पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करने का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव

***779. श्री बाबू राव पटेल :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न कृमिनाशक/कीटनाशक दवाइयों तथा धूमकर पदार्थों के प्रयोग से फल और खाद्यान्न कितने विषाक्त हो जाते हैं तथा इसके परिणामस्वरूप ऐसे फलों और खाद्यान्नों का उपयोग करने से लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले खतरे की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति की सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उन पर अन्तिम रूप से विचार कर लिया है और यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय किया गया है तथा क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सिफारिशों का सारांश संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 797/67**]

(ख) संसद की ज्वाइन्ट सैलेक्ट कमेटी ने जिसने कीटनाशक औषधि बिल, 1964 की विभिन्न व्यवस्थाओं पर विचार किया इन सिफारिशों को भी दृष्टि में रक्खा था।

गो-हत्या सम्बन्धी समिति

***780. श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शाल वाले :
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या खाद्य, तथा कृषि मन्त्री गो-हत्या सम्बन्धी समिति की स्थापना के बारे में 30 मई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 793 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरक्षा समिति का उत्तर इस बीच मिल गया है; और

(ख) समिति कब बनाई जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) अभी तक सर्वदलीय महाभियान समिति ने प्रतिनिधियों के नाम नहीं भेजे हैं।

(ख) सर्वदलीय महाभियान समिति के प्रतिनिधियों के नाम प्राप्त होते ही समिति की नियुक्ति कर दी जायेगी।

खण्ड विकास अधिकारी के पद की समाप्ति

3660. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्री के समाचार-पत्रों में प्रकाशित उस व्यक्तव्य को सरकार ने देखा है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मध्य प्रदेश ने खण्ड विकास अधिकारी के पदों को समाप्त करने का प्रयोग सफल नहीं रहा है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सम्बन्धित केन्द्रीय मन्त्री हाल में मध्य प्रदेश गये थे और क्या उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपद स्वामी): (क) जी हां। किन्तु बिहार सरकार ने सूचित किया है कि राज्य के सामुदायिक विकास, पंचायतीराज तथा पुलिस मन्त्री, जिन्होंने हाल ही में मध्य प्रदेश का दौरा किया, ने इस आशय का कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

इण्डियन ला इन्स्टीट्यूट को साहाय्य/अनुदान

3661. **श्री शिवपूजन शास्त्री** :
श्री मधु लिमये :

क्या विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ला इन्स्टीट्यूट को केन्द्रीय सरकार से आवर्ती तथा अनावर्ती कोई साहाय्य अथवा अनुदान मिले हैं और क्या उसे अब भी केन्द्रीय सरकार से साहाय्य/अनुदान मिलता है;

(ख) यदि हां, तो उसे अब तक कुल कितनी रकम दी जा चुकी है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए साहाय्य से इन्स्टीट्यूट द्वारा उपक्रमित प्रायोजनाओं में कहां तक प्रगति हुई है ?

विधि मंत्रालय में उप मंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी हां।

(ख) 21,54,018/– रु०

(ग) इण्डियन ला इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली, को दिए गए वर्ष वार सहायता-अनुदानों की और जिन उद्देश्यों के लिए ये सहायता-अनुदान मंजूर किये गए थे, उन उद्देश्यों को दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

इन्स्टीट्यूट से यह अपेक्षित नहीं है कि वह सरकार द्वारा दिए गए सहायता-अनुदानों से किन्हीं विशिष्ट या विनिर्दिष्ट प्रायोजनाओं का उपक्रम करे। इन्स्टीट्यूट द्वारा अब तक पूरे किए गए अनुसंधान अध्ययनों और निकाले गए प्रकाशनों का विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया. देखिये संख्या एल० टी० 798/67]**

Transport of Foodgrains

3662. Shri K. M Madhukar : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the monthly quota of foodgrains supplied by the Centre to Bihar is not being delivered there fully because of inadequate and ineffective transport facilities consequent to which there remains a balance of one lakh tonns of foodgrains which was to be supplied to Bihar upto the end of April last; and

(b) if so, the steps being taken to remove the said difficulties of transport ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

चावल मिलें

3663. श्री अब्दुल गनीदार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में, प्रत्येक राज्य के, वर्षवार कितने चावल मिल स्थापित किये जाने की अनुमति दी गई;

(ख) किन-किन पक्षों को चावल मिल लगाने की अनुमति दी गई; और

(ग) कितने पक्षों को विदेशी सहयोग प्राप्त करने की अनुमति दी गई और प्रत्येक पक्ष के लिये कितनी विदेशी मुद्रा मंजूर की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

South Bihar Sugar Mills, Bihta

3664. Shri Ram Avtar Shastri :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present financial condition of the South Bihar Sugar Mills, Bihta (Patna District) is precarious;

(b) whether the Government of Bihar advanced loans amounting to lakhs of Rupees to the Management of the Sugar Mills during the last several years in order to improve its financial condition;

(c) if so, the total amount of loans advanced and the action that Government propose to suggest to the Bihar Government for the recovery of loans; and

(d) whether Government are considering a proposal to take over the said sugar Mill ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashaib Shinde) : (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Out of the total loan of Rs. 34 lakhs advanced by the State Government of Bihar, a sum of Rs. 8·50 lakhs is reported to have been recovered. The Bihar Government is reported to be already seized of the matter.

(d) No, Sir.

नर्मदा नदी पर शुक्लतीर्थ में सड़क पुल

3665. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा नदी पर भड़ोच के निकट शुक्लतीर्थ में सड़क के एक नये पुल का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जावेगा; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी गई थी और इस पुल पर कितनी लागत आने का अनुमान है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी नहीं। राष्ट्रीय मुख्य मार्ग संख्या 8, दिल्ली–अहमदाबाद–बम्बई मार्ग पर भड़ोच में मौजूदा पुल के $3\frac{1}{2}$ मील ऊपरीबहाव पर जदेश्वर के निकट एक नया पुल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) नये पुल और उसके पहुंच मार्गों के निर्माण में 3·28 करोड़ रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है; परन्तु प्रस्ताव अभी अनुमोदित होने को है।

कृषि ऋण

3667. श्री मेघचन्द्र :
श्री धीरेश्वर कलिता :

क्या **खाद्य, तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर और आसाम को वर्ष 1967–68 के लिए कितना अल्पकालीन तथा मध्यकालीन कृषि ऋण नियत किया गया है?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : कृषि उत्पादन के लिए अल्प तथा मध्यकालीन ऋण सहकारी संस्थाऐ अपने साधनों तथा भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित ऋण सीमाओं से देती है। सहकारी संस्थाओं के लिए निम्न लक्ष्य रखा गया है:—

(करोड़ रु० में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	ग्रल्पकालीन	मध्कालीन
असम	2·00	0.30
मनीपुर	0·35	0·07

मनीपुर में कृषि कालेज

3668. **श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में एक कृषि कालेज स्थापित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां तो कब तक और उसके लिए कितनी केन्द्रीय सहायता नियत करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में गेहूं, चावल तथा चीनी की सप्लाई

3669. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में गुजरात को गेहूँ, चावल तथा चीनी की कितनी मात्रा नियत की गई; और

(ख) वर्ष 1967–68 की पहली तिमाही में गुजरात की गेहूँ, चावल तथा चीनी की कितनी-कितनी मात्रा नियत की गई और उसमें से वस्तुतः अब तक कितनी मात्रा सप्लाई की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क)

[हजार मीटरी टन में]

चावल	गेहूं	चीनी
51·3	342·4	295·7

(ख)	आवंटित मात्रा	9·0	113·5	50·8
	सप्लाई की गई मात्रा	9·7	78·7	36·8
		(10/6 तक)	(10/6 तक)	(अप्रैल और मई में)

गुजरात में छोटे बन्दरगाह

3760. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में गुजरात में किन-किन छोटी बन्दरगाहों का विकास किया गया;

(ख) इन बन्दरगाहों के विकास पर कितना धन खर्च किया गया;

(ग) उनका विकास किस-किस दिशा में किया गया; और

(घ) 1966–67 में गुजरात में छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए कितनी राशि नियत की गई और किन-किन बन्दरगाहों के लिए ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) ओखा, पोरबन्दर, वीरावल, भावनगर, बेदी (सिक्कासहित) भड़ौंच (सूरत, मगदल्ला और दहेज सहित) मांडवी (कच्छ) महुवा और नवलखी।

(ख) 466 लाख रुपए।

(ग) राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि ऊपर (क) में उल्लिखित पत्तनों में निम्न विकास कार्य किए गए:—

अवतारक शुल्क घाटों, माल गोदामों, गोदाम और सड़कों का निर्माण, जल सप्लाई और बिजली की व्यवस्था, बजरे टग और क्रेनों की प्राप्ति, और विशेषकर ओखा में सूखे माल घाट का निर्माण।

(घ) गुजरात में छोटे पत्तनों के विकास के लिये 1966 67 में योजना निर्माण कार्यों के लिए 122 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस आवंटन का पत्तनों के अनुसार विभाजन उपलब्ध नहीं है।

गुजरात में दाहेज बन्दरगाह

3671. श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के भड़ोच जिले में दाहेज में एक नया बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य रूप-रेखा क्या है; और

(ग) उस पत्तन पर कितनी लागत आने का अनुमान है तथा उसमें कितना यातायात होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) गुजरात की राज्य सरकार दाहेज को अवतारक शुल्क पत्तन के रूप में दो प्रावस्थाओं में विकसित कर रही है। प्रथम प्रावस्था में 6 लाख रुपये की लागत से मालजेटी, यात्रीसायबान, गोदाम इत्यादि पूरे किये जा चुके हैं। दूसरी प्रावस्था में अवतारक घाट, भूमि को ठीक करना, पहुँच मार्ग, रेलवे साइडिंग, अवतारक-सुविधायें, गोदाम इत्यादि बनाए जायेंगे जिनमें 76·36 लाख रुपये की लागत प्राक्कलित की जाती है। राज्य की चतुर्थीय योजना में 50 लाख रुपये की व्यवस्था कर ली गई है।

प्रारम्भ में इस पत्तन में धराउठाई किया जाने वाला औद्योगिक और कृषि यातायात राज्य सरकार द्वारा 130,000 टन प्राक्कलित किया जाता है।

काश्मीर के पर्यटक केन्द्र

3672. श्री शिवचन्द्र झा : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में कौन-कौन से पर्यटक केन्द्र हैं;

(ख) काश्मीर में इन स्थानों की यात्रा के लिए क्या सुविधायें दी जाती हैं;

(ग) विदेशी पर्यटकों के लिए यदि कोई विशेष प्रबन्ध किया गया है, तो क्या;

(घ) पिछली तीन योजनाओं की अवधियों में देशवार, कितने विदेशी पर्यटकों ने काश्मीर की यात्रा की; और

(ङ) चौथी योजना में क्या सुधार करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) समस्त काश्मीर घाटी ही एक पर्यटन महत्व का स्थान है। फिर भी, घाटी के बहुत से केन्द्र, जिनकी पर्यटक अधिकतया यात्रा करते हैं श्रीनगर तथा इसके उपांतवर्ती प्रदेश, अवन्तीपुर, अच्छाबल, कोकानाग, वेरीनाग, श्री अमर नाथ की गुफायें, कोलोहोइ ग्लेशियर, गांदरबल, मानसबल, सोनामर्ग, खीर भवानी, बुलर झील, गुलमर्ग तथा पुसमर्ग हैं। जम्मू क्षेत्र में पर्यटक जम्मू शहर, कटरा, श्री वैशनो देवी जी, कुद, बटोट तथा सनासर की यात्रा करते हैं।

(ख) प्राइवेट होटलों में उपलब्ध सुविधाओं के अतिरिक्त, जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने पर्यटकों के लिए काफी संख्या में पर्यटक कुटीरों, पर्यटक बंगलों, सराय होटलों, पर्यटक स्वागत केन्द्रों तथा तम्बुओं में आवास की व्यवस्था की हुई है। जम्मू तथा काश्मीर सरकार घाटी में तथा पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर के बीच स्थित पर्यटक रुचि के स्थानों के दर्शन के लिए सैर-गाड़ियों (साइट-सीइंग बसों) का भी परिचालन करती है। राज्य सरकार ने राज्य में पर्यटन महत्व के सभी केन्द्रों तथा बम्बई, दिल्ली और पठानकोट में पर्यटन सूचना ब्यूरो खोले हुए हैं।

(ग) एकमात्र विदेशी पर्यटकों के लिए कोई विशेष प्रबन्ध नहीं किए गए हैं। पर्यटक के लिए समस्त सुविधायें विदेशी तथा स्वदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए अभिप्रेत हैं।

(घ) 1950 से लेकर जम्मू तथा काश्मीर राज्य की यात्रा करने वाले स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकों की संख्या द्योतक एक विवरण संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 799/67]** विदेशी पर्यटकों के देशवार आंकड़े तैयार नहीं किये जाते।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित सुधारों में आवास तथा पर्यटन सुविधाओं में वृद्धि तथा मनोरंजन सुविधाओं का विकास सम्मिलित हैं।

Delhi-Hyderabad Air-Service

3673. **Shri Rama Chandra Veerappa :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to increase the frequency of air service from Delhi to Hyderabad; and

(b) whether the Indian Airlines Corporation has submitted a scheme to Government suggesting the increased frequency of direct air service from Hyderbad to Delhi in view of the increase in the number of passengers ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) and (b) There is no proposal to increase the ferquency of air service from Delhi to Hyderabad at present, as the number of passengers on this sector is generally well within the number of seats allocated.

Conference of State Minister of Cooperation and Backward Classes

3674. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to convene a conference of the Ministers of Cooperation and Backward Classes of the States in the near future; and

(b) if so, the items to be discussed thereat ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Developmcent and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) A conference of the State Ministers of Cooperation is likely to be held in October, 1967.

(b) The agenda has not yet been considered.

Panchayati Raj Consultative Committee

3675. **Shri Ramachandra Veerappa** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether Government have constituted a Panchayati Raj Consultative Committee with a view to examining the difficulties experienced in the Panchayati Raj and progress made in this regard;

(b) if so, the manner in which the said Committee has been constituted; and

(c) the extent to which this committee has proved beneficial to the functioning of Panchayati Raj system ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswami) : (a) to (c) A statement is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. LT-800/67**]

Soyabean Cultivation

3677. **Shri Ramavatar Shastri** :
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state;

(a) whether Government have conducted any research in regard to the fact that Soyabean is as rich in protein contents as milk;

(b) if so, the scheme Government have drawn to extend Soyabean cultivation; and

(c) if not, the reasons for not increasing Soyabean production in the context of the food crisis in the country.

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes. The protein in Soyabean is about 33% as compared to 3.3% protein in cow's milk and 4.3% in buffalo's Milk.

(b) An All India Co-ordinated Research Project on Soyabean has been started by the I. C. A. R. in 10 regional centres throughout the country at the total estimated cost of Rs. 10.63 lakhs for a period of four years from April, 1967. Besides, with the existing varieties, a programme of Soyabean cultivation along with maize is proposed to be taken up in Himachal Pradesh and Uttar Pradesh to cover an area of 1500 acres. In addition to this, 12 tonnes of Soyabean seed of improved varieties is being imported from U.S.A. for seed production over an area of about 500 acres by the Uttar Pradesh Agricultural University, Pant nagar, during the coming Kharif season.

(c) Does not arise.

गोआ, दमन और दीव में बन्दरगाहें

3678. **श्री शिकरे** : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ, दमन और दीव के स्वतंत्र हो जाने के समय से लेकर अब तक उस संघ राज्य क्षेत्र में मरमागाओ को छोड़कर अन्य बन्दरगाहों के विकास पर कितना धन खर्च किया गया है;

(ख) उक्त अवधि में मरमागाओ पत्तन के विकास पर तथा प्रत्येक श्रेणी के काम पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) क्या उस राज्य क्षेत्र के भूतपूर्व पुर्तगाली शासकों ने बन्दरगाहों के विकास के बारे में विशेषकर मरमागोआ के यंत्रीकरण के बारे में कोई व्यापक योजना बनायी थी; और

(घ) यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 35.53 लाख रुपये ।

(ख) निम्न श्रेणियों पर 293.37 लाख रुपये ।

असैनिक कार्य	27.43 लाख रुपये
मशीन का उपस्कर	11.35 लाख रुपये
निकर्षण	21.42 लाख रुपये
समुद्रीयान	208.43 लाख रुपये
सलाहकारी	4.19 लाख रुपये
अन्य कार्य	20.55 लाख रुपये
जोड़	293.37 लाख रुपये

(ग) पहले की पुर्तगाली सरकार ने मारमोगोआ पत्तन में तीन जेटी बनाने के लिये स्कीम बनाई थी। ये लगभग 30,000 से 35,000 टन के खनिज वाहकों के यांत्रिक ढंग से धरा उठाई करने के लिये थी। इसके अतिरिक्त गैर सरकारी पार्टियों द्वारा संयत्रों की भी व्यवस्था की जाने को थी, जिनकी लदान दर 1500 टन प्रति घंटा प्रति संयत्र और प्रत्येक संयत्र की धरा उठाई क्षमता 2.5 मिलियन टन वार्षिक थी। प्रवेश जलमार्ग और द्रोणी का भी निकर्षण और सुधार किया जाना था जिससे वे ऊपर उल्लिखित वाहकों के अनुकूल हो सकें।

(घ) स्वतंत्रता के बाद यह स्कीम क्रियान्वित नहीं की गई क्योंकि वह बड़े माल वाहकों के लिये अपर्याप्त थी। बड़े माल वाहकों की आधुनिक खनिज धरा उठाई की व्यवस्था के लिये एक नई स्कीम विचाराधीन है।

जापान से खाद्यान्नों का आयात

3679. **श्री शिकरे : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1965–66 और 1966–67 में जापान से चावल तथा अन्य खाद्यान्न का कितनी मात्रा में आयात किया गया,

(ख) चालू वर्ष में, अर्थात 1967–68 में जापान से कितने खाद्यान्न प्राप्त होने की आशा है,

(ग) क्या चावल की सप्लाई बढ़ाने के बारे में बातचीत करने के लिये जापान को कोई विशेष शिष्टमण्डल भेजा गया है,

(घ) क्या गोआ, दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र की सरकार ने गोआ से और मैंगनीज अयस्क के निर्यात के बदलों में जापान से चावल मंगवाने की एक योजना केन्द्रीय सरकार को भेजी है, और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1965–66 और 1966–67 में जापान से चावल या अन्य

खाद्यान्नों की कोई वाणिज्यिक खरीददारी नहीं की गई है, न ही 1967-68 में वाणिज्यिक आधार पर जापान से चावल या अन्य खाद्यान्नों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है। तथापि, 1966-67 में 4921 मीटरी टन बर्मा चावल और 5000 मीटरी टन थाई चावल जापान से उपहार रूप में प्राप्त हुआ था। जापान सरकार द्वारा यह उपहार जापान की रेडक्रास के माध्यम से भारतीय रेडक्रास को दिया गया था।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

Bridge over River Jamuna in Haryana

3680. Shri Onkar Singh :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to state:

(a) whether the Government have received any proposal for the construction of a bridge over the river Jamuna near Hassanpur (Tehsil Palwal) in Haryana;

(b) whether the proposal is under consideration of Government; and

(c) if so, when the decision is likely to be taken ?

The Deputy Minister in the Ministry of Transport & Shipping (Shri Bhakt Darshan) : (a) No, Sir

(b) and (c) Do not arise.

Expenditure of General Elections

3681. Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Ram Singh Ayarwal :

Will the Minister of **Law** be pleased to state:

(a) the total amount of expenditure incurred by the Members of Lok Sabha and State Assemblies during the General Elections in 1962;

(b) the total amount of expenditure incurred by them during the recent elections;

(c) whether a part of this amount has been spent by some Members on irregular practices; and

(d) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) to (c) The information is not available with the Election Commission.

(d) Does not arise.

नलकूपों के लिये ऋण

3682. **श्री कंवरलाल गुप्त :**
श्री मु० कु० तापड़िया :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :
श्री मुहम्मद इमाम :
श्री गाडिलिंगन गौड़ :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अनेक लोगों द्वारा नलकूपों के लिये ऋण प्राप्त करने के हेतु दिये गये आवेदन पत्र चिरकाल से अनिर्णीत पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो उन आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है तथा ऋण कब तक मंजूर किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को कोई सहायता देने का केन्द्रीय सरकार का विचार है और यदि हां, तो कितनी सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) 1966–67 के दौरान लगभग 160 आवेदकों को नलकूपों के लिये दिल्ली प्रशासन द्वारा 20.40 लाख रुपये की कुल व्यवस्था के मुकाबले 7,53,500 रुपये का एक ऋण स्वीकृत किया गया था। शेष राशि को कुओं के निर्माण, पम्पिंग सैटों और परशियन व्हीलों को लगाने, कुओं की बोरिंग जैसे लघु सिंचाई कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया गया। 1966–67 वर्ष के लिये समाप्त होने पर नलकूपों के हेतु 13.90 लाख रुपये के ऋणों के लिए 334 प्रार्थना–पत्रों को स्वीकृत नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 3.15 लाख रुपये के ऋणों के लिए 1–4–67 से 64 प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं। 398 प्रार्थना–पत्रों में से 8.28 लाख रुपये के 181 प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया गया है और दिल्ली प्रशासन द्वारा उन्हें ठीक पाया गया है। इनके सम्बन्ध में प्रशासन शीघ्र ही आदेश जारी कर रहा है।

(ग) लघु सिंचाई योजनाओं के लिए 20 लाख रुपये की बजट व्यवस्था की गई है जिसमें नलकूप, 1967-68 में दिल्ली के किसानों को ऋण देना भी शामिल है।

चावल के राशन की मात्रा में कमी

3683. **श्री मधु लिमये :**
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल और गुजरात में राशन की मात्रा में कटौती की गई है;

(ख) क्या अन्य राज्यों ने भी राशन की मात्रा कम कर दी है; और

(ग) यदि हां तो राशन में यह कमी की जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केरल में राशन में कटौती के बजाय, उसके स्वीकृत गेहूँ के राशन की मात्रा में वृद्धि हुई है। गुजरात के छः प्रमुख शहरों को छोड़कर, उसके अनौपचारिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों की राशन मात्रा में मामूली कमी की गई है।

(ख) हाल में हुई किसी भी कटौती के सम्बन्ध में किसी अन्य राज्य से कोई सूचना नहीं मिली है।

(ग) पूरे राज्य में समान रूप से वितरण हो, इसका ध्यान रखते हुये गुजरात का राशन-मात्रा में मामूली फेर बदल करना पड़ा है।

बिहार को अनाज की सप्लाई

3684. **डा० कर्णीसिंह :**
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र ने बिहार को गत छः महीनों में प्रति मास वस्तुतः कितना अनाज सप्लाई किया ;

(ख) कितना अनाज सामान्य सप्लाई के रूप में दिया गया तथा कितना अनाज राज्य में सूखे की स्थिति के कारण हुई मुसीबत को टालने के लिये आपतकालीन नियतन के रूप में दिया गया; और

(ग) अनाज की वास्तविक सप्लाई राज्य की अनाज की वास्तविक मांग से कितनी कम होती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) पिछले छः महीनों में बिहार को आयातित खाद्यान्नों (गेहूँ और माइलो) की सप्लाई की गई मात्रा इस प्रकार थी :—

मास	(हजार मीटरी टन में) सप्लाई की गयी मात्रा
दिसम्बर, 1966	160.6
जनवरी, 1967	166.9
फरवरी, 1967	164.7
मार्च, 1967	172.4
अप्रैल, 1967	196.6
मई, 1967	221.9

(ख) गत तीन वर्षों में बिहार को ओसतन प्रतिमास लगभग 69,000 मीटरी टन खाद्यान्नों की सप्लाई की गई थी। इस आंकड़े और इस प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में दिखाई

गई सप्लाई की मात्रा के बीच जो अन्तर है उस पर, राज्य में सूखे से आ पड़े संकट से राहत दिलाने के लिए आपातकालीन आवंटन मानकर, विचार किया जाए।

(ग) बिहार की खाद्यान्नों की मासिक मांग 3 से 4 लाख मीटरी टन के बीच रही है।

कृषि अनुसंधान

3685. डा० कर्णीसिंह :
श्रीमती निर्लेप कौर :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेहूँ की अधिक उपज वाली किस्मों की सफलता के समाचारों को ध्यान में रखते हुए, सरकार कृषि अनुसंधान तथा उत्पादन के क्षेत्र में सफलता का अधिक प्रचार करने के लिए प्रतिष्ठित किसानों का राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सम्मेलन करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(ख) यदि हां, तो व्यापक योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। खाद्यान्नों की अधिक उत्पादनशील किस्मों के सफल परिणामों का निम्नलिखित साधनों द्वारा प्रचार किया जाता है; पुस्तिकाओं, चार्टों व पोस्टरों का वितरण, फिल्में दिखाना तथा रेडियो प्रसारण। इसके अतिरिक्त प्रत्येक फसल-मौसम के प्रारम्भ से पूर्व अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम में भाग लेने वाले कृषकों के लिये ग्रामीण स्तर पर अल्प अवधि के प्रशिक्षण शिवरों की व्यवस्था की जाती है। इन शिवरों में कृषकों द्वारा प्राप्त हुए सर्वोत्तम परिणामों तथा खेती की नवीनतम विधियों के बारे में, जिनमें पेकेज की विधियां भी शामिल हैं जानकारी दी जाती है। टनेज क्लबों आदि कृषक संस्थायें भी समय-समय पर प्रगतिशील किसानों के सम्मेलनों का आयोजन करती हैं जहां कृषक अपने लाभप्रद अनुभवों के बारे में विचार-विमर्श करते हैं तथा अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के चुनिन्दा जिलों में कृषकों को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने की एक वृहत्त योजना शुरू की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत एक व्यवस्थिति आधार पर अधिक उत्पादनशील किस्मों के कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने के लिये चौथी योजना की अवधि में 100 कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

ध्वनि तथा प्रकाश की झांकियां

3686. श्री प्री० के० देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री धीरेन्द्रनाथ :

क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटक महत्व के किसी अन्य ऐतिहासिक स्मारक में 'ध्वनि तथा प्रकाश' की झांकियां दर्शाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब और कहां ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) (क) और (ख) जी, हां । चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पर्यटन महत्व के चुने हुए स्थानों पर कुछ और 'ध्वनि तथा प्रकाश' झांकियां प्रदर्शित करने का प्रस्ताव है । ठीक-ठीक स्थान निर्धारण विचाराधीन है ।

Procurement of Foodgrains

3687. Shri Sidheshwar Prasad : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) the steps taken by the various State Governments for the procurement of foodgrains during the last three months and the results achieved, state-wise;

(b) the steps taken by the Food Corporation of India during this period for the procurement of foodgrains ; and

(c) the quantity of foodgrains supplied to each State by the Centre during this period ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture Community Devlopment and Cooperation (Shai Annasahib Shinde) : (a) A statement is attached (Annexure I) .[Placed in Library, See No. LT-801/67] The information for the remaining States in being collected and will be laid on the table of the Sabha .

(b) A quantity of 6.34 lakhs tonnes of foodgrains was procured by the Food Corporation of India during this period .

(c) A statement is attached (Annexure II)

Supply of Sugar to Delhi

3688. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sugar from the mills in Meerut Division is supplied to Delhi where the prices of sugar are comparatively high ;

(b) if so, whether the Metropolitan Council has requested Government for the supply of sugar from the mills in Muradabad Division where the rates of sugar are less by about Rs. 12 per quintal ; and

(c) the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in The Ministry of Food Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : Yes, Sir. Surplus sugar from mills in Meerut Division is supplied to Delhi and also to other states such as Punjab. Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

हल्दिया पत्तन तक एक्सप्रेस हाई वे

3689. श्री ह० प० चटर्जी :
श्री स० चं सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया पत्तन को कालाघाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ संस्था से मिलाने के लिये एक एक्सप्रेस हाईवे अथवा राष्ट्रीय राजपथ अथवा राज्य राजपथ बनाने का प्रस्ताव इस समय किस अवस्था में हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस काम के लिये भूमि अर्जित करने का काम पश्चिम बंगाल सरकार को सौंपा गया था ;

(ग) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायगा; और

(घ) क्या इसके लिये, टेंडर मांगे गये हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) पच्छिम बंगाल सरकार ने एक राष्ट्रीय मुख्य मार्ग लिंक का प्रस्ताव किया है जो हल्दिया पत्तन को कौलाघाट के निकट रा० मु० मार्ग 6 से मिलायेगी। भारत सरकार को इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिये राज्य सरकार से इस परियोजना के लिये अभिनवतम प्राक्कलन भेजने की प्रार्थना की गई है। अभी तक वह प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्राक्कलन के प्राप्त होने के बाद इस मामले पर निर्णय किया जायेगा।

(ख) : जी नहीं। राज्य सरकार से कुछ जरूरी सूचना पाने पर जिसकी प्रतीक्षा की जा रही है भूमि प्राप्ति के लिये प्राक्कलन अभी स्वीकृत किया जाने को है, परन्तु इस बीच भारत सरकार 1967-68 में भूमि प्राप्ति करने के लिये 6.20 लाख रुपया उद्दीष्ट करने के लिये सहमत हो गई है।

(ग) और (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

Unemployment in Azamagrh Dist. Due To Drought

3690. **Shri Ram Charan** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have provided any assistance to the Uttar Pradesh Government for the employment of persons rendered unemployed in Azamgarh District (U. P.) due to drought last year; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in The Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) : Relief operations includiig starting of relief works to provide employment and purchasing power to the population affected by scarcity are undertaken by the State Governments. The Central Government gives assistance to the State Governments in respect of the expenditure on

relief operations according to a prescribed pattern of assistance. The state Governments are free to set up any number of relief works they consider necessary in any scarcity-affected part of the State. Relief works were started in Azamgarh District to relieve the distress caused by the last year's drought but the projects had to be abandoned as labourers in sufficient numbers were not forthcoming to these works.

Other relief operations have, however been carried on in the district. The State Government have allotted to the district Rs. 20,000 for gratuitous relief, Rs. 50,000 for taccavi and Rs. 3,500 for miscellaneous relief expenditure. The state Govt. have also allotted to the district the following foodstuffs for distribution:--

Wheat	175 tonnes
Milkpowder	48 tonnes
Biscuits	2 tonnes

Central Aid to Famine Striceken Areas

3691. **Shri K.M. Madhukar** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Bihar have declared certain areas of the state as famine-stricken ;

(b) if so, whether Government propose to give a special Central grant for the convenience of the students of the famine-stricken areas ; and

(c) if so, the amount and the nature of the said grant ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annashib Shinde) (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The Bihar Government have a scheme to grant relief to students from the drought-affected areas. The scheme is estimated to cost Rs. 2 crores. The Bihar Government have requested that expenditure on this scheme may also be treated as entitled to Central assistance as in the case of other relief expenditure. The details of the scheme are being obtained from the Bihar Government and a decision in the matter will be taken after these details have been received.

Places of Tourist Interest in Rajasthan

3692. **Shri P. L. Barupal** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the Divisions in Rajasthan where there are places of tourist interest and where lodging and recreation facilities regarding Rajasthan and India are available ; and

(b) the schemes formulated for developing and making them more attractive particularly in the Bikaner Division ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (DR. Karan Singh) : (a) A statement giving the facilities created for tourists in Rajasthan during the Second & Third Five Year Plan periods is appended. [**Placed in Library, See No. LT-811/67**] Information on India can be obtained from the Govt. of India Tourist office at Jaipur and the State Govt. Tourist Information Bureaux at Jaipur, Ajmer, Bharatpur; Chittorgarh, Jodhpur, Mt. Abu and Udaipur.

(b) Under Part I of the Fourth Plan it is proposed to take up tourist schemes at Jaipur, Bharatpur and Deeg. Tourist schemes to be taken under Part II of the Plan have yet to be finalised in consultation with the State Government. Tentative proposals of the department of Tourism for Part II schemes have been mentioned in the statement appended.

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन समितियां

3693. श्री वामानी : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964 और 1966 के बीच की अवधि में उनके मन्त्रालय के अधीन कितनी सलाहकार और कार्यकारी समितियां बनाई गई ;

(ख) उन समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं और वे कब से काम कर रही हैं ;

(ग) ये समितियां क्या कार्य कर रही हैं ;

(घ) वर्ष 1966–67 में इन समितियों की कितनी बैठकें हुई ; और

(ङ) इन समितियों द्वारा सरकार को क्या सिफारिशें, सुझाव, संकल्प तथा प्रस्ताव किये थे और उन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ङ) पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में सामुदायिक विकास खण्डों के लिये नियतन

3694. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने 1967–68 में राज्य में विकास खण्डों के लिये नियतन बढ़ाये जाने के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. एस. गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में राष्ट्रीय राज-पथ

3995. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री ख० प्राधानी :
श्री हीरजी भाई :

क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उड़ीसा में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई कितने मील थी, और

(ख) इन राजपथों के नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 30 अप्रैल, 1967 को उड़ीसा में राष्ट्रीय मुख्यमार्गों की संपूर्ण लम्बाई 1363·20 किलोमीटर (अर्थात् 852 मील) थी। इसमें नगरपालिका सीमाओं के अनुभाग शामिल नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्याओं द्वारा निर्दिष्ट किये जाते हैं जो नीचे दिये जा रहे हैं:—

क्रम संख्या	राष्ट्रीय मुख्यमार्ग संख्या	मार्ग
1	5	कलकत्ता–कटक–विजग–मद्रास रोड़
2	6	धूलिया–नागपुर–सांमलपुर–कलकत्ता रोड़
3	42	सांभपुलर–कटक–रोड़
4	43	रायपुर–विजयानगरम् रोड़

उड़ीसा द्वारा ट्रैक्टरों का आयात

3696. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री हीरजी भाई :
श्री ख० प्रधानी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966–67 और 1967–68 में भारी ट्रालर ट्रैक्टर आयात करने के लिए उड़ीसा सरकार को विदेशी मुद्रा दी गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन और बंबई के बीच तटवर्ती सड़क

3697. श्री अ०क० गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री वासदेवन नायर :
श्री जर्नादनन् :
श्री अदिचन :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोचीन और बंबई के बीच एक तटवर्ती सड़क बनाने की योजना मंजूर की है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आने का अनुमान है ;

(ग) इसका निर्माण-कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(घ) इसका निर्माण कार्य किस अवधि के अन्दर पूरा करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ) : संभवत: सदस्यों का संकेत पश्चिमतट सड़क की ओर है जो महाराष्ट्र राज्य में पनवेल से केरल राज्य में चालीस सारीतक विकासाधीन है। भारत सरकार ने इस सड़क को इकहरी सली पुल समाविष्ट डामर सड़क के रूप में विकसित करने के लिये धन की व्यवस्था करने की सहमति देदी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सहमति किये क्षेत्र की योजना की प्राक्कलित लागत 22.39 करोड़ रुपये हैं। सड़क का विकास 1956 से हो रहा है और आवश्यक धन उपलब्ध होने पर चतुर्थ योजना काल के अन्त तक इसके पूर्ण होजाने की आशा है।

केन्द्रीय सड़क निधि

3698. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 तथा 1967-68 में केन्द्रीय सड़क निधि से उड़ीसा के लिये कितनी राशि नियत की गई; और

(ख) वर्ष 1966–67 में इस धन का उपयोग किस तरह किया गया और वर्ष 1967-68 में किस तरह उपयोग करने का विचार है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 1966 67 में 9.00 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी। 1967 तक के बजट में 15.00 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

केरल में छोटे बन्दरगाहों का विकास

3699. **श्री अ० क० गोपालन** :
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री प० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री चक्रपाणि :

क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की है कि उन्हें एक समुद्री ड्रेजर (निकर्षक) दिया जाये,

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से यह भी प्रार्थना की है कि सभी छोटे पत्तनों का विकास करने हेतु एक वृहद योजना बनाने में उनकी सहायता की जाये, और

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस काम के लिये तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) : समुद्रगामी ड्रेजर की लागत भी शामिल करने के लिए केरल प्रदेश के छोटे पत्तनों के विकास के लिए चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे के केन्द्रीय क्षेत्र में की गयी 85.21 लाख रुपये की व्यवस्था को बढ़ाकर 325 लाख रुपया करने के लिए केरल सरकार ने अप्रैल, 1967 में मांग की थी। वैकल्पिक तौर पर उसने यह सुझाव दिया कि छोटे पत्तन निकर्षण और सर्वेक्षण संस्था के दो ड्रेजरों में से एक ड्रेजर उस सरकार के सुपुर्द कर दिया जाय। इस निर्णय की दृष्टि से कि राज्य सरकारों को केन्द्र द्वारा की जाने वाली सहायता केवल तीसरी योजना के केन्द्रीय क्षेत्र से आगे लायी गई योजनाओं तक ही समिति रखी जाय। चौथी योजना की व्यवस्था में वृद्धि करना संभव न था। छोटे पत्तन निकर्षण और सर्वेक्षण संस्था का एक ड्रेजर अब भावनगर में काम कर रहा है और दूसरा गारंटी अवधि के दौरान कलकत्ता में है। राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है कि 1967 के अंत में उसे एक ड्रेजर उपलब्ध किये जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) : केरल सरकार से हाल ही में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि उस राज्य में छोटे पत्तनों पर अध्ययन करने तथा उन पत्तनों के विकास के लिए मास्टर योजना तैयार करने के लिए कोलम्बो योजना के अंतर्गत उसे एक विदेशी विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान की जायें। इस का परीक्षण किया जाएगा।

Price of Rice in Jammu and Kashmir

3700. **Shri Ram Gopal Shalwale :**
Shri O. P. Tyagi :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be plesaed to state :

(a) the rate at which rice is sold at Government shops in Kashmir;

(b) whether it is a fact that the loss suffered as a result of selling rice at subsidised rates is borne by the Central Government;

(c) the total amount spent by Government during the last three Five-Year plans for selling foodgrains at subsidised rates in Kashmir;

(d) whether the said facilities have been extended to some other states such as hilly areas of Bihar and tribal areas of Orissa as well; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Rs. 36/-to Rs. 43/-per quintal as reported on 7-3-1967.

(b) No, Sir. Except the built-in subsidy in the issue prices of the Central Government, which is available to all States, no special subsidy is borne by the Govern ent of India in maintaining the consumers price indicated in part (a) in Jammu and Kashmir.

(c) to (e) Do not arise.

मध्य प्रदेश में गेहूं का समाहार मूल्य तथा विक्रय मूल्य

3701. श्री बाबू राव पटेल : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने स्थानीय गेहूं का क्रय तथा विक्रय मूल्य बढ़ा दिया है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने मूल्य में वृद्धि करने के लिये केन्द्र की पूर्वानुमति प्राप्त की थी;

(ग) क्या सरकार को समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों का पता है कि स्थानीय बाजारों में गेहूं के मूल्य अचानक बढ़ गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार की इस कार्यवाही के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्य केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराये गये थे। विक्रय मूल्यों को केन्द्रीय सरकार से अनुमोदित कराने की आवश्यकता नहीं है।

(ग) जी हां।

(घ) उत्तर के भाग (ख) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

Experiment at Punjab Agriculture University to Grow Hybrid Seed of Wheat

3702. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether an experiment is being conducted in the Punjab Agricultural University, Ludhiana to grow a hybrid seed of wheat out of improvised seed of rye and wheat so that it may produce wheat like grain and plant like that of rye; and

(b) if so, the details of the success achieved so far in respect thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture. Commnnity Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Research work to explore potential of wheat and rye crosses is proposed to be initiated by the Punjab Agricultural University. No work in this direction has, however, been done there so far.

(b) Does not arise at this stage.

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ

3703. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या परिवहन तथा नौवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1967 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथों की लम्बाई कितने मील थी, और

(ख) उनके नाम क्या हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) 30 अप्रैल, 1967 को उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय मुख्य मार्गों की कुल लम्बाई 1455 मील थी।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 802/67**]

गेहूं और चावल का प्रति व्यक्ति उपभोग

3704. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1965-66 में प्रत्येक राज्य में चावल और गेहूं तथा अन्य अनाजों की प्रति व्यक्ति उपज तथा प्रति व्यक्ति उपभोग के आंकड़े क्या थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : एक विवरण, जिसमें औसत प्रति व्यक्ति उत्पादन तथा विभिन्न राज्यों में मानव उपभोग के लिये औसत प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्ध मात्रा के प्राक्कलन दिये गये हैं, संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 803/67**] उपभोग के स्तरों और ढ़ंगों के सम्बन्ध में वैज्ञानिक और विस्तृत सर्वेक्षण के अभाव में प्रत्येक प्रकार के अनाज के लिये प्रति व्यक्ति उपभोग के बारे में वास्तविक आंकड़े बताना सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई

3705. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि केन्द्रीय सरकार ने गत वर्ष उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की रासायनिक उर्वरकों की सप्लाई की सारी मांग पूरी नहीं की;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके बारे में केन्द्र से शिकायत की है; और

(ग) यदि हां. तो क्या आगामी वर्ष के लिये उत्तर प्रदेश के उर्वरकों का कोटा बढ़ाने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) जी नहीं। आयातित तथा देशीय उत्पादन की उपलब्धि और प्राथमिक कृषि उत्पादन कार्यक्रमों की जरूरतों को दृष्टि में रखते हुए 1966-67 में उत्तर प्रदेश की उर्वरकों की आवश्यकताओं का अनुमान 1,26,709 टन नाइट्रोजन था और यह मात्रा पूरी नियत कर दी गई थी।

(ग) ऐसा विचार है कि यह संदर्भ 1967-68 के बारे में है, विभिन्न जरूरतों के आधार पर आयात तथा देशीय उत्पादन की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए 1967-68 में

केन्द्रीय उर्वरक पूल से 1,46,810 टोन नाइट्रोजन अलाट करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को आशा है कि 1967–68 में कारखानों से 21,000 टन नाइट्रोजन के बराबर उर्वरक मिल जाएगा। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को उर्वरक 1966–67 की अपेक्षा 1967–68 में अधिक दिया गया है।

गोदामों में रखे अनाज की क्षति

3706. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 में अनाज लाने ले जाने तथा गोदामों में रखने में अनाज की कितनी क्षति हुई;

(ख) इसके क्या कारण थे और इस प्रकार की क्षति को कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1965–66 में खाद्यान्न लाने ले जाने तथा संचयन में खाद्यान्नों की निम्नलिखित क्षति हुई:—

	क्षति हुई मात्रा	सम्भालने बांटने में कुल मात्रा की क्षति का प्रतिशत
1. लाने ले जाने में क्षति	25,316	0.29
2. संचयन में क्षति	6,300	0.13

(ख) कुछ क्षति लाने ले जाने या संचयन में होती है, क्योंकि लादने और उतारने वाले केन्द्रों या प्राप्त करने और देने वाले केन्द्रों पर तौलने के तरीके एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसी क्षति नाम मात्र होती है।

लाने ले जाने और संचयन में, तौल में, कुछ क्षति अनाज के नमी से शोषने के कारण होती है। ऐसी क्षति केवल वज़न में ही होती है और अनाज के दाने को क्षति नहीं पहुंचती है।

संचयन में क्षति कीटाणुओं के द्वारा दूषण और चूहों, पक्षियों, गिलहरी आदि के कारण खराब करने से होती है। ऐसी क्षति की रोकथाम के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(1) सरकार ने चूहों और सीलन से सुरक्षित गोदाम बनवाये हैं।

(2) अनाज की बोरियों के लिये उपयुक्त निभार सुलभ किया जाता है।

(3) प्राप्त करते समय, संचयन में और देते समय अनाज का तकनीकी योग्यता प्राप्त स्टाफ द्वारा निरीक्षण किया जाता है।

(4) जब कभी आवश्यक होता है, समय समय पर कीट-नियन्त्रण के लिये तकनीकी उपचार किये जाते हैं ।

लाने ले जाने में क्षति वैगन में अनाज के दाने गिरने और वैगन के दरवाजे की तरेड़ या सम्भालने में बोरियों के फट जाने के कारण होती है । गिरे हुये दाने एकत्रित कर लिये जाते हैं और जहां सम्भव होता है उसका उपयोग किया जाता है । कम से कम अनाज बिखरे इसके लिये बोरियां भरते तथा सम्भालते समय निगरानी रखी जाती है ।

लाने ले जाने में क्षति कम करने के लिये निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(1) लादते तथा उतारते समय सुरक्षा सम्बन्धी उपाय कड़े कर दिये गये हैं ।

(2) जहां आवश्यक होता है लाने ले जाने के लिये लादने के स्थान और गोदाम के बीच के रास्ते के लिये अनुरक्षक किये जाते हैं ।

(3) भेजने और प्राप्त करते समय दोनों बार वजन किया जाता है ।

(4) रेलवे या सड़क परिवहन ठेकेदारों द्वारा जो हानि होती है उसके लिये मान्य दावे दायर करने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जाती है ।

(ग) रेल द्वारा लाने ले जाने में हुई क्षति के मामलों में जहां रेलवे के विरुद्ध दावे होते हैं, उनसे वसूली करने के लिये कदम उठाये गये हैं । इसी प्रकार सड़क परिवहन के मामले में जहां सम्भव होता है सड़क परिवहन ठेकेदारों पर जिम्मेदारी डाली जाती है और उनसे वसूली की जाती है । अन्य हानियों के लिये भी हानि का नियमानुकूलन करने के लिये कार्यवाही करने से पूर्व जिम्मेदारी निश्चित करने की दृष्टि से जांच पड़ताल की जाती है ।

उत्तर प्रदेश को गेहूं तथा चीनी की सप्लाई

3707. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 में उत्तर प्रदेश के लिये गेहूं तथा चीनी की कितनी मात्रा नियत की गई थी और उसमें से वस्तुतः कितनी दी गई; और

(ख) वर्ष 1967-68 के लिये उत्तर प्रदेश की गेहूं तथा चीनी की कितनी मांग है ?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) उत्तर प्रदेश को 1966-67 (अप्रेल-मार्च) में आयातित गेहूं और चीनी की आवंटित और वास्तविक भेजी या दी गई मात्रा इस प्रकार थी:-

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

	आवंटन	भेजी या दी गई मात्रा
गेहूं	677.4	621.1
चीनी	328.9	343.1

(ख) आवश्यकताओं का मूल्याकंन करना सम्भव नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 लाख मीटरी टन गेहूं का प्रति मास आवंटन करने और 2.4 लाख मीटरी टन चीनी 1967–68 के पूरे वर्ष के लिए देने को कहा था।

प्रयोगात्मक नल कूप

3708. श्री नाथूराम अहिरवार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने प्रत्येक राज्य में प्रयोगात्मक नलकूप लगा कर भूमि के नीचे के जल का कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) उनमें से कितने नलकूप अच्छे जलभृतों में लगाये जाने के कारण सफल रहे और कितने नलकूपों में पानी के अच्छे स्रोत अथवा जल वाले क्षेत्र नहीं मिले तथा उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या इन प्रयोगात्मक नलकूपों के आधार पर प्रत्येक राज्य में कुछ क्षेत्र चुने गये हैं तथा वहां पर नलकूप लगा कर उन क्षेत्रों का विकास करने की सिफारिश की गई हैं;

(घ) इन राज्यों के विभिन्न भागों में वर्तमान नलकूपों से कितने क्षेत्र में सिंचाई होती है; और

(ङ) इन चुने हुए क्षेत्रों में नलकूपों द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां, समन्वेषी नलकूप संस्था देश के विभिन्न भागों में प्रयोगात्मक नलकूप लगाकर भूमिगत जल का सर्वेक्षण करती रही है।

(ख) अब तक संस्था ने 580 समन्वेषी छिद्रण किये हैं, जिनमें से 263 सफल सिद्ध हुए हैं। राज्यवार ब्योरा संलग्न परिशिष्ट 1 में दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 804/67**]

(ग) जी हां, 14 राज्यों में 84 क्षेत्र भूमिगत जल के लिये सफल सिद्ध हुए हैं। और नलकूपों द्वारा उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए सिफारिशें की गई हैं।

(घ) राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी संलग्न परिशिष्ट 2 में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 804/67**]

(ङ) यदि एक नलकूप से औसतन 200 एकड़ भूमि की सिंचाई हो तो समन्वेषी नलकूप द्वारा किये गये 263 सफल छिद्रणों से लगभग 52,600 एकड़ भूमि की सिंचाई होने की सम्भावना है।

दक्षिण अमरीका से चावल की खरीद

3709. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाया गया है कि दक्षिण अमरीकी देशों से चावल मिल सकता है; और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1967–68 में इन देशों से कितना चावल आयात किये जाने की सम्भावना है और किस मूल्य पर ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) खरीद की जाने वाली मात्रा, उसकी कीमत और अन्य शर्तों के बारे में अभी भी बातचीत हो रही है ।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में वैज्ञानिकों के लिये योग्यता योजना

3710. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में वैज्ञानिकों के लिये योग्यता योजना आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) पूछी गई जानकारी का एक विवरण संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखा गया**, देखिये संख्या एल० टी० 805/67]

नदियों के किनारों के पास की भूमि में खेती

3711. श्री अब्दुल गनी दार : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'अधिक अन्न उपजाओ योजना' के अन्तर्गत नदियों के किनारों के पास वाली भूमि में खेती करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और क्या इस मामले में राज्य सरकारों से परामर्श किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) नदियों के किनारे के पास वाली भूमि में खेती करने की कोई केन्द्रीय योजना नहीं है । हां, जलोढ़ भूमि में बाढ़ों के मौसम के पश्चात रबी की फसलें बोई जाती हैं । फसलें उगाने के लिए नदियों के सिंचित सूखे क्षेत्रों का भी उपयोग किया जाता है । बान्धों के बीच आने वाली परन्तु जलमग्न न होने वाली भूमि में स्थानीय अधिकारों व रिवाजों के अनुसार खेती की जाती है ।

(ख) सतलुज नदी के पाट की 7091 एकड़ भूमि में एक केन्द्रीय बीज फार्म की स्थापना के बारे में भारत सरकार पंजाब सरकार के साथ पत्र-व्यवहार कर रही है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में अनुसन्धान कार्य के लिये छात्रवृत्तियां

3712. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में अनुसन्धान कार्य के लिये इस समय कितने को सरकारी छात्रवृत्तियां मिल रही हैं; और

(ख) उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने छात्र हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् में (एम० एस-सी तथा पी०एच-डी स्तर पर) अनुसंधान कार्य के लिए इस समय 324 छात्रों को छात्रवृत्तियां मिल रही हैं। इनमें से 136 को चौथी योजना व्यवस्थाओं में से और 188 को भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् सैंस फन्डों से धन दिया जाता है।

(ख) छात्रवृत्ति पाने वाले अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो के छात्रों की संख्या इस समय ज्ञात नहीं है, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई जानकारी एकत्रित नहीं की गई है।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्

3713. श्री रामचन्द्र उलाका : श्री ख० प्रधानी :
श्री धुलेश्वर मीना : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 में भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् की कितनी बैठकें हुई; और

(ख) इन बैठकों में किन-किन विषयों पर मुख्य रूप से विचार-विमर्श किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1966 में 56 बैठकें हुई थीं जिनमें समिति, उसकी अन्तरंग सभा, स्थायी वित्त समिति, कृषि अनुसन्धान विषयक स्थायी समिति, पशु विज्ञान अनुसन्धान विषयक स्थायी समिति, कृषि शिक्षा विषयक स्थायी समिति, कृषि सांख्यिकीय विपणन अनुसन्धान विषयक स्थायी समिति तथा वैज्ञानिक एवं पण्य समितियों की बैठकें शामिल थीं।

(ख) सम्भवतः विचार-विमर्श का अभिप्राय निर्णयों से है। नई स्कीमों की मन्जूरी तथा प्रचलित स्कीमों के अतिरिक्त बैठकों में निम्न निर्णय किये गये:-

(1) कृषि अनुसन्धान के राष्ट्रीय कार्यक्रम के प्रशासन व उसे तकनीकी ढंग से सक्षम बनाने के लिए तथा समिति को एक स्वायत्त संस्था के रूप में विकसित करने के लिए समिति के संशोधित नियमों का अपनाना;

(2) स्थायी वित्तीय समिति तथा उसके कार्यकलापों के संविधान का संशोधन करना;

(3) अब तक सरकार तथा पण्य समितियों के अधीन कार्य करने वाली विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं का (उनकी सम्पत्ति व दायित्व सहित) हस्तान्तरण करने की स्वीकृति देना;

(4) परिषद् के मुख्य कार्यालय में उच्च तकनीकी वैज्ञानिकों के स्तर पर संशोधित गठन को अन्तिम रूप देना तथा राष्ट्रीय महत्व की तीन केन्द्रीय संस्थाओं के निदेशकों का अपग्रेड करना;

(5) परिषद् के अनुसन्धान कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि का क्रय करना;

(6) परिषद् की संस्थाओं में समस्त वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिए 'मेरिट प्रोमोशन' व एडवांस इन्क्रीमेंट' देने की योजना का विस्तार करना;

(7) परिषद् की वैज्ञानिक तथा पण्य समितियों के स्थान पर उच्च कोटि के छोटे वैज्ञानिक पैनलों की नियुक्ति करना; तथा

(8) परिषद् के मुख्य कार्यालय में एक सिविल इन्जीनियरिंग यूनिट की स्थापना करना।

उड़ीसा के लिए पम्पिंग सेट

3714. श्री धुलेश्वर मीना : श्री ख० प्रधानी :
श्री रामचन्द्र उलाका : श्री हीरजी भाई :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उड़ीसा राज्य को पम्पिंग सेटों की सप्लाई करने के लिये उड़ीसा सरकार से हाल में कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में दिघा में हवाई अड्डा

3715. श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में दिघा में पर्यटकों के लिये एक हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कार्य रूप देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) इस हवाई अड्डे पर कितनी लागत आयेगी और इसके लिये कौनसा स्थान चुना गया है; और

(घ) इसके कब तक पूरा होने की आशा है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) फिलहाल भारत सरकार का दिघा में हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Marriages under the Child Marriage Restraint Act, 1929.

3716. **Shri Valmiki Choudhary :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the number of marriages held in the country after the enactment of the Child Marriage Restraint Act, 1929, in which the ages of bridegrooms and brides were lesser than the fixed limit; and

(b) the action taken by Government in regard to such marriages ?

The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri D. R. Chavan) : (a) The Child Marriage Restraint Act, 1929, being a matter in the concurrent field of legislation, is administered by the State Governments and as such the information is not available with the Central Government. Moreover as the Act has been in force for about 38 years, it may not be practically possible even for the State Governments to supply the information.

(b) Does not arise.

Regional Director of Food, New Delhi

3717. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri O. P. Tyagi :
Shri N. S Sharma :
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri T. P. Shah :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Food Corporation of India has taken over all the Depots under the Regional Director of Food, New Delhi with effect from the 1st November, 1966;

(b) whether one Deputy Director, one Assistant Director and almost the same number of employees are still working in the Accounts Branch of the office of the Regional Director; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasaheb Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) One post of Deputy Director, one post of Assistant Director and a considerably reduced number of other staff have been continued in the Accounts Branch of the Regional office to finalize the residuary work relating to the accounts of the Northern Region.

उड़ीसा में सहकारी चीनी मिलें

3718. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्‍ उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1967–68 में उड़ीसा में कोई सहकारी चीनी मिल स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका व्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) बारागढ़ (उड़ीसा) में एक सहकारी चीनी कारखाने के लिए लाइसेंस दिया गया है, कि 1967–68 में इसके स्थापित किए जाने की सम्भावना नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सहकारिता आन्दोलन के लिये सहायता

3719. श्री धुलेश्वर मीना : **श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका : **श्री हीरजी भाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने 1966–68 में उड़ीसा में सहकारिता आन्दोलन को तेज करने के लिये उड़ीसा सरकार को कोई ऋण अथवा अनुदान दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) 1966–67 में सहकारी विकास योजनाओं के लिए उड़ीसा सरकार को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों का एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 806/67]**

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक की पुर्नानियुक्ति

3720. श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक को सेवा-निवृत्त होने के बाद पुनः नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो युवा वैज्ञानिकों के लिए रोजगार के क्या अवसर हैं, जबकि ऐसे लोगों को 58 वर्ष की आयु हो जाने पर सेवानिवृत्त नहीं किया जाता; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में वैज्ञानिकों के 'पूल' में से कितने व्यक्तियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियुक्त किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पिछले 5 वर्षों में वैज्ञानिकों के पूल के 10 पूल अधिकारियों को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् में नियुक्त किया गया है।

निकोबार द्वीप के सामुदायिक विकास खण्डों पर खर्च

3721. श्री रा० कृ० सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963 से लेकर 1967 तक निकोबार द्वीप सामुदायिक विकास खण्ड पर कुल कितना खर्च आया;

(ख) निकोबार के आदिम जातीय लोगों के लिये विकास खण्ड द्वारा चलाई गई सामुदायिक योजनाओं तथा उनके वास्तविक कल्याण कार्यों पर वर्ष-वार कितना खर्च किया गया; और

(ग) योजना-बार कितना खर्च किया गया ?

खाद्य. कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) रु० 6,23,205

(ख)

1963–64	रु० 86,029
1964–65	रु० 69,230
1965–66	रु० 69,976
1966–67	रु० 61,964

(ग) योजनाओं की विभिन्न विकास मदों के अन्तर्गत किया गया व्यय इस प्रकार है :

1. कृषि तथा पशुपालन योजनाएं	रु० 36,409
2. स्वास्थ्य तथा ग्राम सफाई योजनाएं	रु० 1,00,202
3. शिक्षा योजनाएं	रु० 43,428
4. समाज-शिक्षा योजनाएं	रु० 69,382
5. ग्रामोद्योग योजनाएं	रु० 31,598
6. आवास योजनाएं	रु० 6,180

राजस्थान नहर परियोजना का सर्वेक्षण

3722. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री यशपाल सिंह :
श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री राममूर्ति :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री नायनार :
श्री नम्बियार :
श्री चक्रपाणी :
श्री अनिरुद्धन :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना के दूसरे चरण के लिये हवाई सर्वेक्षण करने के लिये एक अमरीकी फर्म को चुना गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बात के लिये क्या बचाव किया गया है कि इस सर्वेक्षण में जैसलमेर तथा बीकानेर जिलों के सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के नक्शे आदि लेने नहीं दिये जायेंगे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

निर्वाचन उपायुक्तों के पद बनाना

3723. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चतुर्थ साधारण निर्वाचनों के लिए निर्वाचन उपायुक्तों के कुछ पद बनाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने पद बनाये गये थे तथा उन पदों पर किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था; तथा

(ग) क्या यह सच है कि कुछ पद बहुत समय तक खाली रखे गये थे ?

विधि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। चतुर्थ साधारण निर्वाचनों के लिए निर्वाचन उपायुक्तों के तीन पद सृजित किए गए थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक आफिसर श्री एन० डी० बुच के रक्षा मंत्रालय से अन्तरण द्वारा केवल एक पद भरा गया था।

(ग) जी हां, अन्य दो पदों को भागत: मितव्ययिता की दृष्टि से और भागत: इन पदों के लिए अल्प सूचना पर वास्तविक रूपेण यथोचित व्यक्तियों को प्राप्त करने में कठिनाई के कारण नहीं भरा गया था।

कृषि-उत्पाद परिष्करण उद्योगों की स्थापना

3724. **श्री अगाड़ी** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों ने भारतीय सहकारी संस्थाओं को कृषि-उत्पादन परिष्करण उद्योगों की स्थापना में कोई मदद देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों ने और उनकी सहयोग की शर्तें क्या हैं और इन उद्योगों में कौन-कौन सी वस्तुएं तैयार करने का विचार है, और इन उद्योगों की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) किसी अन्य देश ने भारतीय सहकारी संस्थाओं के सहयोग से कृषि परिष्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, बलगेरिया, हंगरी तथा युगोस्लाविया ने भारत से साथ किए गए रुपया व्यापार करारों के अन्तर्गत भारतीय सहकारी संस्थाओं को फल तथा सब्जी परिष्करण मशीनें सप्लाई करने में रुचि दिखाई है।

मैसूर राज्य में हवाई अड्डे

3725. श्री अगाड़ी : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य में नये हवाई अड्डे अथवा विमान-पट्टियां (एयर स्ट्रिप्स) बनाने तथा वर्तमान हवाई अड्डों का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर नये हवाई अड्डे अथवा विमान-पट्टियां बनाने तथा किन-किन हवाई अड्डों का विस्तार करने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यटक यातायात के लिये हस्सन, बीजापुर और हौजपेट में नये हवाई अड्डे बनाने का प्रस्ताव है।

मैंगलौर के हवाई अड्डे का फाकर फ्रेंडशिप विमानों के परिचालन के लिये, तथा यदा क ा वाइकाउंटों के उपयोग के लिये, विकास किया जा रहा है।

तुंगभद्रा नदी पर पुल

2726. श्री अगाड़ी · क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर तथा आन्ध्र प्रदेश सरकारों ने रायचूर और कुरनूल जिलों की सीमा पर माधववरम-मंत्रालय के निकट तुंगभद्रा नदी पर एक अन्तर्राज्यीय पुल बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है,

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है तथा इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) इस कार्य के कब तक आरम्भ होने तथा कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) इस पुल के लिये मैसूर सरकार ने अभी हाल ही में अनुदान की प्रार्थना भेजी है, जिसकी लागत 45 लाख रुपये प्राक्कलित की जाती है। इस मामले में आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मैसूर सरकार की प्रार्थना की परीक्षा की जा रही है, परन्तु इस मामले में चतुर्थ योजना के लिये आवंटनों को अन्तिम रूप दिये जाने पर ही निर्णय लिया जा सकेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पर्यटकों को सुविधायें देने के लिये आयातित मोटर गाड़ियां

3727. **श्री अगाड़ी** : क्या पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को सुविधायें प्रदान करने वाली अपनी एजेंसियों के लिये विदेशों में निर्मित तथा आयातित मोटर गाड़ियां खरीदी हैं;

(ख) यदि हां, तो 1965 से अब तक वर्ष बार ऐसी कितनी और किस-किस माडल की मोटर गाड़ियां खरीदी गई हैं और प्रत्येक का मूल्य कितना था;

(ग) इनके खरीदे जाने से अब तक ये मोटर गाड़ियां औसतन प्रति मास कितने मील चलती रही है और वे अब किन स्थानों में चल रही हैं; और

(घ) कौन-कौन सी एजेंसिया इन मोटर गाड़ियों को प्रयोग कर रही हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) 1965 में 45 डोज पोलारा 1965 माडल वातानुकूलित कारें आयात की गई थीं, तथा कामेक्स एक्सपीडीशन 1 से 5 फोर्ड टेम्स गाड़ियां (कोचें) खरीदी गई थीं।

(i) इन कारों का मूल्य अन्तिम रूप से अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। प्रत्येक कार का मूल्य लगभग 40,000/– रुपये से 45,000/– रुपये तक होने की आशा है।

(ii) प्रत्येक गाड़ी (कोच) का मूल्य लगभग 1,15000/– रुपये है।

(ग) कारें : लगभग 1720 मील प्रति मास प्रति कार।
गाड़ियां (कोचें) : 1211 मील प्रति मास प्रति गाड़ी (कोच)।

ये गाड़ियां मुख्यतया दिल्ली, बम्बई, बेंगलोर तथा त्रिवेन्द्रम् में चल रही हैं (भारत पर्यटन विकास निगम कोच सेवाएं दिल्ली में और दिल्ली तथा चन्डीगढ़ व दिल्ली तथा जयपुर के बीच चलाता है)।

(घ) 1. इण्डिया टूरइज्म डेवेल्पमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली।

2. इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन, नई दिल्ली।

3. मैसर्स मोडर्न गैरेज, बम्बई।

4. मैसर्स शूयरफ्लीट मोटर सर्विस, बम्बई।

5. मैसर्स सांघी मोटर्स (बम्बई) प्राईवेट लिमिटेड, बम्बई।
6. मैसूर स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन, बंगलौर।
7. केरल टूरइजम एण्ड हैण्डीक्राफ्ट कारपोरेशन (स्टेट ओंड अंडरटेकिंग) त्रिवेन्द्रम।
8. प्रधान मंत्री।
9. अलाट की जाने वाली कारें।

पांचों गाड़ियां इन्डिया टूरइजम डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा चलाई जा रही हैं।

वर्ष 1961 से लेकर 1965 तक खोदे गए उपयोगी नल-कूप

3728. श्री सेक्वीरा : श्री प० मु० सैयद : श्री एस० एम० जोशी : डा० सूर्य प्रकाश पुरी : श्री मधु लिमये :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1961–62, 1965 तथा 1966 में प्रत्येक राज्य में कितने-कितने उपयोगी नलकूप खोदे गये हैं; और

(ख) वर्ष 1967 में प्रत्येक राज्य में कितने नलकूप खोदने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में अधिक उपज वाली किस्मों की खेती का कार्यक्रम

3729. श्री दे० अमात : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967–68 में 1 करोड़ 61 लाख एकड़ भूमि में अधिक उपज वाली किस्मों की प्रस्तावित खेती में से उड़ीसा में कितने एकड़ भूमि में पृथक-पृथक धान, मक्का और ज्वार की खेती की जायेगी।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : 1967–68 के दौरान उड़ीसा में धान, मक्का और ज्वार की अधिक उपज वाली किस्मों की खेती लगभग 3,83,100 एकड़ भूमि में की जाने का प्रस्ताव है, ये निम्न-लिखित हैं :—

(क्षेत्र 1000 एकड़ों में)

फसल	खरीफ 67 के लिये लक्ष्य	1967-68 रबी/समर के लिये लक्ष्य	कुल
धान	220	140	360
मक्का	12	8	20
ज्वार	3	0.1	3.1
	235	148.1	

इसके अतिरिक्त रबी मौसम 1967–68 के दौरान लगभग 5,000 एकड़ भूमि में मैक्सिकन गेहूं भी उगाया जाएगा ।

गेहूं देने के बारे में पंजाब का प्रस्ताव

3730. श्री यज्ञदत्त शर्मा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने चालू फसल में केन्द्र को पांच लाख टन गेहूँ देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) पंजाब को चालू वर्ष अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये कितना आयातित गेहूँ दिया जा रहा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी नहीं, चालू मौसम में केवल लगभग 2 लाख मीटरी टन देशी गेहूँ पंजाब सरकार द्वारा केन्द्रीय भंडार में दिये जाने की आशा है ।

(ख) गेहूँ के बारे में पंजाब के अधिशेष राज्य होने के कारण, उसे आयातित गेहूं नहीं दिया जा रहा है । तथापि, राज्य की रोलर फ्लोर मिल्स की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस समय लगभग 5,000 मीटरी टन आयातित गेहूं इन मिलों को प्रति मास दिया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश में परिवहन व्यवस्था

3731. श्री गा० शं० मिश्र : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सड़क परिवहन व्यवस्था में सुधार करने के लिये कोई योजना प्रस्तुत की है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अभी तक ऐसी कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

आस्ट्रेलिया से उर्वरक

3732 श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 में आस्ट्रेलिया से कितनी मात्रा में उर्वरक प्राप्त हुए; और

(ख) वर्ष 1967–68 के लिए 20 लाख डालर के ऋण के अन्तर्गत कितना उर्वरक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई नहीं।

(ख) आर्थिक कार्य विषयक विभाग द्वारा प्रति वर्ष नियत की गई विदेशी मुद्रा की सहायता से कृषि विभाग उर्वरकों के आयात का प्रबन्ध करता है। 1967–68 में उर्वरकों के आयात के लिए आस्ट्रेलियन ऋण निधि हेतु अभी तक कोई नियतन नहीं हुआ है। परन्तु भूख से छुटकारा अभियान के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से 85,348 डालर के मूल्य के उर्वरकों की उपलब्धि की आशा है। रुपयों के रूप में इन उर्वरकों के मूल्य को भूख से छुटकारा अभियान वैशाखापटनम (आन्ध्र प्रदेश) के युवा कृषकों का प्रशिक्षण फार्म पर खर्च करने का प्रस्ताव है।

Per Capita Sugar Supply to Bihar

3733. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1562 on the 6th June, 1967 and state :

(a) the specific reasons due to which sugar is supplied to Bihar at the rate of 2.12 kilos per head per annum only, whereas to West Bengal, Maharashtra, Delhi. Chandigarh and to Punjab it is supplied at the rate of 5.27 kilos, 6.36 kilos, 21.13 kilos, 30.000 kilos and 6.57 kilos. respectively; and

(b) whether more sugar is produced in the said States as compared to Bihar ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Saheb Shinde) : (a) Monthly quotas of sugar have been fixed having regard to consumption trends in the past, These trends vary from area to area depending upon the habits of the people. industrialisation, urbanisation and availability of the sweetening agents like gur and khandsari, etc.

(b) No, Sir, except for Maharashtra which State produced more sugar than Bihar.

मनीपुर में सहकारी समितियां

3734. **श्री मेघचन्द्र : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य क्षेत्र में कितनी पंजीकृत सहकारी समितियां अब तक परिसमाप्त हुई हैं;

(ख) कितनी सहकारी कृषि समितियां इस समय काम कर रही हैं तथा उनके नियन्त्रणाधीन कितना क्षेत्र है;

(ग) सहकारी कृषि समिति के रूप में पंजी कराने के लिये, प्रस्तुत किये गये कितने आवेदन-पत्र इस समय विचाराधीन पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनको निपटाने में देरी होने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

फ्लाइंग क्लब

3735. श्री आत्म दास :
श्री यशपाल सिंह :
श्री राम गोपाल शालवाले :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल के मूल्य बढ़ जाने से भारत के फ्लाइंग क्लबों पर, विशेष रूप से दिल्ली फ्लाइंग क्लब पर, बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या फ्लाइंग क्लबों ने पेट्रोल पर छूट दी जाने तथा उड़ान के घंटे बढ़ाये जाने के लिये असैनिक उड्डयन के महानिदेशालय से अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग) पेट्रोल की कीमत में वृद्धि से फ्लाइंग क्लबों के परिचालन व्ययों में वृद्धि होना अनिवार्य है । परन्तु अभी तक किसी भी फ्लाइंग क्लब से पेट्रोल की कीमत में कोई छूट देने के लिये आवेदन नहीं प्राप्त हुआ है । कुछ क्लबों ने नागर विमानन के महानिदेशक से चालू वित्तीय वर्ष में जितने उड़ान के घंटों तक वे उपदानित उड़ान प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं; उनकी संख्या में वृद्धि के लिये आवेदन किया है । मामले की जांच की जा रही है ।

केम्मनगुडी हिल स्टेशन का विकास

3736. **श्री अगाड़ी** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये मैसूर राज्य में प्रसिद्ध हिल स्टेशन केम्मनगुडी का विकास करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च आयेगा; और

(ग) यह कार्य कब आरम्भ होगा और कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । केन्द्रीय सरकार का मैसूर राज्य में केम्मनगुडी हिल स्टेशन का विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये विकास करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश में ट्रैक्टर

3737. **श्री बे० ना० कुरील :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कृषि में काम आने वाले कुल कितने ट्रैक्टर हैं;

(ख) उनमें से कितने विदेशों से, देश-वार आयातित हैं; और

(ग) उनमें से कितने ट्रैक्टर भारत में बने हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) देश में कृषि ट्रैक्टरों की कुल संख्या लगभग 52,000 है।

(ख) इनमें से लगभग 32,000 ट्रैक्टर आयातित हैं ; देशवार संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) लगभग 20,000।

समुद्र के पानी से समुद्री घास-पात (अलगा) निकालना

3738. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र के पानी में उपलब्ध समुद्री घास-पात को खाद्य पदार्थ का रूप देने के बारे में सरकार ने कोई प्रयोग किये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या देश में खाद्य की कमी को देखते हुए, सरकार खाद्य प्रयोजनों के लिये बड़े पैमाने पर समुद्री घासपात का उत्पादन करने के लिये तैयार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। समुद्र के पानी में उपलब्ध समुद्री घासपात को खाद्य पदार्थ का रूप देने के बारे में केन्द्रीय नमक तथा खनिज रासायनिक अनुसंधान संस्थान, भावनगर परीक्षण कार्य कर रहा है।

(ख) समुद्र की घास-पात से खाद्य प्रयोजनों के लिए प्रोटीन अलग करने के लिए परीक्षण अब भी चालू हैं। तथापि, अब तक प्राप्त निष्कर्षों से प्रतीत होता है कि समुद्री घास-पात से बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थ का उत्पादन करने तथा उसे मानव उपभोग के लिए प्रयोग करने की बहुत ही कम सम्भावना है, क्योंकि कच्चा माल (समुद्री घासपात) कम उपलब्ध है और उपभोक्ताओं की तरजीह प्राप्त करना भी कठिन होगा। फिर भी, अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) सामान्य भोजन के साथ सहयोगी तत्व के रूप में उपयोग करने के लिये समुद्री घास पात केवल अनुपूरक प्रोटीन का सम्भावी साधन मात्र होगी। समुद्री घासपात को मानव उप-भोग में लाने के लिए सोचना अभी असामयिक होगा, क्योंकि वाणिज्यिक उत्पादन की प्रणाली,

आर्थिक पहलू, प्रयोग करने का ढंग और अन्य पहलुओं पर अभी अच्छी प्रकार विचार करना है ।

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था

3739. **श्री धुलेश्वर मीना :**　　　　**श्री ख० प्रधानी :**
श्री रामचन्द्र उलाका :　　　　**श्री हीरजी भाई :**

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के उपकर आदि से 1966–67 में कितना धन प्राप्त हुआ था; और

(ख) इस अवधि से अनुसंधान कार्य पर तथा मुख्यालय कर्मचारियों के वेतन आदि पर कितना व्यय हुआ ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के उपकर आदि से 1966–67 में प्राप्त हुआ धन

	(लाख रुपयों में)
ए० पी० सेस एक्ट के अन्तर्गत आय	71.51
लगी हुई पूंजी से ब्याज	10.07
राजस्वय से आय	12·24
	93.82

	(लाख रुपयों में)
(ख) (1) अनुसंधान कार्य पर व्यय	79.30
(2) मुख्य कार्यालय का प्रशासन (आकस्मिक व्यय तथा कृषि अनुसंधान सांख्यिकीय संस्थान के कर्मचारियों पर होने वाला व्यय शामिल है)	37.05
	116.35

नोट : फालतू व्यय पिछले वर्षों की बचत से पूरा किया गया ।

राष्ट्रीय उपवनों में जंगली पशु

3740. श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1960 में विभिन्न राष्ट्रीय उपवनों में किन-किन किस्मों के कितने-कितने जंगली पशु थे और अब कितने हैं;

(ख) क्या उनकी संख्या अब घट गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि उनकी संख्या घटने न पाये; और

(ग) इसके परिणाम कब तक निकलने की आशा है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथा समय सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश में बागवानी का विकास

3741. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967-68 में बागवानी के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी राशि देने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : केन्द्रीय वित्तीय योजना पृथक-पृथक स्कीमों के लिए नहीं अपितु विकास के वृहत्त शीर्षकों के लिए दी जाती है। अत: 1967-68 में बागवानी के विकास के लिए मध्य प्रदेश सरकार को दी जाने वाली राशि के विषय में जानकारी देना सम्भव नहीं है।

मध्य प्रदेश को उर्वरकों की सप्लाई

3742. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**
श्री गा० शं० मिश्र :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश को 1965-66 और 1966-67 में कितने उर्वरकों की सप्लाई की गई;

(ख) क्या 1967-68 में यह कोटा बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कितना ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) मध्य प्रदेश को 1965-66 तथा 1966-67 में विभिन्न प्रकार के नाइट्रोजन उर्वरक सप्लाई किए जो निम्न प्रकार हैं :—

(आंकड़े टनों में)

उर्वरक की किस्म	1965-66 में सप्लाई की गई मात्रा	1966-67 में सप्लाई की गई मात्रा
सल्फेट आफ अमोनिया	53,386	24,304
यूरिया	15,898	7,665

कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट	15,392	3,800
अमोनियम फास्फेट	—	5,393
कुल (नाइट्रोजन के रूप में)	21,679	7,396

राज्य सरकार के पास 1–4–1966 को 36,232 टन नाइट्रोजन था। इसलिए उन्होंने 1966–67 के प्रथम पखवाड़े में अलाट की गई मात्रा को छोड़कर अन्य अलाटमेंट को वापिस कर दिया।

(ख) और (ग) राज्य सरकार के पास 1–4–1967 को 17,300 टन नाइट्रोजन था। राज्य के विभिन्न उत्पादन कार्यक्रमों को दृष्टि में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि उर्वरक सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1967–68 में मध्य प्रदेश को 12,000 टन नाइट्रोजन अलाट किया जाय।

Cultivation of Grapes in Delhi

3743. Shri Ram Avtar Sharma : Shri Shiv Kumar Shastri : Shri Raghuvir Singh Shastri : Shri Arjun Singh Bhadoria : Shri Nardeo Snatak : Shri Atam Das : Dr. Surya Prakash Puri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian Council of Agricultural Research has proved that grapes can be produced in the area around Delhi on commercial basis; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and when these varieties of grapes would be cultivated in and around Delhi ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) Yes,

(b) Already a number of commercial vineyards have been established around Delhi and the successful varieties are being propagated for distribution to the growers. The area under grapes around Delhi is likely to increase in the near future.

बम्बई पत्तन की गोदियों में चोरी

3744. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में बम्बई पत्तन न्यास की विभिन्न गोदियों में प्रतिवर्ष कितनी चोरियां हुई;

(ख) क्या प्रतिदिन चोरी होने वाले माल का औसत मूल्य 1 लाख रुपये से अधिक है;

(ग) उपर्युक्त अवधि में प्रतिवर्ष आयातकों ने कम माल मिलने के लिये कुल कितनी राशि के तथा कितने दावे किये तथा उन्हें कितनी रकम दी गई;

(घ) अभी तक कितने दावे अनिर्णीत पड़े हैं तथा वे कुल कितनी रकम के हैं; और

(ङ) साधारणतया किस प्रकार के माल की चोरी होती है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) :

(क)

वर्ष	गोदी में चोरी की संख्या	मूल्य रु०
1964–65	475	9,32,272
1965–66	446	7,05,602
1966–67	398	6,42,501

(ख) जी नहीं।

(ग)

वर्ष	दावों की संख्या	मूल्य रु०	अदा की गई राशि
1964–65	14	82,047.50	कुछ नहीं
1965–66	40	6,90,965.49	कुछ नहीं
1966–67	72	8,08,237.53	कुछ नहीं

(घ) बम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने समस्त दावों को प्रत्याख्यान कर दिया है।

(ङ) सामान्यतया चोरी किया गया माल बाल बेयरिंग, तांबा (तार, छड़ियां और केबल) रंग, रंजक, बिजली का सामान, मशीनरी और पुर्जे, धातु, मोटर गाड़ी का सामान, नाइलोन कोन और बाबिन, स्टेनलेस स्टील की चादरें और घेरे हैं।

श्रीनगर में भूकम्पीय प्रयोगशाला

3745. श्री वासुदेवन नायर :
श्री जनार्दनन :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर में एक भूकम्पीय प्रयोगशाला स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) जी, हां। श्रीनगर उन सात केन्द्रों में से है जहां चौथी पंचवर्षीय योजना में देश के भूकम्पीय क्षेत्र में वेधशालाओं के जाल को बढ़ाने की दृष्टि से भूकम्प वेधशालायें स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपस्कर तथा इमारतों इत्यादि पर लगभग 3,40,000/- रुपये का अनावर्ती व्यय, तथा लगभग 10,500/- रुपये का आवर्ती व्यय होने का अनुमान है।

पालम हवाई अड्डा

3746. श्री आतमदास : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पालम हवाई अड्डे का नया नमूना (डिज़ाइन) विदेशी वास्तुकारों द्वारा तैयार किया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये विदेशी वास्तुकारों को चुनने के क्या कारण हैं; और

(ग) उच्च प्रशिक्षण के लिये भारतीय वास्तुकारों को विदेश न भेजने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) पालम हवाई अड्डे के लिये टर्मीनल इमारत का डिज़ाइन तैयार करने के लिये किसी वास्तुशिल्पी अथवा वास्तुशिल्पियों की फर्म की अभी नियुक्ति नहीं की गई है। इस हवाई अड्डे पर नये टर्मीनल कॉम्प्लैक्स के लिये व्यवहार्यता विषयक रिपोर्ट तैयार करने का काम नेशनल डिज़ाइन इन्स्टिट्यूट, अहमदाबाद को सौंपा गया है। यह इन्स्टिट्यूट, एक जर्मन वस्तुशिल्पी के, जिसका कि नाम इस इन्स्टिट्यूट के वास्तुशिल्पियों की नामावली में है, परामर्श से इस कार्य पर कार्यवाही कर रहा है। नये कॉम्प्लैक्स का डिज़ाइन तैयार करने के लिये एक वास्तुशिल्पी अथवा वास्तुशिल्पियों की फर्म के चुनाव करने के प्रश्न पर विचार, व्यवहार्यता–रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा उसकी जांच कर लेने के बाद किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दुग्ध योजना

3747. **श्री राम चरण** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुग्ध योजना के कितने प्रशीतक केन्द्र इस समय बेकार पड़े हैं;

(ख) इन बेकार पड़े प्रशीतक केन्द्रों के रखरखाव तथा उनके कर्मचारियों के वेतन पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) इन प्रशीतक केन्द्रों के बेकार पड़े रहने के लिये कौन उत्तरदायी है तथा इस भारी हानि को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) बहादुरगढ़, खरखोदा, अलीपुर, बवाना और नजफगढ़ में पांच।

(ख) 21,000 रुपए।

(ग) ये केन्द्र दिल्ली के बहुत समीप स्थित हैं। दूध उपलब्ध होने पर भी गैर-सरकारी व्यापारी इसे सीधा शहर में लाने में अधिक लाभदायक समझता है।

बहादुरगढ़ तथा खरखौदा के केन्द्र सहकारी समितियों द्वारा प्राप्त किए गए दूध को संभालने के लिए रक्षित थे। बहादुरगढ़ केन्द्र में जनवरी, 1965 तक और खरखौदा केन्द्र में अगस्त, 1966 तक दूध एकत्रित किया गया। बवाना तथा नजफगढ़ केन्द्र हाल ही में दिल्ली दुग्ध योजना को सौंपे गए हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में किसी विशेष व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। किसी ने चिलिंग केन्द्रों को बेकार नहीं रखा। यह जो कुछ हुआ हमारे काबू से बाहर था।

अब यह निर्णय किया गया है कि उपकरणों को इन केन्द्रों से उन क्षेत्रों में भेज दिया जाये जहां दूध उपलब्ध होता है। इस प्रकार दिल्ली दुग्ध योजना नए उपकरण खरीदने के बजाय इनका उपयोग कर सकेगा।

प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

3748. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में इस समय कुल कितने अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं ;

(ख) 31 मार्च, 1967 तक उनके प्रतिनियुक्ति भत्तों पर कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) उनके मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी रखे जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 85 (पच्चासी)

(ख) 82,793,00 रुपए (1966–67 में)

(ग) ऐसे पदों की पूर्ति के लिए जिनके लिए विशेष ज्ञान, तकनीकी जानकारी तथा खेत सम्बन्धी अनुभव की आवश्यकता है।

दिल्ली दुग्ध योजना

3749. श्री राम चरण : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जब से दिल्ली दुग्ध योजना आरम्भ हुई है, तब से लेकर 1965–66 तक उसे कुल कितनी हानि हुई है; और

(ख) हानि होने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जब से परियोजना आरम्भ हुई है तब से लेकर 1965–66 तक दिल्ली दुग्ध योजना ने पूंजी पर सूद, भवनों, उपकरणों का मूल्यह्रास आदि को दृष्टि में रखते हुए 185.07 लाख रुपये की हानि उठाई है।

1966–67 में योजना को मामूली लाभ होने की आशा है, इस सम्बन्ध में लेखा को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) योजना द्वारा हानि उठाने का मुख्य कारण यह है कि दूध का उपलब्धि मूल्य धीरे-धीरे बढता जाता है, किन्तु दूध का बिक्री मूल्य उसके अनुसार नहीं बढ़ा है। समय-समय

पर दूध के बिक्री मूल्य तथा खरीद मूल्य को प्रदर्शित करने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा जाता है देखिये संख्या एल० टी० 807/67]

समयोपरि भत्ता

3750. **श्री राम चरण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : उनके मंत्रालय में कर्मचारियों को गत पांच वर्षों में कुल कितनी राशि समयोपरि भत्ते के रूप में दी गई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : पिछले पांच वर्षों में खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय के कर्मचारियों को दिया गया समयोपरि भत्ता निम्न प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपए)
1962–63	1,19,602
1963–64	1,83,747
1964–65	2,29,717
1965–66	2,54,541
1966–67	2,82,626

खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये कनाडा से सहायता

3751. **श्री न० कु० सांधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाडा सरकार ने 1971 के प्रारम्भ में ही खाद्यान्न में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये बनाये गये भारतीय कार्यक्रम के लिये सहायता देने का वचन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो किस रूप में सहायता दी जायेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) कनाडा सरकार ने भारत में कुछ कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता देने में दिलचस्पी दिखाई है ।

राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8

3752. **श्री बृजराज सिंह कोटा** : क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली से जयपुर होकर अहमदाबाद जाने वाली राष्ट्रीय राजपथ संख्या 8 का मार्ग बदलने के बारे में क्या प्रगति हुई है, जिससे वह अधिक भीड़-भाड़ वाले शहरी मार्गों से होकर न गुजरे; और

(ख) इस राजपथ के पास पड़ने वाले बड़े शहरों के इर्द गिर्द कौन कौनसी उप सड़क बनाने का विचार है ताकि सीधा यातायात न रुकने पाये ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है ।

(ख) जो बाहरी मार्ग प्रारम्भ कर दिये गये हैं उनके निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया है । इनके अलावा धन उपलब्ध होने पर किशनगंज और अजमेर पर के बाहरी मार्गों का निर्माण भी किया जा सकता है ।

विवरण

सड़क के मार्ग का बदला जाना

गुडगांव और शाहपुर के बीच 102 मील लम्बे बदले हुए मार्ग का निर्माण 92 लाख रुपये की लागत से लगभग पूरा होने वाला है ।

उप-सड़कें

(एक) **गुडगांव**

सड़क की पूरी लम्बाई के लिये भूमि अधिग्रहित कर ली गई है । गुडगांव-अलवर तथा गुडगांव-मनेश्वर सड़कों को मिलाने वाली उप-सड़क पर पुलिया बनाने का काम तथा निर्माण-कार्य पूरा हो गया है ।

(दो) **अम्बेर**

भूमि अधिग्रहित की जा रही है । जहां जमीन अर्जित कर ली गई है वहां टुकड़ों-टुकड़ों में सड़क बनाई जा रही है ।

(तीन) **जयपुर**

जयपुर-दिल्ली सड़क तथा जयपुर-आगरा सड़क को मिलाने वाली उप-सड़क का निर्माण लगभग पूरा हो गया है । पुलियों के निर्माण का कार्य अभी चल रहा है ।

(चार) **राजनगर**

उप-सड़क का निर्माण लगभग पूरा होने वाला है : तलेरी नदी पर बनने वाले पुल का काम लगभग आधा पूरा हो गया है ।

(पांच) **अहमदाबाद**

भूमि अर्जित करने की स्वीकृति मिल चुकी है और भूमि-अर्जन का कार्य चल रहा है ।

राष्ट्रीय राजपथों पर एक जैसे सड़क संकेत

3753. श्री बृजराज सिंह कोटा : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कम से कम सभी राष्ट्रीय राजपथों पर मोटर गाड़ियों के चालकों के मार्ग दर्शन के लिये दिये गये सड़क संकेतों के आकार, ढांचे तथा रंग को एक जैसा बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में कितनी प्रगति हुई है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) और (ख) मोटर गाड़ियों के चालकों के मार्ग दर्शन के लिये मोटरगाड़ी अधिनियम 1939 की नवीं अनुसूची में यातायात संकेत निर्धारित कर दिये गये हैं। ये संकेत समस्त राज्यों तथा केन्द्रीय शासित क्षेत्रों में चालू हैं और इस प्रकार समस्त देश में इस बारे में एकरूपता मौजूद हैं।

बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में सड़कें

3754. श्री भ्रा० सुन्दर लाल : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में बस्तर के आदिवासी क्षेत्र में सड़कों और पुलों के निर्माण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां। वस्तर जिले में कुछ थोड़े सुधार निर्माण कार्य जारी हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 808/67**]

Use of Hindi in the Minitsry

3755. Shri Molabu Prasad :
Shri Rabi Ray :
Shri Ram Sewak Yadav :
Shri Mahsraj Singh Bharati :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of sections in the Administrative Division of his Ministry where the work is done originally in Hindi;

(b) whether it is a fact that the demand by the high officers for the English translation of the papers received and documents prepared originally in Hindi is the main obstacle in the use of Hindi; and

(c) if so, the steps proposed to be taken to remove the said obstacles ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) In three Sections where staff is Hindi

knowing/trained, noting etc. is being done in Hindi as far as feasible and the staff is being encouraged to do their work originally in Hindi. Communications received in Hindi are also being replied in Hindi and Instructions etc. To Class IV officers are also being issued in Hindi.

(b) No. Sir.

(c) Does not arise.

Foreign Tourists

3756. Shri Molahu Prasad r **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri Rabi Ray : **Shri Ram Sewak Yadav :**

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1554 on the 6th June, 1967 and state :

(a) whether interpretation facilities have been provided in big cities like Bombay, Calcutta, Madras and Delhi for convenience of non-English foreign tourists; and

(b) if so, the details of facilities provided ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) Yes Sir.

(b) Tourist Offices at these places have trained a number of guides knowing foreign languages. The number of such guides is as follows :-

1.	Delhi ..	4	Spenish	1
			French	2
			German	1
2.	Madras	2	French	1
			German	1
3.	Bombay	11	French	5
			Spanish	3
			German	2
			Japanese	1
4,	Calcutta	5	French/Russian/German —	1
			French/German	1
			French/Spanish	1
			French	1
			Russian	1

साइप्रस के जहाज का डूबना

3757. श्री आत्म दास : क्या परिवहन तथा नौवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साइप्स का माल वाहक जहाज, जो भारत के लिये माल ला रहा था, कोचीन पत्तन के निकट हाल में डूब गया था; और

(ख) यदि हां, तो भारत को भेजे गये माल की कितनी हानि उठानी पड़ी ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख) 9 जून, 1967 को एक साइप्रिअट पोत एस० एस० फ्री मर्चेन्ट अरबसागर में कोचीन से लगभग 768 किलोमीटर और बम्बई से लगभग 992 किलोमीटर की दूरी पर डूब गया। वर्तमान सूचना के आधार पर यह निश्चयात्मक तौर पर नहीं मालूम है कि वह भारत के लिये बुक किया माल ला रहा था। अत: यदि इस मामले में कुछ हानि हुई है तो हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

अमरीका के लिये यात्री नौवहन सेवा

3758. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा अमरीका के दोनों तटों के बीच यात्री नौवहन सेवा की नियमित व्यवस्था नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के आरम्भ करने में क्या कठिनाइयां हैं और इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार क्या योजना बना रही हैं ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) यू० एस० ए० के दोनों तटों और भारत के बीच के सीधे समुद्री मार्ग पर आर्थिक दृष्टि से ऐसी यात्री सेवा चलाने के लिए संभवत: यात्री पर्याप्त संख्या में न मिल सकें।

Foodgrains Consumed by Rats

3759. **Shri Ramavtar Shastri :**
Shri K. M. Madhukar :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that lakhs of maunds of foodgrains are consumed by rats every year;

(b) if so, whether Government have worked out figures of the total quantity of foodgrains consumed by rats last year; and

(c) if so, the steps being taken by Government to check this wastage and the results achieved so far as a result thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) and (b) Foodgrains are damaged by rats in the field as well as in stores. The precise figures of damage caused by rats are not available, but the overall losses due to rats are estimated at 2·4% of the agricultural produce. With the increasing coverage under rat control, the losses are gradually being reduced.

(c) (i) The Government of India as well as the State Governments are fully aware of problem of damage caused to foodgrains etc. by rats. The State Departments of Agriculture have set up plant protection organisations and seasonal campaigns to eradicate rats are organised regularly. The Government of India gave a grant of Rs. 12.9 lakhs during 1966-67 to the State Governments for free distribution of rodenticides. It is proposed to grant Rs. 40 lakhs for free distribution of rodenticides during 1967-68 for an estimated

coverage of 20 million acres. The strategy for organising anti-rat campaigns has also been worked out and circulated to the States.

(ii) State Governments have been advised to ensure future construction of godowns being rodent proof in the private sector.

(iii) Cheap an effective methods for control of rodents have been developed and these are being popularised.

(iv) Under the respective orders, the Roller Flour Mills, Licensed Dealers in food-grains and Rice Mills, have to adopt rodent control measures.

(v) Training and demonstration facilities are being expanded with the help of the United Nations Special Development Fund.

Results Achieved :

1. Storage of foodgrains in rodent-proof warehouses has minimised the losses to a negligible figure.
2. The pesticides required for rodent control are being produced in the country and their production is being increased to meet the rising demand.
3. Following areas were covered by anti-rat campaigns in the country during the last three years :

1964–65	62.71 lakh	acres
1965–66	62.51 lakh	acres
1966–67	83.00 lakh	acres

The programe is being further intensified in order to reduce losses due to rats.

कपास और खाद्य फसलों की खेती के क्षेत्रों का अदल-बदल

3760. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री नायनार :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से कपास और खाद्य फसलों के क्षेत्रों को अदल-बदल कर खेती करने की संभावना की जांच करने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त सेन अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस अध्ययन दल ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां संसद के पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) अध्ययन दल द्वारा दी गई रिपोर्ट के सारांश की एक प्रतिलिपि संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल० टी० 809/67]**

(ग) सरकार की वर्तमान नीति पहले ही अध्ययन दल की सिफारिश के अनुसार है।

Rise in Prices of Pulses

3761 **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Atam Das :
Shri Arjun Singh Bhadoria :
Shri O. P. Tyagi :
Shri Sheopujan Shastri :
Shri Raghuvir Singh Shastri :
Shri Sanji Rupji :
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that prices of certain pulses have gone up by Rs. 100 per quintal during the past two months, because the owners of some of the Dal Mills have formed a syndicate;

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government in this connection;

(c) whether some complaints have also been received by Government in this connection; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) There has been no increase of Rs. 100 per quintal during the past two months in the prices of pulses and no report has been received so far about the formation of a syndicate by the dal mills owners.

(b) to (d) Do not arise,

मंगलौर पत्तन

3762. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **परिवहन तथा नौवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंगलौर पत्तन तथा उससे जोड़ी गई रेलवे लाइन के विकास पर अब तक कितना खर्च आया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस पत्तन के बारे में वित्तीय तथा तकनीकी मंजूरी दिये बिना ही यह खर्च किया गया है;

(ग) कितनी भूमि अर्जित की गई है जिसमें सड़कें, इमारतें तथा अन्य चीजें बनाई गई हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार और अधिक भूमि तब तक अर्जित न करने का है जब तक कि पहले अर्जित की गई भूमि का पर्याप्त रूप से उपयोग नहीं हो जाता और इस पत्तन योजना की मंजूरी नहीं दी जाती है ?

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) ; (क) और (ख) मंगलौर पत्तन परियोजना के प्राक्कलन अभी तक स्वीकृत नहीं किये गये हैं, क्योंकि इस परियोजना का क्षेत्र विचाराधीन है। संपूर्ण परियोजना की स्वीकृति होने से पूर्व, समय-समय पर कुछ जरूरी कार्यों के लिये स्वीकृतियां जारी कर दी गई हैं। अप्रैल, 1967 के अन्त तक पत्तन परियोजना पर 589 लाख रुपये (कुल) का व्यय किया जा चुका है और मार्च 1967 के

अन्त तक पत्तन में रेल लिंकों पर रेल मंत्रालय द्वारा 606 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है ।

(ग)	सड़कें	35.10 एकड़
	इमारतें	40.45 एकड़
	अन्य निर्माण कार्य	421.52 एकड़
	कुल	497.07 एकड़

(घ) मई 1967 में भूमि प्राप्त करने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया गया था और परियोजना अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना स्वीकृत एकड़ से अधिक भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ न की जाये ।

मैसूर राज्य में केन्द्रीय कृषि फार्म

3763. श्री कं० लकप्पा : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) क्या वर्तमान पंचवर्षीय योजना की अवधि में मैसूर राज्य में केन्द्रीय सरकार का विचार कोई नया केन्द्रीय कृषि फार्म स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख) मामला विचाराधीन है ।

दालों के मूल्यों में वृद्धि

3764. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्यों से बाहर दालें भेजने पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के परिणामस्वरूप राजधानी में दालों के भाव बढ़ गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां । राजधानी में दालों की कीमतों में बढ़ोतरी उत्पादक राज्यों में उत्पादन में कमी होने के कारण भी हुई है ।

(ख) राशन की दुकानों और खुदरा दुकानों से उचित मूल्यों पर दालों की बिक्री विनियमित की जा रही है । दिल्ली में दालों का स्टाक मंगवाने की कार्यवाही की जा रही है ।

सहकारी आन्दोलन सम्बन्धी समिति

3765. **श्री क० लकप्पा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सहकारी आन्दोलन के कार्य-संचालन की स्थिति का अध्ययन करने के लिये भारत सरकार ने कोई समिति नियुक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाल किला, दिल्ली में 'ध्वनि तथा प्रकाश' झांकी

3766. **श्री समर गुह :**
श्री हेम बरुग्रा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री ज० ग्रहमद :

क्या **पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किला, दिल्ली में 'ध्वनि तथा प्रकाश झांकी' के कार्यक्रम में से नेताजी के भाषण निकाल देने से दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की जनता में बहुत ग्रसंतोष पैदा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन भाषणों को अब शामिल करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा ग्रसैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) लाल किला, दिल्ली में पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित "ध्वनि तथा प्रकाश" प्रदर्शन में नेताजी की आवाज़ शामिल नहीं है। फिर भी, इस प्रदर्शन में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का एक प्रमुख रूप से उल्लेख विद्यमान है। नेताजी की आवाज़ शामिल करने के बारे में हमें जनता की किसी मांग का पता नहीं है।

(ख) तकनीकी कारणों से वर्तमान प्रदर्शन में कोई वृद्धि अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। भविष्य में प्रदर्शन का पुनरीक्षण होने पर आवाज़ को शामिल करने पर विचार किया जा सकता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

लाल किला, दिल्ली में "ध्वनि तथा प्रकाश झांकी"

3767: **श्री समर गुह :**
श्री हेम बरुग्रा :
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :
श्री ज० ग्रहमद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली को अंग्रेजों की दासता से मुक्त कराने और लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराने के लिये भारतीय मुक्ति सेना को नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिन्द सेना के जिस प्रयाण गीत ने प्रेरणा दी थी उसे लाल किला, दिल्ली में, "ध्वनि तथा प्रकाश झांकी" में शामिल नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार अब इसे शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्णसिंह) : (क) और (घ) प्रारम्भ में आजाद हिन्द सेना के "प्रयाण गीत" को इस कार्यक्रम में शामिल किया गया था परन्तु इस गीत का रिकार्डिंग अति निम्न कोटि का होने के कारण अन्तिम अवस्था इसे निकाल देना पड़ा ।

(ख) और (ग) तकनीकी कठिनाइयों के कारण वर्तमान प्रदर्शन में कोई वृद्धि अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता । भविष्य में इस प्रदर्शन का पुनरीक्षण होने पर आजाद हिन्द सेना के "प्रयाण गीत" को नये सिरे से इसमें शामिल करने पर विचार किया जा सकता है ।

लाल किला, दिल्ली में 'ध्वनि तथा प्रकाश झांकी'

3768. **श्री समर गुह :** **श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री हेम बरुआ : **श्री ज० अहमद :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाल किला, दिल्ली में 'ध्वनि तथा प्रकाश' झांकी में 'वन्देमातरम्' निकाल दिया गया है और केवल 'इन्कलाब जिन्दाबाद' का नारा शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अब वन्दमातरम् गान को सम्मिलित करने का सरकार का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) 'ध्वनि तथा प्रकाश' की लिपी में 'वन्देमातरम्' को अभी तक शामिल नहीं किया गया है;

(ग) तकनीकी कारणों से वर्तमान प्रदर्शन में कोई वृद्धि अथवा परिवर्तन नहीं किया जा सकता । भविष्य में प्रदर्शन की लिपि का पुनरीक्षण होने पर 'वन्देमातरम्' के शामिल किये जाने पर विचार किया जा सकता है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Spare Part for Vessels

3769. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Y. S. Kushwah :

Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1605 on the 6th June, 1967 and state :

(a) whether Government have since examined the question of indigenous manufacture of spare parts of all the vessels purchased;

(b) if so, the number of Companies menufacturing spare parts of vessels in the country;

(c) the Indian Companies from whom Government have decided purchase spare parts; and

(e) the amount of foreign exchange likely to be saved as a result thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes Sir. For the vessels purchased abroad, the indigenous production of spare parts may not be possible since each type and size of vessel will have different makes of marine machinery and equipment. However, some progress has been achieved in the indigenous production of certain items of marine equipment and machinery.

(b) The information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(c) and (d) Government do not make any direct purchases of spare parts. The Shipping Companies have there own arrangements for purchase of spares and equipment. Every effort is being made to save foreign exchange by permitting import of only such parts as are not available indigenously.

Indigenously Manufactured Spare Parts for Ships

3770. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Transport and Shipping** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1605 on the 6th June, 1967 and state :

(a) whether tests have been couducted by Government in regard to finding out the suitability of spare parts for ships manufactured indigenoulsy; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Transport and Shipping (Dr. V. K. R. V. RAO) : (a) Yes Sir. Tests are conducted both by the Mercantile Marine Department of the Government of India and Classsification Societies like M/S Lloyds Register of Shipping. Bureau Veritas etc.

(b) Lists of items approved by the Mercantile Marine Department and the Lloyds Register of Shipping are attached (Annexure A and B respectively). **[Placed in Library, See. No. LT-812/67]**

Forest-Based Industries in M. P.

3771. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Food & Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1519 on the 6th June, 1967 and state ;

(a) when the work in connection with paper-pulp manufacture and forest industries under the Food and Agriculture Organisation Project of Pre-investment Study of Madhya Pradesh is likely to be taken up;

(b) the amount likely to be spent thereon; and

(c) the ratio of expenditure to be borne by the Centre and the State Governments respectively ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Anna Sahib Shinde) : (a) The Question of paper-pulps manufacture and forest industries in Madhya Pradesh can be considered only after the survey being conducted under the F. A. O. Project-Pre-investment Survey of Forest Resources is completed and final report received by Government.

(b) and (c) Do not arise.

Disparity in Production of Foodgrains in India and China

3772. **Shri K. M. Mhdhukar :**
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state ;

(a) whether Government have ascertained the reasons for the great disparity in the production of foodgrains between India and China whereas the difference in the populations of India and China is not comparatively as large;

(b) whether the Government of India propose to adopt such policies of China and Japan which are helpful in raising the agricultural production and which are suitable for our country; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Official figures of population and foodgrains production from Communist China are not available.

(b) We have taken up the Japanese Method of Paddy Cultivation, and practices such as mechanisation, particularly through small machines.

(c) Does not arise.

Quick-Yielding Varieties of Vegetable

3773. **Shri K. M, Madhukar :**
Shri Ramavtar Shastri :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to implement any scheme in regard to raising the production of quick-yielding varieties of vegetables and fruit which contain nutritive elements;

(b) if so, the details of the scheme and the date from which it would be taken up; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) and (b) A Special Development (Crash)

Programme for raising **inter-alia** the production of vegetables and quick growing fruits was launched in different States during 1964-65 and 1965-66 with 100% financial assistance from the Central Government. An Emergency Food Production Drive was also launched in 1965 to bring increased area under vegetables. This resulted in covering an additional area of 180, 300 acres under vegetables and quick growing fruits. These schemes are being continued by the State Governments during the 4th Plan from within their Plan ceilings.

In Delhi territory, for which information is available an additional area of 27,700 acres was brought under vegetables against a target area of 25,000 acres during 1966-67. A target of 30,000 acres has been fixed for 1967-68.

(c) Does not arise.

चीनी मिल

3774. श्री गा० शं० मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार पृथक-पृथक कुल कितने गैर-सरकारी सहकारी तथा सरकारी चीनी मिल चल रहे हैं; और

(ख) गैर सरकारी तथा सरकारी चीनी कारखानों वाले क्षेत्रों में गन्ने की प्रति एकड़ उपज तथा गन्ने में चीनी का अंश कितना कितना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) : (क) राज्यवार संयुक्त पूंजी, सहकारी और सरकारी अथवा सरकार द्वारा प्रबन्धित चीनी कारखानों की संख्या जिन्होंने 1966-67 में उत्पादन किया, बताने वाला एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 810/67]**

(ख) अपेक्षित सूचना उपलब्ध नहीं है ।

Rice from Nepal

3775. Shri Ramavtar Shastri -
Shri K. M. Madhukar -

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are currently negotiating with the Nepal Government for the supply of rice for making it available to Bihar; and

(b) if so, the likely quantity of rice to be imported, the time by which it is likely to be supplied to the Bihar Government and the retail price thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde) : (a) An offer of the Nepal Government for sale of rice to India is under consideration. The offer is not specifically for supply of rice to Bihar.

(b) This information will be available only when the negotiations are finalised.

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE. CALLING ATTENTION NOTIC (Query)

Shri Gunanand Thakur (Saharsa) : Mr. Speaker, a Calling Attention Notice was given by seven members of Bihar, in which..............

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आपका ध्यान नियम संख्या 197 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी भी विषय की सूचना पर सम्बन्धित मंत्री का ध्यान दिलाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : 'अध्यक्ष की अनुमति से' यह भी साथ में पढ़िये।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Sir, Question No. 756 may be taken up, if the Minister is prepared to reply.

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपत्ति तो कोई नहीं है, परन्तु यदि इसे ले लिया गया तो अन्य सदस्य भी ऐसा कहेंगे।

श्री जे० एच० पटेल : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न पूरा करना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप बिना पहले सूचना दिये कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकते।

श्री जे० एच० पटेल :**

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जो विषय बिना अनुमति प्राप्त किये उठाया जायेगा, उसे कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अन्यथा अनुशासन ही समाप्त हो जायेगा। हमने कुछ नियम बनाये हुए हैं और सभा की कार्यवाही उनके अनुसार ही चलनी चाहिये। ऐसा नहीं होना चाहिये कि प्रक्रिया की अवहेलना करते हुए कोई भी खड़ा हो जाये और कुछ भी कहना शुरू कर दे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPOTRANCE

संसद सदस्य पर प्रहार किये जाने के समाचार

श्री द्वैपायन सेन (कटवा) : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान............।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

** Not recorded.

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री बनर्जी को व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देता हूँ ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 376 के अधीन है :

"व्यवस्था का प्रश्न इन नियमों या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों की व्याख्या या प्रवर्तन से सम्बन्धित होगा जो—"

आज सभा के सामने जो ध्यान दिलाने वाली सूचना है वह लगभग वैसी ही है जैसी कि मैंने तथा कुछ अन्य सदस्यों ने निर्वाचन के दौरान श्री मधु लिमये पर किये गये प्रहार के सम्बन्ध में नई संसद का अधिवेशन शुरू होने पर दी थी । परन्तु आपने उसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि इस सम्बन्ध में एक प्रश्न पूछ लिय ज ये । मैं आपका ध्यान 29 मार्च, 1967 को पूछे गये प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सब कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है । आप अपने व्यवस्था के प्रश्न पर आइये ।

श्री स० मो० बनर्जी : यद्यपि मुझे श्री घोष से पूर्ण सहानुभूति है और मेरी कामना है कि वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जायें, फिर भी मेरा यह विचार है कि यह विषय राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र का मामला है । श्री मधु लिमये के सम्बन्ध में किये गये प्रश्न के उत्तर में श्री शुक्ल ने कहा था कि खुफिया विभाग जांच कर रहा है । यदि श्री मधु लिमये को पीटे जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना को अनुमति नहीं दी गई थी तो श्री घोष के मामले इसे अनुमति क्यों दी जा रही है । माननीय सदस्यों के बीच इतना भेद क्यों किया जाता है । मैं इस पर आपका निर्णय चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : श्री मधु लिमये के बारे में किये गये प्रश्न का उत्तर दिया गया था और उस समय सरकार ने यह नहीं कहा था कि यह विषय राज्य का विषय है । यदि किसी भी दल के किसी संसद सदस्य पर प्रहार किया जाता है, तो क्या संसद को उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिये ? मुझे याद है कि जब श्री उमानाथ जेल में थे उस समय उनके बारे में भी प्रश्न आदि किये गये थे । यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि सदस्यों के बन्दी बनाये जाने या उन पर प्रहार किये जाने का मामला सभा में न उठाया जाये तो मुझे इसे सिद्धान्त रूप में मानने में भी कोई आपत्ति नहीं है और हमें इसका अनुसरण करना चाहिये । श्री मधु लिमये के बारे में प्रश्न करने की अनुमति दी गई थी । जिस विषय पर प्रश्न पूछ लिया जाता है उस सम्बन्ध में ध्यान दिलाने की सूचना को अनुमति नहीं दी जाती । वास्तविक प्रश्न तो यह है कि ऐसा विषय सभा में उठाया जाये या नहीं । मैंने प्रश्न को उठाने की अनुमति दे दी थी ।

श्री क० लकप्पा (तुमकुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसके लिये अनुमति नहीं दूंगा । आप अध्यक्ष कक्ष में पहले ही बात कर चुके हैं और अब फिर आप उसी विषय को उठाना चाहते हैं । आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं ।

श्री लकप्पा : मेरा यह विनम्र निवेदन है कि... ......

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें । कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)

मैं नाम लेकर पुकारने में विश्वास नहीं करता ।

श्री द्वैपायन : मैं गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न लिखित विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विषय में एक वक्तव्य देंवे :

"श्री विमल कान्ति घोष, संसद सदस्य, पर पश्चिमी बंगाल में उनके निर्वाचन क्षेत्र में प्रहार किये जाने का समाचार ।"

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : हमें राज्य सरकार से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :–

24 जून, 1967 को उत्तरपाड़ा थाने के अन्तर्गत सरदार बाजार मैदान में भद्रकाली मंडल कांग्रेस के तत्वावधान में शाम के 7 बजे से रात के 10.45 तक एक आम सभा हुई । अन्य लोगों के साथ-साथ इस सभा में संसद सदस्य श्री बी० के० घोष ने भी भाषण दिया । सभा के अन्त में जब वक्ता ने संयुक्त मोर्चे की सरकार की आलोचना की तब कुछ लोगों ने सभा में हुल्लड़ मचाया । सभा के समाप्त होने पर श्री घोष अपने साथियों के साथ पास के एक मकान में गये जहां पर उपद्रवकारियों ने उन पर आक्रमण किया । उपद्रवकारियों ने उन्हें मकान से बाहर निकाल कर उनका पीछा किया और उनको तथा उनके तीन साथियों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया । उन्होंने इन लोगों की एक रिस्टवाच और नकदी आदि भी छीन ली । दो आक्रमणकारी भी साधारण रूप से घायल हुए । सभी घायल व्यक्तियों को उत्तरपाड़ा के सरकारी अस्पताल में दाखिल कर लिया गया है । श्री घोष की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/323/341/379 के अधीन उत्तरपाड़ा थाने में मामला संख्या 136 (6) 67 चलाया गया है । दोनों घायल आक्रमणकारियों में से एक की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता की धारा 147/323 के अधीन उत्तरपाड़ा थाने में एक अन्य मामला संख्या 137 (67) चलाया गया है । अब तक इस बारे में 24 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ।

कांग्रेस दल से सम्बन्धित इस सदन के एक सदस्य पर यह भंयकर आक्रमण होने से पहले कांग्रेसियों तथा पश्चिम बंगाल मन्त्री-मण्डल में भाग लेने वाले एक प्रमुख दल के ट्रेड यूनियन विरोधियों पर आक्रमण की अन्य अनेक घटनाएं हो चुकी हैं । यदि एक सतारूढ़ दल के राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध इस प्रकार की हिंसा जारी रही तो व्यवस्थित तथा सभ्य राजनीतिक जीवन असम्भव हो जायेगा । अतः यह मामला सरकार के लिए गम्भीर चिन्ता का विषय है और मुझे विश्वास है कि इस सदन को भी इस बारे में चिन्ता होगी और सारा सदन इस घटना की बिना शर्त भर्त्सना करने में मेरा साथ देगा ।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या आपको यह जानकारी पश्चिमी बंगाल सरकार से मिली है ?

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया
** Not recorded

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, हां ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य का बाद का अंश असंगत है ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : हमारा सम्बन्ध केवल इस बात से है कि एक संसद सदस्य पर आक्रमण किया गया है, न कि इस बात से कि वह कांग्रेस का सदस्य है । गृह-कार्य मंत्री ने इस बात पर बल दिया है कि सम्बन्धित संसद सदस्य कांग्रेसी हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व) : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ उपद्रवियों ने उनकी हाथ की घड़ियां और नकदी भी छीनी है और मामलों पर छानबीन की जा रही है । जब मैं जबकि मामले न्यायालय में विचाराधीन हो तो क्या मंत्री महोदय को यह हक होता है कि वह तथ्यों के साथ अपनी टिप्पणी दे ? क्या किसी सदस्य या मंत्री के लिये यह उचित है कि वह अनुमान लगाकर किसी राजनैतिक दल पर आक्षेप करे ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय किसी दल विशेष का नाम नहीं लिया है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि ऐसे आक्रमण की निन्दा की जाये चाहे वह कांग्रेसी पर किया गया हो अथवा गैर कांग्रेसी पर । परन्तु क्या मंत्री महोदय ऐसी बातें ध्यान दिलाने वाली सूचना के उत्तर में कह सकते हैं ? उन्हें अधिक से अधिक अपेक्षित जानकारी देनी चाहिये । अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप उन्हें वक्तव्य के उस अंश को वापिस लेने के लिये आदेश दें ।

श्रीमती सुशीला गोपालन (अम्बलपुजा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या दो विभिन्न राज्यों के लिये दो स्तर अपनाये जायेंगे । मैंने महाराष्ट्र में शिव सेना के आक्रमण से घायल हुए व्यक्तियों के सम्बन्ध में एक अल्प सूचना प्रश्न की सूचना दी थी, जिसे अस्वीकृत कर दिया गया था ।

(अनेक सदस्य खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जायें । श्री पे० वेंकटासुब्बया

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : संसद सदस्य पर उस समय प्रहार किया गया जबकि वह भद्रकाली मंडल कांग्रेस दल के तत्वाधान में आयोजित सभा में भाषण दे रहे थे । इसके आधार पर गृह-कार्य मंत्री इस निष्कर्ष पर ठीक ही पहुँचे हैं कि यह एक राजनैतिक षडयंत्र था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक वाद-विवाद का रूप लेता जा रहा है । इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कोई भी व्यक्ति उठता है और व्यवस्था के प्रश्न की आड़ लेकर बोलना शुरु कर देता है । यदि आप इस पर बहस करना चाहते हैं तो उसकी अनुमति भी दी जा सकती है । श्री रंगा ।

श्री रंगा (श्री काकुलम) : मेरा यह निवेदन है कि व्यवस्था के प्रश्न पर बहस की जा सकती और सभा की यह परम्परा भी रही है। यह बहस इस उद्देश्य से की जाती है कि इससे अध्यक्ष को यह निर्णय करने में सहायता मिलेगी कि जो विषय प्रस्तुत किया गया है उसमें व्यवस्था का प्रश्न है या नहीं। प्रत्येक व्यवस्था के प्रश्न की स्पष्ट रूप से व्याख्या होनी चाहिये। अन्यथा उसका उठाया जाना ही निरर्थक हो जाता है। यह प्रश्न वास्तव में एक महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपके कहने का यह तात्पर्य है कि हम इस पर वाद-विवाद करें।

श्री रंगा : मेरा कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है परन्तु मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। गृह कार्य मन्त्री ने वक्तव्य के द्वारा अपील इस प्रकार से की है कि उक्त घटना की भर्त्सना करने में हम सब साथ नहीं मिल सकते। मन्त्री महोदय ने कहा कि एक कांग्रेसी संसद सदस्य पर आक्रमण किया गया जबकि वह शासक दल की आलोचना कर रहे थे। उन्हें स्वयं कहना चाहिये था कि एक संसद सदस्य पर प्रहार किया गया है, जिसकी भर्त्सना की जानी चाहिये। यदि ऐसा मन्त्री महोदय कहते तो सम्पूर्ण सदन उनका अनुमोदन करता। अतः व्यक्तव्य में अन्तिम कंडिका की आवश्यकता नहीं है। इसलिये उन्हें स्वयं ही इस कंडिका को कार्यवाही में सम्मलित न किये जाने के लिये अनुरोध करना चाहिये।

Shrimati Jayaben (Amreli) : May I know whether it is a fact that some Congress M. L. As. while going to the Assembly were gheraoed ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : नियम 376 में यह स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यवस्था के प्रश्न पर बहस नहीं की जा सकती। इस प्रकार से प्रस्तुत ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के लिये नियत समय को बर्बाद किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : नियम मेरे पास हैं। यह बात सच है कि व्यवस्था के प्रश्न पर केवल कुछ सदस्यों को इस उद्देश्य से बोलने की अनुमति दी जा सकती है कि उनके द्वारा व्यक्त विचारों के आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि प्रस्तुत विषय में व्यवस्था का कोई प्रश्न है अथवा नहीं।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : मेरा यह विचार है कि वक्तव्य का अन्तिम पैरा नियमों के अनुरूप नहीं है। मन्त्री महोदय ने स्वयं यह कहा है कि दो मामलों को पंजीकृत कर लिया गया है और वे न्यायालय में विचाराधीन हैं। इसलिये उन्हें यह अनुमान लगाने का हक नहीं है कि प्रहार राजनीतिक प्रोत्साहन के कारण किया गया है। दूसरे नियमों के अधीन भी सभा में तथ्यों का प्रकटीकरण किया जाना चाहिये और अनुमान नहीं बताये जाने चाहिये। गृह मन्त्री ने सभामें अपना अनुमान बताकर अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। अतः मेरा अनुरोध यह है कि वक्तव्य के अन्तिम कांडिका को सभा की कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) ; मैं श्री उमानाथ से पूर्णतः सहमत हूँ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : गृह मन्त्री ने जो बात कही है वह सामान्यतः सत्य है । आज कल इस देश में हिंसात्मक वातावरण बना हुआ है । आजकल प्रहार राजनीतिक विरोधियों पर किये जा रहे हैं । कभी किसी कांग्रेसी पर प्रहार होता है तो कभी किसी जन संघी या प्रजा समाजवादी दल के किसी सदस्य पर । इस प्रकार की घटनायें वस्तुतः अशोभनीय है और उनकी भर्त्सना की जानी चाहिये ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने यहीं कहा है ।

श्री बलराज मधोक : साथ ही मेरा यह अनुरोध है कि मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में संशोधन करें और यह कहें कि ऐसे सभी प्रहारों की भर्त्सनाकी जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आधे घंटे की चर्चा के दौरान जब डा० राम मनोहर लोहिया ने एक पत्र पढ़ा था तो उपाध्यक्ष महोदय ने उस तमाम मामले को कार्यवाही से यह कह कर निकलवा दिया था कि मामला न्यायाधीन हैं । आज एक कांग्रेसी संसद सदस्य पर प्रहार की बात है तो मामले के न्यायाधीन होते हुए भी सब बातों की अनुमति दी जा रही है । इस बारे में मैं आपका निर्णय चाहता हूँ ।

श्री अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था के प्रश्नों के माध्यम से अनेक प्रकार के विचार सामने आये हैं । अब मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में कुछ कहें ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : आपको इस पर अपना निर्णय देना ही होगा । यदि ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव के उत्तर में मन्त्री महोदय ऐसी बाते कहेंगे तो इनका कोई अन्त न होगा । अतः इस बारे में या तो वे अपना वक्तव्य वापिस ले लें या अध्यक्ष महोदय इस बारे में अपना निर्णय दें ।

Shri A. B. Vajpayee (Balrampur) : Though we agree with what he said about condemning the assualts made on the Members of Parliament, yet the way of his appealing is not proper. Therefor, I request you to pay attention to it

श्री वेदव्रत बरुआ (कलियाबोर) : गृह मन्त्री ने कहा है कि कुछ गिरफ्तारियाँ की जा चुकी हैं । श्री उमानाथ ने बताया कि प्रहार कर्ताओं के बारे में पूरी जांच की जायेगी कि उनका उद्देश्य राजनीतिक था या कुछ और था । इसलिये मैं जानना चाहता हूँ कि क्या पश्चिमी बंगाल सरकार इस मामले में न्यायिक जांच करायेगी ?

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : नियम 197 के अधीन यह व्यवस्था है कि सदस्य मन्त्री महोदय का अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलायेगा और फिर मन्त्री उस सम्बन्ध में एक संक्षिप्त वक्तव्य देगा । परन्तु इस विषय यह बहस न होगी । इसका अर्थ यह है कि मन्त्री महोदय को अपने वक्तव्य में कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये, जो विवादास्पद हो । इस नियम के अधीन मन्त्री महोदय को अपने वक्तव्य का अन्तिम भाग पढ़ने के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में अपना मत व्यक्त करें और फिर दूसरे विषय को लें। वह स्वयं अपने आप को ठीक करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपका निर्णय क्या है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर अपना निर्णय दूंगा, परन्तु ऐसा करने में कुछ समय लगेगा और इससे पहिले मैं मन्त्री महोदय को सुनना चाहता हूँ।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : आपसे यह अनुरोध किया गया है कि आप गृह मन्त्री के वक्तव्य के अन्तिम कंडिका पर अपना निर्णय दें। उनका वक्तव्य आपके पास है जिसके सम्बन्ध में आपको निर्णय देना है। अतः मन्त्री महोदय को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : यह बात सही है। निनिर्णय देने के लिए भी मुझे गृह मन्त्री और विधि मन्त्री आदि की बात को सुनना होता है। नियमों आदि के बारे में अपनी जानकारी के लिए मैं न केवल माननीय सदस्यों की बल्कि माननीय मंत्रियों की बात सुनना चाहूंगा। अपनी जानकारी के लिए मैं किसी भी विषय पर गृह मन्त्री की राय ले सकता हूँ। यह मेरा अधिकार है। शायद विधि मन्त्री भी मेरी जानकारी के लिए इस बारे में कुछ कहेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : यह औचित्य का प्रश्न है।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं गृह मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के गुण-दोषों में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं श्री नि० चं० चटर्जी द्वारा उठाये गये प्रश्न के बारे में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूं। जहां तक मुझे पता है अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने सम्बन्धी नियम 197 भारतीय संविधान में एक अद्वितीय नियम हैं। जहां तक इस बारे में मेरा ज्ञान है, ब्रिटेन के हाऊस ऑफ कामंस में ऐसा कोई नियम नहीं है। यह नियम केवल हमारी संसद में ही बना है। इससे क्या प्रतीत होता है ?

श्री पीलु मोडी (गोधरा) : यह भारत का संसद है।

श्री गोविन्द मेनन : जहां तक मैं इसे समझता हूँ इसका यह तात्पर्य है। एक माननीय सदस्य उठे और मन्त्री महोदय से प्रश्न किया : क्या मन्त्री ने इस बात को सुना था ? उस पर मंत्री महोदय ने कहा "जी हां, मैंने इस बात को सुना था; यह बात खेदजनक है।" सब सही है............

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री गोविन्द मेनन : जी हां, यह मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि नियम में ऐसा नहीं कहा गया है कि मन्त्री द्वारा दिये जाने वाला वक्तव्य तथ्यों का वक्तव्य होना चाहिये। वक्तव्य होना चाहिये। वक्तव्य तथ्यों का हो अथवा अन्य चीजों का।

श्री हेमराज बरुआ (मंगलदायी) : यदि यह तथ्यों का विवरण नहीं है तब यह क्या हो सकता है ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं श्री उमानाथ की बात से सहमत हूं कि विचाराधीन मामले नहीं उठाये जाने चाहिये । इस मामले में मैं यह समझ सका हूं कि माननीय मंत्री ने कहा है कि विभिन्न राजनैतिक दल हैं ।

श्री सुरेन्द नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : क्या आप अन्तिम भाग को पढ़ेंगे ।

श्री गोविन्द मेनन : मैं इसे पढ़ चुका हूँ । यदि यह आपत्तिजनक है तो क्या आप चाहते हैं कि इसे दोबारा पढ़ा जाये ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : यदि आप पढ़े तो आप सहमत हो जायेंगे ।

श्री गोविन्द मेनन : श्री द्विवेदी इस वक्तव्य से इतने प्रसन्न हैं कि वह उसे पुनः सुनना चाहते हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आपने इसे सुना नहीं है अथवा पढ़ा नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : मैंने इसे पढ़ा है । इसका मतलब यह है कि उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि यह राजनैतिक कारणों से हुआ ।

श्री उमानाथ (पद्दकोटै) : न्यायालय द्वारा निर्णय किये जाने से पहले...... (अन्तर्बाधायें)

श्री गोविन्द मेनन : उन्होंने यह कहा है कि संसत्सदस्य कांग्रेस दल का था तथा जिन पर हमला करने का कथित आरोप है । वे अन्य दलों के थे ।

कुछ माननीय सदस्य : जी नहीं ।

श्री गोविन्द मेनन : गृह मन्त्री के अनुसार इसके बाद कांग्रेस की बैठक हुई थी..........

श्री पीलु मोडी : क्या माननीय मन्त्री एक मिनट देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं सब को सुन चुका हूँ और अब विधि मन्त्री को सुनना चाहता हूं । उन्हें बोलने दीजिए ।

श्री गोविन्द मेनन : उन्होंने कहा था कि इसके बाद कांग्रेस की सभा में कांग्रेस दल के सदस्य का भाषण हुआ था ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : यह एक आम सभा हुई थी, कांग्रेस की नहीं ।

श्री गोविन्द मेनन : यह सभा भद्रकाली मण्डल कांग्रेस समिति के तत्वाधान में हुई थी और कांग्रेस की सभा की थी ।

श्री पीलु मोडी : क्या माननीय मन्त्री एक मिनट देंगे ?

श्री गोविन्द मेनन : जी नहीं । यह सभा कांग्रेस दल की विचारधारा का प्रचार करने के लिए हुई थी । उनके तुरन्त बाद ही उन पर हमला किया गया था । इस बात का जिक्र कि श्री घोष कांग्रेस दल के हैं, इस बात पर ध्यान देने के लिए नहीं किया गया था कि वह कांग्रेस के सदस्य हैं परन्तु इस बात पर बल देने के लिए दिया गया था कि वे विभिन्न दलों के थे । इस संदर्भ में इसका यह मतलब है ।

श्री हेम बरुआ : इसका यह मतलब नहीं है ।

श्री गोविन्द मेनन : तथ्य बताने के बाद केवल गृह मन्त्री ने कहा था कि यह खेदजनक बात है । उनके वक्तव्य से मैं समझ पाया हूँ । नियम 197 उसे नहीं रोकता है ।

श्री नि च० चटर्जी (बर्दवान) : क्या मैं विधि मंत्री से एक प्रश्न पूछ सकता हूँ ?

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, नियम 197, उप-नियम (1) और (2) बहुत स्पष्ट हैं । मंत्री वक्तव्य दे सकता है और नहीं भी दे सकता है । परन्तु जब वह वक्तव्य दे देता है तो उस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता है । वक्तव्य कैसा भी हो, चाहे राजनीतिक हो अथवा अन्यथा परन्तु उसकी आलोचना नहीं की जा सकती । उसका वाद-विवाद नहीं हो सकता । सभा के नियम दोनों दलों पर अनिवार्य रूप से लागू होने चाहिए । वाद-विवाद के लिए अन्य तरीके अपनाये जा सकते हैं परन्तु वक्तव्य के बारे में चुनौती नहीं दी जा सकती । उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री पीलु मोडी : हमें इन सब बातों पर विचार करने की क्या आवश्यकता है ? गृह मंत्री को विधि मंत्री की सहायता लेने की क्या आवश्यकता है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने विधि मंत्री को अपनी जानकारी के लिए बोलने को कहा था ।

श्री पीलु मोडी : गृह मंत्री ने अपना वक्तव्य दे दिया है । सभा के कुछ भागों में उस पर आपत्ति की गई है । उसे वापिस लिया जाना उचित है अथवा नहीं हमें इसकी गहराई में नहीं जाना चाहिए ।

श्री श्र० डांगे (बम्बई–मध्य दक्षिण) : ध्यान दिलाने वाली सूचना का उत्तर देते समय क्या गृह मंत्री अपने वक्तव्य के अन्तिम भाग में एक अतिरिक्त संकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं और सभा को उसे स्वीकार करने का प्रस्ताव कर सकते हैं ? क्या यह नियमानुसार है ?

कुछ माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : अब मैं गृह मंत्री को कहूँगा कि वह इस बारे में कुछ कहे ।

गृह मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : उन्होंने इस मामले को तकनीकी ही नहीं बल्कि राजनैतिक मामला बना दिया है ।

कुछ माननीय सदस्य : आपने बनाया है।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कुछ तथ्य बताये हैं तथा उसके विरुद्ध एक ही बात कही गई है कि विचाराधीन मामला उठाया जा सकता है अथवा नहीं। उस पर मैंने कुछ नहीं कहा है।

श्री उमानाथ : आपने संयुक्त मोर्चा सरकार के मुख्य भागीदार का उल्लेख किया था······

श्री यशवन्तराव चह्वाण : आप कृपया सुने तो सही। मैंने इस सभा के सदस्य पर जो हमला हुआ है उसके बारे में कहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्री मधु लिमये की क्या बात है। आप उनकी हत्या करना चाहते थे।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : केवल मेरे द्वारा यह कहने पर कि वह कांग्रेस का सदस्य था यह राजनैतिक समस्या उत्पन्न हो गई है। यदि वह दूसरे दल का सदस्य होता तो·········

अध्यक्ष महोदय : हमें उन्हें सुनना चाहिये। आप उनसे सहमत न हों परन्तु उन्हें सुनना अवश्य चाहिए।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में कुछ अनुमान लगाया है।मैं यह चाहता हूँ कि हिंसात्मक घटनाओं को दुरुत्साहित किया जाना चाहिये न कि केवल एक ही घटना को। (अन्तर्बाधायें) मैं इस बात को अब भी कहता हूं कि हिंसात्मक घनाटओं को रोकना पड़ेगा।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, आप उनके व्यवहार को देखिये।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–उत्तर–पूर्वी) : क्या गृह मंत्री कह सकते हैं कि राजनैतिक हमला हुआ है। मामला अभी विचाराधीन है औऱ वह कहते हैं कि राजनैतिक हमला हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी अपनी बात पूरी नहीं की है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप इस पर चर्चा करने की अनुमति दे दें।

अध्यक्ष महोदय : आप अब अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

Shri Madhu Limaye : You were saying that Shri Chavan is speaking.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप खत्म कर चुके हैं अथवा नहीं।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं खत्म कर चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े होकर ऐसी बातें नहीं कर सकते हैं ।

श्री श्री० भा० कृपालानी (गुना) : मैं किसी नियम का उदाहरण नहीं कर रहा हूं परन्तु मैं सभा का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा वक्तव्य दिया जा चुका है । कुछ सदस्यों ने वक्तव्य के अन्तिम भाग पर आपत्ति की है । वे उसे निकालना चाहते थे । माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है और मेरा तात्पर्य किसी दल से नहीं था । इसलिए मैं चाहूंगा कि इसे ध्यान से पढ़ा जाये क्योंकि पहली बार पढ़ने से यह अच्छा अथवा खराब लग सकता है और दोबारा पढ़ने से सारा मामला और ही तरह से भी लग सकता है । इस लिए मैं इस पर विचार करके इस बारे में कल को विनिर्णय दे दूंगा ।

श्री द्वैपायन सेन (कटवा) : हमें इस पर प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा ।

Shri Madhu Limaye : You had given an assurance,

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बाद में बुलाऊंगा ।

श्री द्वैपायन सेन : श्री घोष की अस्पताल में कैसी हालत है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : नवीनतम जानकारी मेरे पास नहीं है ।

Shri Shashi Ranjan (Pupri) : One hon. Member of this House has been assaulted and we have minimised the importance of the case by giving it a political shape. Under these circumstances when the atmosphere is so tense, when such happenings are taking place every now and then, not only there is danger to our life and property but our freedom of speech is also being curbed. We are reading in the papers that one member of Government Party was not allowed to enter the House and later on he was not allowed to come out. Then can we hope that Shri Ghosh, who is a member of this House, will be looked after carefully ? I want that utmost care should be taken about his health.

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच है कि श्री विमल घोष ने 21 वर्षीय नवयुवक श्री सुभाष चन्द्र पर हमला किया था और जब स्थानीय लोगों ने उस नवयुवक को श्री घोष के फंदे से छुड़वाने का प्रयास किया तो श्री घोष घायल हो गये थे । क्या यह भी सच है कि क्या दोनों ही अब अस्पताल में हैं ?

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ जिनका माननीय मंत्री के वक्तव्य में अभाव है । क्या उन्हें पता है कि श्री विमल घोष को नंगा करके घुमाया गया था । मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या श्री घोष के साथ कांग्रेस के दो अन्य सदस्य भी घायल हुए थे जिनका उल्लेख वक्तव्य में किया गया है । समाचार-पत्रों में तो कहा गया है कि तीन व्यक्ति घायल हुए थे । क्या मन्त्री महोदय को पता है कि वहां पर सामान्य स्थिति नहीं है ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : तीन चार प्रश्न इकट्ठे पूछे गये हैं। श्री विमल घोष की अस्पताल में अच्छी तरह निगरानी की जायेगी मुझे उनके बारे में कोई नवीनतम रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उन्हें पता है कि श्री अजय मुकर्जी का पत्र उनके कार्यालय में नहीं आया है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : श्री विमल घोष के विरुद्ध ऐसी कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उन्हें पूरा पता है कि उनके मन्त्रालय में वायरलैस टेलीग्राम नहीं आया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट में इस बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। लिखित रिपोर्ट में मुझे यह बताया गया था कि श्री विमल घोष का अपमान किया गया है। आज मैंने सूचना और प्रसारण अधिकारियों से पूछा है और उन्होंने बताया है कि श्री घोष के कपड़े फाड़ दिये गये थे और गलियों में घुमाया गया था।

कुछ माननीय सदस्य : शर्म की बात है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वह सूचना और प्रसारण अधिकारी कौन है ?

विशेषाधिकार के प्रश्न पर विनिर्णय

RAULING ON QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye : (Monghyr) : Sir, three or four days back you had said that Shri Banerjee...

अध्यक्ष महोदय : मैं उसी विषय को ले रहा हूं।

Shri Madhu Limaye : Shri Arjun Aroa has again repeated the allegations.

अध्यक्ष महोदय : 23 जून, 1967 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ध्यान दिलाने वाली सूचनों पर प्रश्न करते समय श्री स० मो० बनर्जी के विरुद्ध, उन द्वारा 30 मई, 1967 को विचार व्यक्त किये जाने के बारे में विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहा था। श्री वाजपेयी ने इस बात पर बल दिया था कि प्रश्न 31 मई, 1967 में मेरे द्वारा दिये गये विनिर्णय से उठा है। इस बात का सर्वश्री मधु लिमये और फरनेन्डीज ने समर्थन किया था। श्री स० मो० बनर्जी ने यह निवेदन किया था कि वह उनके खिलाफ विशेषाधिकार के प्रश्न का स्वागत करता है और यदि उन्होंने दोनों मंत्रियों को अपमानित करने का प्रयास किया है तो वह दण्ड पाने को तैयार हैं।

इस पर विधि मंत्री ने दो आपत्तियां उठायी थीं। पहली आपत्ति यह थी कि नियम 338 के अन्तर्गत वैसे ही प्रश्न को नहीं उठाया जा सकता जिस पर सभा ने उसी सत्र में निर्णय दे दिया हो। दूसरे श्री वाजपेयी ने सर्व प्रथम अवसर पर मामले को नहीं उठाया था दूसरी आपत्ति यह थी कि श्री वाजपेयी ने कहा था कि प्रधान मंत्री ने 20 जून, 1967 को सभा में श्री अर्जुन अरोरा के आरोपों पर वक्तव्य दिया था तथा उन्होंने उसी दिन श्री स० मो० बनर्जी के विरुद्ध नोटिस दिया था। सदस्यों तथा विधि मंत्री को सुनने के बाद मैंने अपना विनिर्णय नहीं दिया। इस बीच मैंने उन सब बातों पर विचार कर लिया है और मेरा यह निवेदन है।

(1) 30 मई, 1967 को ध्यान दिलाने वाली सूचना की कार्यवाही के दौरान श्री स० मो० बनर्जी ने कुछ आरोपों के कथित समाचारों पर स्पष्टीकरण मांगा था तथा जिन दो मंत्रियों का उन्होंने नाम लिया था उन्होंने आरोपों के बारे में उसी दिन वक्तव्य दिया था। माननीय सदस्य श्री स० मो० बनर्जी और दोनों मंत्रियों के वक्तव्य रिकार्ड किये गये हैं। उसके बाद श्री स० मो० बनर्जी ने कुछ नहीं कहा। इसलिये 31 मई, 1967 को मेरे द्वारा दिया गया विनिर्णय इस मामले पर लागू नहीं होता।

(दो) यदि, जैसा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है, उनका विशेषाधिकार का प्रश्न 20 जून, 1967 को प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न होता है, तब विधि मंत्री द्वारा की गई आपत्ति की इस मामले को नियम 338 के अन्तर्गत नहीं उठाया जा सकता, महत्वपूर्ण बन जाती हैं क्योंकि सभा पहले ही उस विशेषाधिकार के प्रश्न पर निर्णय कर चुकी है जो प्रधान मंत्री के वक्तव्य से उठा था।

इसलिये मैं इस मामले को विशेषाधिकार के प्रश्न रूप में उठाने की अनुमति नहीं देता।

सभा–पटल पर रखा गया पत्र
PAPER LAID ON THE TABLE

समुद्र-तटीय भाड़े की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वक्तव्य

परिवहन तथा नौवहन मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : मैं समुद्र तटीय भाड़े की दरों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में वक्तव्य की प्रति सभा–पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखे गये देखिये एल० टी० संख्या 780/67**]

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
Re QUESTION OF PRIVILAGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : As far as my second question of privilage is concerned you had assured me that I would be allowed to raise the question and a

decision in regard thereto would also be given by you. Hence that should be taken up either to-day or tomorrow.

राज्य–सभा से संदेश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, राज्य–सभा के सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"कि लोक–सभा द्वारा 22 जून, 1967 को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या 2 विधेयक, 1967 के बारे में राज्य-सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

सभा की बैठकों से उनुपस्थित की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM SITTINGS OF HOUSE

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने पहले प्रतिवेदन में यह सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिये सभा से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये।

(1) श्री नारायण दाण्डेकर

(2) श्री श्री मेघराज धांगाध्रा

(3) श्रीमती गायत्री देवी

(4) श्रीमती विजयमाला छत्रपति

(5) डा० शि० कु० साहा

(6) श्री जय बहादुर सिंह

मैं समझता हूँ कि सभा समिति सफारिशों से सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तदनुसार सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा ?

एयर इंडिया के विमान चालकों (पायलेटस) द्वारा हड़ताल के बारे में वक्तव्य
STATEMENT ON STRIKE BY AIR INDIA PILOTS

Mr. Speaker : Dr. Karan Singh :

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar) : Sir, I want to raise a point of order. It has generally been observed that the Minister do not accept the calling attention notice or short Notice Question and instead give a statement in this House. I don't know what has happened to my calling attention Notice which I had given regarding the matter on which the Hon. Minister is going to Make a statement.

अध्यक्ष महोदय : वक्तव्य देने का सरकार को विशेषाधिकार प्राप्त है।

Shri Kanwar Lal Gupta : I seek your protection, Sir. The Minister should give a statement in case there is a short Notice Question or Calling Attention Notice. This thing is not good than Ministers begin to Make a statement. Moreover this is not the first time.

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात समझ गया हूं। अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते यदि मंत्री उसे स्वीकार न करे। इस मामले में भी माननीय मंत्री ने उसे इसलिये स्वीकार नहीं किया होगा कि वह वक्तव्य देना चाहते होंगे।

श्री कंवरलाल गुप्त : मुझे कोई सूचना नहीं मिली है।

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) : माननीय मंत्री इस बारे में एक तरफा निर्णय कर रहे हैं। प्रायः वह अल्प सूचना प्रश्न स्वीकार नहीं करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान नियमों के अनुसार मंत्रियों को वक्तव्य देने का अधिकार है। यदि माननीय मंत्री चाहें तो वे उस मामले को नियम समिति में उठा सकते हैं। यदि नियम समिति यह मानले तो हम मंत्रियों को इस तरह वक्तव्य देने से रोक सकते हैं।

Shri Kanwar Lal Gupta : If my Short Notice Question is still pending I would request the Minister to accept it and make a statement.

अध्यक्ष महोदय : परन्तु अब मै उन्हें वक्तव्य देने से रोक नहीं सकता हूं।

The Minister of Tourism and Civil Aiation (Shri Karan Singh) : It was not possible to make a statement earlier as the strike was to start today at 5 a. m.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : The statement should have been made on the Calling Attention Notice. Now it should be laid on the Table of the House and we allowed to ask questions thereon.

अध्यक्ष महोदय : सदस्य उस पर विचार करले और बाद में यदि वे चाहेंगे तो उस पर चर्चा हो सकती है।

डा० कर्ण सिंह : मैं विवरण को सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी 781/67**]

अध्यक्ष महोदय : अब हम मध्यान्ह भोजन काल के लिये स्थगित होते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha then reassembled after lunch at fourteen of the Clock

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए** }
{ **Mr. Deputy Speaker** *in the Chair* }

समिति के लिए निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

पशु कल्याण बोर्ड

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री राम सुभग सिंह) : श्री अन्ना साहिब शिन्दे की और से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (आई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उनके निर्वाचित होने की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए, काम करने हेतु अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पशुओं के प्रति निर्दयता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 5 (1) (आई) के अनुसरण में, लोक-सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसे अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, पशु कल्याण बोर्ड के सदस्यों के रूप में, उनके निर्वाचित होने की तारीख से आरम्भ होने वाली तीन वर्ष की अवधि के लिए, काम करने हेतु अपने में से चार सदस्य चुनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अनुदानों की मांगें 1967–68 जारी
DEMANDS FOR GRANTS 1967-68 Contd.

प्रतिरक्षा मन्त्रालय-जारी

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि भारत की कोई राष्ट्रीय प्रतिरक्षा नीति नहीं है। इस पर उन्होंने सुझाव दिया था कि ऐसी नीति को बनाने के लिये संसत्सदयों की एक स्थायी समिति बनाई जानी चाहिये। परन्तु मेरा यह विचार है कि ऐसी समिति बनाये जाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि हमारे देश में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा नीति पहले ही है। यह नीति देश की अखण्डता, सीमाओं की रक्षा और लोगों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए बनाई गई थी। चाहे पाकिस्तान और चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया परन्तु हमारे लोगों के मन से सुरक्षा की भावना कभी शिथिल नहीं हुई। उन्हें मालूम था कि हमारी सेना सुसंगठित है और किसी भी आक्रमण का मुकाबला कर सकती है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि लोगों में ऐसी भावना कैसे और क्यों उत्पन्न हुई। इसका कारण यह है। कि हमारी सेना अब बहुत अच्छी है। सेना में चयन बहुत अच्छा होता है। चयन करते समय किसी जाति अथवा सम्प्रदाय के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उनका चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा हम अपने सैनिकों को जो प्रशिक्षण दे रहे हैं हमें उस पर बहुत गर्व है। एशिया के बहुत से देश अपने सैनिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे देश में भेजते हैं। इसके अतिरिक्त एक और गर्व की बात यह है कि हमारी सेना का नेतृत्व बहुत योग्य व्यक्तियों के हाथ में है। हमारे सैनिकों का मनोबल भी बहुत ऊंचा है। जब हम देखते हैं कि हमारी सेना में इतनी खूबियां है तो यह हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हम उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान करें। हमें उनके लिये अधिक परिवार क्वाटर बनाने चाहिये। मैं प्रतिरक्षा मन्त्री से प्रार्थना करता रहा हूँ कि वह गुरुदासपुर में एक छावनी बनाये। मुझे आशा है कि भूतपूर्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन को वर्तमान मन्त्री महोदय पूरा करेंगे।

हमें अपने सैनिकों को शिक्षा के लिये अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान करनी चाहिये। उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिये। यदि किसी सैनिक अधिकारी का एक स्थान से दूसरे स्थान में तबादला हो जाये तो उसके बच्चों को होस्टल में निःशुल्क शिक्षा पाने, और मुफ्त रहने और भोजन आदि का कोई खर्च न देने का अधिकार होना चाहिये। उनकी शिक्षा के खर्च को वहन करने का सरकार का अधिकार होना चाहिये। इस के साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि सैनिक स्कूल बन्द किये जाने चाहिये क्योंकि वे पब्लिक स्कूलों का प्रारूप हैं। लोकतन्त्रामक देश में उनका अधिक प्रयोग नहीं होता। मेरा यह भी सुझाव है कि राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी में सभी वर्गों के छात्रों को लिया जाना चाहिये न कि केवल अधिक उच्चतर आय वर्गों के छात्रों को।

ऐसी रिपोर्ट मिल रही है कि पाकिस्तान ने युद्ध-सामग्री दुगुनी कर ली है। इसलिए निकट भविष्य में हमें सैनिक शक्ति और युद्ध सामग्री के मामले में पाकिस्तान और चीन के बराबर अवश्य हो जाना चाहिए हमें अपने प्रतिरक्षा उत्पादन को बहुत बढ़ाना चाहिए।

हमें आरक्षित सेना (रिजर्व फोर्स) भी बनानी चाहिये। इस सेना में भर्ती होने वाले सैनिकों की आयु 21 से 25 वर्ष होनी चाहिये। हमें उन्हें सैनिक प्रशिक्षण देना चाहिये और आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाहिये। हमें अपने सीमावर्ती क्षेत्रों को भी सुदृढ़ बनाना चाहिये। सीमा से दस मील भीतर के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को शास्त्रास्त्र दिये जाने चाहिए। 20 से 25 वर्ष के बीच की आयु वाले सभी नवयुवकों को सैनिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। पुंच्छ और छब्ब औरियां क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैठ होती है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे रोकने के लिए तुरन्त प्रयत्न करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, 1963 में नव चीन ने हमारे देश पर अक्रमण किया था तो उसके बाद इस मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करते समय एक उपयुक्त प्रतिरक्षा योजना बनाने का विचार व्यक्त किया गया था। यह कहा गया था एक ऐसी पंचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना बनाई जायेगी जिस पर कुल 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह भी कहा गया था कि उस योजना के बनाने के बाद हमारी प्रतिरक्षा को एक नई दिशा मिलेगी। हम प्रतिरक्षा के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेंगे। हम अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जायेंगे। उस चर्चा के बाद अब पांच वर्ष बीतने जा रहे हैं। यह प्रस्ताव 1963 में पेश किया गया था और अब हम 1967-68 के बजट पर बोल रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि प्रतिरक्षा मन्त्रालय की रिपोर्ट में उस योजना के बारे में कोई उल्लेख भी नहीं किया गया है। उसके बारे में कोई अनुमान भी नहीं लगाया गया है। यदि ऐसा किया गया होता तो हम उस पर आगे विचार कर सकते थे। यह सब कुछ देखते हुए मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम अब भी ऐसी आशा कर रहे हैं कि ब्रिटेन और अमरीका जिन्होंने गत भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान हमें अच्छा सबक सिखाया था अपने विचार फिर से बदल लेंगे और हमें पुनः सैनिक सहायता देना आरम्भ कर देंगे। गत वर्ष भी उस समय के प्रतिरक्षा मन्त्री ने यह आशा व्यक्त की थी कि पश्चिमी देश हमें फिर से सैनिक सहायता देना आरम्भ कर देंगे। परन्तु बाद में अमरीका ने यह स्पष्ट कर दिया था कि हथियार सप्लाई नहीं किये जायेंगे। इसलिये मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अब हम क्या करने जा रहे हैं। रिपोर्ट में तो ऐसे उपायों की रूपरेखा नहीं बनाई गई है जिससे हमें यह मालूम हो सके कि प्रतिरक्षा के साज-सामान के मामले में हम कितने आत्म-निर्भर हो चुके हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमारे आयुध कारखानों में काम नहीं हो रहा है परन्तु मेरा यह विचार है कि वह पर्याप्त नहीं है।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आँफ डिफेंस स्टडीज़ की भी स्थापना की गई है। इस संस्था की मार्च अथवा अप्रैल में लंदन की इन्स्टीट्यूट आँफ स्ट्रेटेजिक स्डीज के साथ गुप्त वार्ता हुई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि उस वार्ता को गुप्त क्यों रखा गया था। हमें यह बताया जाना चाहिये कि उसमें किन-किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया। इस संस्था की एक बात और उल्लेखनीय है कि इसमें स्वतन्त्र दल के एक सदस्य श्री दांडेकर, को ही नामजद किया गया है। किसी और दल के सदस्य को इस में नहीं लिया गया है। मुझे श्री दांडेकर से कोई शत्रुता नहीं है परन्तु केवल उस दल के सदस्य के नामजद किये जाने पर जिसकी पश्चिमी देशों के साथ गुट बना कर रहने की नीति है, आपति है। क्या हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने में असमर्थ हैं। आवश्यकता तो इस बात की है कि

प्रतिरक्षा सेवाओं की भारतीय अनुसन्धान एवं विकास शाखा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये जहां तक उस पंचवर्षीय योजना का सम्बन्ध है जिसका उल्लेख 1963 में किया गया था मैं उसके बारे में बहुत असंतुष्ट हूँ। मेरे विचार से प्रतिरक्षा सेवाओं की भारतीय अनुसंधान तथा विकास शाखा को बहुत प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

हम सैनिक साज सामान के लिए अधिक समय तक विदेशी स्रोतों पर निर्भर नहीं रह सकते हैं। वे संकट के समय हमारा साथ छोड़ सकते हैं। प्रस्तावित बजट प्रक्कलनों के अनुसार प्रतिरक्षा के लिए कुल निर्धारित 969.37 करोड़ रुपये में से अनुसन्धान कार्य के लिये केवल 12.81 करोड़ रुपये रखे गये हैं जो कि केवल लगभग एक प्रतिशत के बराबर है जब कि अन्य देशों में अनुसन्धान पर लगभग 15 प्रतिशत राशि खर्च की जाती है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम विदेशों पर ही निर्भर रहना चाहते हैं।

सैनिक साज सामान के उत्पादन में आत्म निर्भर बनने के लिये विदेशों के सहयोग से जो परियोजनाएं आरम्भ की गई है उनमें बहुत कम प्रगति हो रही है। सरकार एक ओर तो युद्ध पोत, एयरक्राफ्ट कैरियर तथा अन्य साज सामान की व्यवस्था को मजबूत करने की बात कहती है और दूसरी ओर देश में उत्पादन की गति इतनी धीमी है। ऐसी अवस्था में हमें यह साज सामान विदेशों से मूल्य देकर खरीदना पड़ेगा जिसकी हमारे पास व्यवस्था नहीं है।

मित्र कारखाने में भी बहुत धीमी गति से काम हो रहा है। सरकार को यह बताना चाहिये टैंकों के पुर्जे आदि देश में बनाने के मामले में हम कहां तक आत्मनिर्भर हुए हैं। यद्यपि 'विजयन्त' आदि टैंक हमारे देश में बनने लगे है, किन्तु उसमें प्रयोग होने वाले आर्मर प्लेटों आदि का आयात किया जाता है। हमें बताया गया था कि जर्मन के सहयोग से रूरकेला इस्पात कारखाने में आर्मर प्लेट बनाने का एक पृथक एकक स्थापित किया जायेगा ताकि हमें विदेशों पर निर्भर न रहना पड़े। मन्त्री महोदय को बताना चाहिये कि इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है।

हमें पहले बताया गया था कि अमरीकी सरकार द्वारा साज सामान तथा तकनीकी सहायता बीच में रोक देने से एच० एफ० 24 लाड़ाकू विमान के निर्माण का रुक गया था। हमें एच० एफ० 24 मार्क ।। के निर्माण के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार मिश्र में इन विमानों के लिये ईंजन बनाने वाले कारखाने को हाल के अरब इजरायली युद्ध काफी नुकसान पहुँचा है। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी सभा को दें।

कनाडा से खरीदे गये कारीबो विमान पुर्जे न मिलने के कारण हवाई अड्डों पर अप्रयुक्त पड़े हैं। चीनी आक्रमण के समय यह वचन दिया गया था कि उत्तरी सीमा पर एक पूरा रेडार संचार सेट की व्यवस्था की जायेगी। हमें यह बताया गया था इसके लिये अमरीका उपकरण सप्लाई कर रहा है। इसमें से कुछ सामान आया किन्तु कुछ नहीं आया। हमें अपनी सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए शत्रु के हवाई हमलों से रक्षा के हेतु उत्तरी सीमा पर रेडार की व्यवस्था करना अत्यन्त आवश्यक है। यह सराहनीय बात है कि सरकार देश में इलेक्ट्रनिक की दिशा में विकास की ओर अधिक ध्यान दे रही

है। किन्तु जब तक हम इस सम्बन्ध में आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक क्या व्यवस्था की जा रही है, इस बारे में सभा को जानकारी दी जानी चाहिये।

अम्बझारी में गोला बारूद बनाने के सम्बन्ध में स्थिति क्या है। कुछ कठिनाइयों के कारण यह कारखाना स्थापित नहीं किया गया है। यदि यह करखाना स्थापित नहीं किया जाता है तो चन्दा में भी कारखाना स्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उस कारखाने के लिये उपकरण साज सामान आदि इस कारखाने से सप्लाई किये जायेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि अम्बझारी में कारखाना स्थापित करने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है।

पाकिस्तानी आक्रमण के बाद प्रतिरक्षा मंत्रालय ने मोटर गाड़ियों के निपटान के बारे में यह नई नीति घोषित की थी कि 35,000 मील चलने के बाद ओवर हाल किये बिना, प्रयोग में नहीं लाया जायेगा। पाकिस्तानी आक्रमण के समय हमारी सेना के पास ट्रकों की कमी थी और 6000–7,000 असैनिक ट्रक सेना के उपयोग में लाये गये थे। रक्षा व्यय की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार की नीति का पालन करना क्या उचित है। यह ठीक है कि पहाड़ों पर मोटर गाड़ियों के लिये एक निश्चित स्तर होना चाहिये किन्तु मैदानी भागों में तो काम दे सकने वाली मोटर गाड़ियों का प्रयोग किया ही जाना चाहिए। हम अभी तक देश में बनाये जाने वाली मोटर गाड़ियों में आयातित पुर्जों का उपयोग करना पड़ता है।

इस सभा में कई बार यह बताया गया है कि इस्पात कारखानों से पर्याप्त संख्या में क्रयादेश न मिलने के कारण राची में हैवी इंजीनियरी कारखाने की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्या इस बात की संभावना का पता लगाया गया है कि क्या हमारे तोपखाने के लिए रांची स्थित हैवी इंजीनियरी कारखाने ढलाई क्षमता प्रयोग किया जा सकता है ?

प्रचार मात्र के लिए प्रतिरक्षा व्यय में केवल छः करोड़ रुपये कटौती दिखाई गई। प्रतिरक्षा लेखा परीक्षा प्रति वेदनों के अनुसार बड़ी मात्रा में धन का अपव्यय हो रहा है। यदि प्रतिरक्षा प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों का पूरी तरह पालन किया जाये तो काफी धन की बचत हो सकती है।

कई माननीय सदस्यों ने रिजर्विस्ट सैनिकों की आवश्यकता के बारे में कहा है। यदि रिजर्विस्ट का तात्पर्य वर्तमान प्रादेशिक सेना और राष्ट्रीय छात्र सेना दल से है, तो इस में कटौती की जानी चाहिए। ये सैनिकों का कार्य नहीं कर सकते हैं, इनकी सेवाओं का उपयोग नागरिक प्रशासन की सहायता के लिये किया जाता है। 1967–68 में प्रादेशिक सेना तथा राष्ट्रीय छात्र सेना दल पर साढे चार करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था है, जो मेरे विचार से हम अपनी वर्तमान स्थिति में नहीं कर सकते हैं।

मुझे पता चला है कि दो प्रदर्शन रेलगाड़ियों की फिटिंग पर कुछ लाख रुपये व्यय किये जा रहे हैं, ये रेलगाड़ियां प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा की जा रही प्रगति के बारे में देश की अनभिज्ञ जनता को जानकारी देने के लिये सारे देश का भ्रमण करेंगी। क्या वित्तीय संकट के ऐसे समय में ऐसा करना उचित है।

हमारे सैनिक डिपुओं की करोड़ों रुपये का पुराना बेकार सामान पड़ा हुआ है। कई बार इस सामान को निपटाने का निर्णय किया गया है। किन्तु इस निर्णय को अंश रूप में ही क्रियान्वित किया जाता रहा है और स्थिति अभी तक पूर्ववत ही बनी हुई है।

हम 1967–68 में इंगलैंड में प्रभार नामक मद पर $28\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं। यह व्यय लन्दन स्थित उच्चायुक्त के कार्यालय से सम्बद्ध सैनिक अधिकारियों पर किया जाता है।

एक ओर तो सरकार इस प्रकार का अपव्यय कर रही है और दूसरी ओर सैनिकों के राशन आदि में कटौती करके 33 लाख रुपये की बचत करना चाहती है। सरकार को अन्य ऐसे व्यय में बचत करनी चाहिए जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार सैनिकों के राशन में कटौती करना देश के हित में नहीं। जवानों को पेट भर भोजन मिलना ही चाहिये।

श्री मं० रं० कृष्ण : (पेद्दपल्लि): यह सराहनीय बात है कि 1962 के बाद सरकार का ध्यान हमारी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की ओर गया है। वित्त मंत्री महोदय ने, जो उप प्रधान मंत्री भी हैं, आश्वासन दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, दिया जायेगा।

आज हम, हम अनुभव करने लगे हैं कि कोई देश किसी शत्रु का सामना करता है जब उसकी सेना सैनिक साज सामान से पूरी तरह सुसज्जित हो। इसराइल का स्पष्ट उदाहरण हमारे सामने है। छोटे से देश इसराइल ने अकेले ही कई देशों को हाल के संघर्ष में परास्त कर दिया था। हमें इसराइल के इस उदाहरण से शिक्षा लेनी चाहिए।

1963 में अमरीका और ब्रिटेन ने हमें हमारी सेना की आवश्यकता के लिये हथियार तथा साज सामान देने का वचन दिया था किन्तु अभी उसका कुछ अंश ही उन्होंने दिया था। मुझ से पूर्व वक्ता इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं। इस समय चीन और पाकिस्तान दो देशों से हमें खतरा है। चीन इस समय एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है। पाकिस्तान को भी अमरीका तथा चीन से हथियार मिल रहे हैं। एक ओर भारत में नागा लोग भारत में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। ये लोग चीन और पाकिस्तान में छापामार युद्ध का प्रशिक्षण लेते रहते हैं और उन्हें इन देशों से हथियार भी मिलते हैं।

इन सब बातों को देखते हुए सरकार ने एक पांचवर्षीय प्रतिरक्षा योजना तैयार करने का निर्णय किया है। इस योजना के अन्तर्गत अल्पकालीन कार्यक्रम तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम की व्यवस्था होनी थी। अल्पकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत सेवा के लिये आवश्यक साज सामान की व्यवस्था की जानी थी। दीर्घकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में सैनिक साज सामान बनाने तथा मिग आदि कारखाने स्थापित करने की व्यवस्था थी। कठिनाइयों के बावजूद भी हम कार्यक्रम के अनुसार मिग कारखाना स्थापित करने का कार्य चल रहा है।

{ श्री एस० एम० जोशी पीठासीन हुए
Shri S. M. Joshi *in the Chair* }

किन्तु अल्पकालीन कार्यक्रम के अन्तर्गत साज सामान मिलने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए।

आज हमारे स्थायी शत्रु अधिक हैं। मित्र अस्थायी तथा संख्या में कम हैं। वे संकट के समय हमारा साथ नहीं देंगे। अतः हमें अपनी सुरक्षा के मामले पर विदेशों की सहायता पर निर्भर न रह कर अपने देश के साधनों पर ही निर्भर रहना होगा। इसके लिये प्रतिरक्षा सामान का उत्पादन करने वाले उद्योगों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है तथा अपनी आवश्यकता वस्तुएं स्वयं बनानी चाहिए। यदि सरकारी क्षेत्र के कारखाने इस आवश्यकता को पूरी करने में असमर्थ हैं तो हमें गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों का उपयोग इस कार्य के लिये करना चाहिए।

हमारी वायुसेना के केनबरा बी–158 विमान तथा वम्पायर विमान पुराने हो चुके हैं। उन्हें बदलने की आवश्यकता है। मंत्री महोदय को बताना चाहिये कि सरकार इस दिशा में क्या कार्यवाही कर रही है। चीनी आक्रमण के समय हमारे सामने यह बात आई कि हमारे देश में प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्तियों की कमी है। मंत्री महोदय ने प्रशिक्षण देने के लिये प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण संस्थाएं खोलने का आश्वासन दिया था। 1958 में लगभग 200 विमान मरम्मत के लिये पड़े थे किन्तु उनकी मरम्मत के लिये योग्य व्यक्ति बहुत कम थे। इसलिये उनकी मरम्मत न की जा सकने के कारण उनमें से 30 विमान अनुपयुक्त घोषित कर दिये गये। अतः मेरा अनुरोध है कि सरकार को प्रशिक्षण कार्यक्रम में किसी प्रकार ढील नहीं देनी चाहिए, चाहे इस पर कितना ही धन क्यों न खर्च करना पड़े।

प्रतिरक्षा मंत्रालय का विचार राष्ट्रीय छात्र दल सेना दल के व्यय में कमी करने का है। मैं समझता हूं कि सरकार को इस व्यय में कमी नहीं करनी चाहिए, राष्ट्रीय छात्र सेना दल से हमें आपात काल के समय योग्य व्यक्ति सेना के लिये मिलते हैं। यदि सरकार इस व्यय में कमी करना ही चाहती है, तो शिक्षा संस्थाओं को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

हमें देश की सुरक्षा के लिये सैनिकों पर निर्भर रहना पड़ता है। वही हमारे देश के प्रहरी हैं। आज उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। सरकार को उनके कल्याण का ध्यान रखना चाहिये। आज हमारे सैनिकों को बहुत कम वेतन/भत्ता मिलता है। सरकार को उनके वेतन भत्ते में वृद्धि करना चाहिए। यह खेद की बात है कि सरकार उनके राशन में भी कटौती कर रही है। बचत अन्य मदों में हो सकती है। उदाहरण के लिये इंजीनियरी, सेना को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय मार्ग में होने वाले नुकसान पर होने वाले व्यय में बचत की जा सकती, अतः सरकार को बचत हो सकने वाली मदों पर होने वाले व्यय में कटौती करनी चाहिये। इसके लिये बहुत सोच समझ कर और सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है।

छावनी क्षेत्र सेना के लिये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है किन्तु उनकी उपेक्षा की जाती है। वहां पर किसी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं होती है। वहां बच्चों की शिक्षा,

बच्चों के पार्क तथा रहने के लिये मकानों की व्यवस्था नहीं है। प्रतिरक्षा मंत्रालय को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

श्री विश्वनाथन (वांडीवांश) : हमें इस समय अपने शत्रुओं से खतरा बना हुआ है। इसलिये हमें अपनी प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति पर फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। अब चीन भी एक परमाणु शक्ति वाला देश बन गया है तथा पाकिस्तान अपनी सैनिक शक्ति को अन्य देशों से सैनिक साज-सामान खरीद कर बढ़ा रहा है। अमरीका तथा चीन पाकिस्तान को पुर्जे, उपकरण तथा घातक हथियार दे रहे हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमें सैनिक साज-सामान के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर बनना होगा, तभी हम अपने देश की शत्रुओं से रक्षा कर सकते हैं।

हमारे देश में इस समय केवल पन्द्रह सैनिक स्कूल हैं। ये स्कूल देश के लिये अच्छे सैनिक तैयार करने के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। देश की आवश्यकता को देखते हुए ये सैनिक स्कूल बहुत कम हैं। इनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। एक सैनिक स्कूल उत्तरी आर्कट में खोला जाना चाहिए क्योंकि उस क्षेत्र के प्रत्येक गांव के सैनिक विद्यमान हैं।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के लिये हिन्दी की परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए क्योंकि दक्षिण भारत के अधिकांश कर्मचारियों को हिन्दी का ज्ञान नहीं होता है। पदोन्नति के मामले में उनके साथ भेदभाव किया जाता है क्योंकि वे हिन्दी की परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। सभी व्यक्तियों के साथ एक सा व्यवहार किया जाना चाहिये और देश की अखण्डता के लिये कार्यरत सैनिकों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमारी नौसेना बहुत उपेक्षित है। नौसेना को सुदृढ़ बनाने की बहुत आवश्यकता है। हमें नौसेना को सुदृढ़ बनाने के लिये कुछ पनडुब्बियां भी प्राप्त करनी चाहिए।

आज शत्रुओं से देश की रक्षा के लिये वायुसेना का बहुत अधिक महत्व है। जब तक हमारी वायुसेना सुगठित और सुदृढ़ नहीं होती, तब तक हम निश्चिन्त नहीं रह सकते हैं। हमें देश में वायुसेना के लिये लड़ाकू विमानों का निर्माण करना चाहिए। सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिये सीमाओं पर रेडार श्रृंखला स्थापित की जानी चाहिए जिससे हम शत्रुओं के हवाई हमलों से अपनी रक्षा कर सकें।

हमें अपने देश में जीपों और ट्रक एवं मोटरगाड़ियों का निर्माण करना चाहिए। इस समय देश में निर्मित जीपों और मोटरगाड़ियों में अधिकांश आयितित पुर्जों का प्रयोग होता है। हमें अपने देश में बनाई जाने वाली जीपों के सभी पुर्जे देश में ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।

प्रायः यह कहा जाता है कि प्रतिरक्षा कारखानों में औद्योगिक सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं, किन्तु यह गलत है। बंगलौर और कानपुर के कारखानों में नवम्बर, 1966 में तालाबन्दी हुई थी। प्रबन्धकों ने कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया। सरकार को इन कारखानों में सौहर्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के लिये उचित कदम उठाने चाहिए।

अब मैं प्रतिरक्षा व्यय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। सरकार व्यय में कमी करने की बात कही जाती है। किन्तु यह हमारा दुर्भाग्य है कि स्वीकृत राशि का उचित उपयोग नहीं होता है। उदाहरणार्थ, सरकार ने इंजनों की खरीद में 239.32 रुपये का नुकसान उठाया। इसी प्रकार एक दूसरे मामले में लंदन में हमारे वायु सलाहकार की इटली की मुद्रा के बारे में अनभिज्ञता तथा वायुसेना मुख्यालय के पदाधिकारियों की गैरजिम्मेदारी के कारण, विशेष सामान की 7 मदों की खरीद कर सरकार को 91.630 रुपये का नुकसान उठाना पड़ा।

हमारे सैनिक मुख्यालय ने 95.120 टन मुरब्बे के लिये क्रयादेश दिया था। इस करार में अपेक्षित वारंट क्लॉज की व्यवस्था नहीं की गई थी। खरीदे जाने के एक वर्ष बाद 95 टन में से 28.9 टन अचार-मुरब्बा मानव उपभोग के योग्य नहीं रहा, जिससे 56,200 रुपए का नुकसान हुआ। यदि वारंटी सम्बन्धी धारा होती, तो उन्हें 18 महीने तक उत्तरदायी ठहराया जा सकता था। परन्तु ऐसी व्यवस्था नहीं थी।

मैं एक अन्य उदाहरण दूंगा, नेशनल कैडेट कोर के यूनिटों के लिये 57 ग्लाइडर खरीदे गये। आरम्भ में एक मूल्य लगभग 15,000 रुपये होने का अनुमान था परन्तु वस्तुतः वे 36,000 रुपए की दर से खरीदे गये और फिर उनमें से केवल एक को दो घण्टे के लिये उड़ाया गया, प्रतिरक्षा मंत्रालय इस प्रकार जनता के धन का अपव्यय कर रहा है।

'सैनिक समाचार' पत्रिका व भाषाओं में साधारण कागज पर नहीं अपितु सुपर कलैण्डर कागज पर छापी जा रही है। एक और सरकारी व्यक्ति को इसके मुद्रण के लिये 21,000 रुपए प्रति मास दिये जा रहे हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस पत्रिका की बिक्री बढ़ गई है परन्तु सत्य यह है कि 1966-67 में इसकी बिक्री में 5000 प्रतियां कम हुई है। इसमें सैनिकों की रुचि कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिये वे इसे नही खरीदते हैं। इसे साधारण कागज पर छाप कर बहुत सा धन बचाया जा सकता है और सैनिकों के राशन में की जा रही कटौती को रोका जा सकता है।

सेना में छटनी को तुरन्त रोका जाना चाहिए। 20-25 वर्ष की सेवा हो जाने पर भी प्रतिरक्षा विभाग में पानी भरने वालों, भंगियों आदि को अस्थायी ही माना जाता है और उन्हें पेंशन नहीं मिलती है। अन्य विभागों में दो अथवा तीन वर्ष की सेवा के बाद कर्मचारियों को स्थायी बना दिया जाता है, लगभग 10,000 परिवार प्रभावित हैं। प्रतिरक्षा मंत्री को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। सैनिकों को अपनी यूनियन बनाने की अनुमति नहीं दी जाती है और कह दिया जाता है कि उन पर सेना अधिनियम लागू होता है। लेकिन राशन के मामले में उन पर सेना अधिनियम क्यों नहीं लागू किया जाता? इन लोगों के कल्याण के लिये प्रतिरक्षा मंत्री को तुरन्त कुछ करना चाहिए।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि) : सभापति महोदय, अपने भाषण के आरम्भ में मैं दो बातें कहना चाहती हूं। एक तो यह कि 'लोक हित में नहीं' और गोपनीयता' की बात संसद और भारतीय जनता पर ही लागू होती है। अभी जुलाई, 1966 में हुई एक विचार गोष्ठी के बाद प्रकाशित एक पत्रिका में एक विदेशी व्यक्ति ने 1965 के संघर्ष का विस्तृत विवरण दिया। इससे लोगों में विश्वास उत्पन्न नहीं होता। ऐसे मामलों में सरकार को संसद

को स्थिति बताकर जनता में विश्वास पैदा करना चाहिए। दूसरी बात मैं गाजा पट्टी से भारतीय सैनिकों को निकालने के बारे में कहना चाहती हूं। यदि हम उनको विमानों से लाने के लिए धन खर्च करने को तैयार होते, तो उन्हें निकाला जा सकता तथा 19–20 सैनिकों की मृत्यु न होती। उनको वहां से निकालने में एक महीना लग गया इससे तालमेल की कमी दिखाई देती है।

मैं समझती हूं कि हमारी प्रतिरक्षा नीति के बारे में पहली आवश्यक बात यह है कि शत्रु को पहचानें, उसकी शक्ति का पता लगाएं और उसके साथ संघर्ष के लिये जनता को तयार करें। सौभाग्य से 1965 से पहले कच्छ का मामला हो चुका था, तो हमरी सेना तैयार थी, परन्तु 1962 में चीनी आक्रमण के समय हमारी सेना और जनता तैयार नहीं थी। अक्तूबर, 1962 में सेना ने लद्दाख में ढोला दर्रे के क्षेत्र में बिना किसी समुचित सामरिक व्यवस्था के चौकियां–मोर्चे आदि बनाने की नीति आरम्भ की थी। मैं समझती हूं कि यह बात करना उचित है क्योंकि यह सब लैफ्टिनेंट जनरल कौल की पुस्तक में प्रकाशित हो चुका है। यह नीति मंत्रिमण्डल की स्वीकृति से, स्थानीय कमान्डर की ओर से अथवा जनरल कौल की ओर से आरम्भ की गई थी। आज तक हमें इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। निर्णयों में और उनकी क्रियान्विति में उचित समन्वय होना चाहिए। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी कि क्या इस दिशा में सुधार किया जायेगा ?

जो घटनायें हुई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनका क्या अनुमान है ? यह कहने से कोई लाभ नहीं कि यह बताना लोकहित में नहीं। हम समझ नहीं पाते हैं कि एक दिन दोनों ओर के भारत और पाकिस्तान–जनरल मिले, मीठी–मीठी बातें हों और अगले ही दिन सुनते हैं कि पाकिस्तान के साथ छोटे अथवा बड़े पैमाने पर संघर्ष हो सकता है, चीन के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन तो हम हिन्दी-चीनी भाई–भाई के नारे लगाते थे और दूसरे दिन दोनों के बीच तलवारें खनखना जाती थीं, हमें देखना चाहिए कि किस स्थान से हमला होने की आशंका है और क्या हमने इसके लिये उचित व्यवस्था की है ? क्या आप समझते हैं कि युद्ध फिर पंजाब में होगा ? क्या पाकिस्तान सेना पुराने मार्ग से आयेगी अथवा कोई नया मार्ग अपनायेगी ? आसाम के लोग तैयार नहीं थे। वहां पर कैसा आतंक फैला था, यह सर्व विदित है। मैं नहीं कहती कि सेना की गुप्त बातें बताई जायें। मैं तो इतना चाहती हूं कि आने वाली परिस्थिति के लिये लोगों को तैयार किया जाना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते, तो हमें नेफा जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। सेला में क्या हुआ। लोगों ने वहां हमें आशानुकूल सहयोग नहीं दिया। फिर भी क्या इसे लोक हित में समझा जाता है ? क्या हार खानी लोक हित में है ? क्या यह लोक हित में है कि सेना को बिना पर्याप्त सामान और तैयारी के मोर्चों पर भेजा जाये ?

अभी हाल में हुई तीन महत्वपूर्ण घटनाओं की ओर हमें ध्यान देना चाहिए। प्रथम उद्जन बम का विस्फोट, दूसरे हमारी सीमाओं पर तनाव की स्थिति तथा दो बड़ी शक्तियों में वार्ता। आपको यह निर्णय करना है कि इनसे हमारी स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम में फिर संघर्ष होता है, तो अमरीका और रूस की क्या प्रतिक्रिया होगी ? एक व्यापक प्रतिरक्षा नीति होनी चाहिए, इन प्रश्नों का न केवल उत्तर दिया जाना चाहिए बल्कि

लोगों को स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए क्योंकि जब तक आप लोगों को मानसिक रूप से तैयार नहीं करते आप किसी भी सैनिक संघर्ष, छोटा चाहे बड़ा हो, की बात नहीं सोच सकते।

यह चिन्ता की बात है कि हम सोचते रहें कि प्रति वर्ष ग्रीष्म ऋतु के बाद क्या होगा। यह अधिक लोक हित में होगा कि संसद् को वस्तु स्थिति बताई जाये। बीस वर्ष हो गये हैं, हम इस डर में अपनी अर्थ–व्यवस्था और प्रतिरक्षा को बनाते रहे हैं कि किसी भी समय हमें अ क्रमण का सामना करना पड़ सकता है। काश्मीर की समस्या बीस साल से बनी हुई है। हम आज निरन्तर टक्कर के युद्ध का सामना कर रहे हैं।

हमारे प्रतिरक्षा व्यय का ढांचा वही पुराना है। रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि हमारी वायु सेना की शक्ति को बढाया गया है अथवा नहीं। समाचारपत्रों में आ रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान से विमान प्राप्त किये हैं, पाकिस्तान के वार्षिक दिवस के अवसर पर परेड में चीन में निर्मित सामान का भी प्रदर्शन किये जाने के समाचार हैं, हमें नहीं मालूम कि इसमें क्या और कितना सच है। यह दुख की बात है कि हम अपने सोचने का तरीका अपने व्यय का तरीका नहीं बदल सके हैं। पिछले संघर्ष में हमें रडार उपकरणों की कमी के कारण बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हमें मालूम है कि हमारे मित्र होने का दावा करने वाले लोग हमें ये उपकरण नहीं देने वाले हैं, अभी उद्जन बम के विस्फोट के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के समय मैंने भाभा समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया था। उसमें डा० भाभा ने स्पष्ट कहा है कि हमें केवल प्रति वर्ष 15 करोड़ रुपए की व्यवस्था करनी है और देश में पर्याप्त क्षमता है। प्रति वर्ष 900 करोड़ रुपयों में से हम 15 करोड़ रुपए नहीं दे सकते ? 2,000 करोड़ रुपए की योजना में से 15 करोड़ रुपए नहीं दिये जा सकते ? आधुनिक युद्ध प्रणाली का अर्थ जनशक्ति बढ़ाना नहीं है अपितु ऐसी क्षमता उत्पन्न करना है जिससे आक्रमण करने का किसी को साहस न हो और यदि आक्रमण हो, तो उसका प्रत्युत्तर दिया जा सके। बिना रडार उपकरणों और प्रक्षेपणास्त्रों के सीमित पैमाने पर भी युद्ध नहीं हो सकता है। भाभा समिति के प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि हम इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर कुल राष्ट्रीय आय का केवल 0.15 प्रतिशत खर्च करते हैं जबकि जापान जैसे उन्नत देश भी इससे अधिक धन खर्च करते हैं। मन्त्री महोदय से मैं जानना चाहती हूं कि क्या इलैक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के लिये कोई गुप्त व्यवस्था है ? उद्जन बम होना ही आक्रमण रोकने के लिये आवश्यक नहीं है। प्रश्न यह है कि क्या हम अपने शत्रुओं के विरुद्ध-चीन और पाकिस्तान-इसका प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं। पाकिस्तान के विरुद्ध हम पुराने सम्बन्धों के कारण और चीन के विरुद्ध उसका जवाबी हमला नहीं सह सकने के कारण इसका प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिये परमाणु बम बनाना आवश्यक नहीं है। लेकिन यह आवश्यक है कि हम इतनी क्षमता का विकास करें कि जब चाहें उसका निर्माण कर सकें। उस क्षमता का उद्योगों में उपयोग किया जाये और उसका सामान्य प्रतिरक्षा में भी उपयोग किया जा सकता है। यही डा. भाभा ने कहा है।

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड और एच० एफ०–24 के निर्माण के बारे में, जिसके बारे में लोक लेखा समिति को विचार करने के लिये कहा गया है क्योंकि लगभग 237 लाख रुपये की हानि हुई है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। सम्पूर्ण प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में यही

स्थिति है । अवाड़ी कारखाने के बारे में बहुत शोर शरबे के बाद एक टैंक बनाया गया है । दूसरी बात मैं कारखानों के स्थानांनतरण के बारे में कहना चाहती हूं । हम एक स्थान पर कारखाना स्थापित करते हैं, उस पर धन खर्च करते और कुछ वर्ष बाद उसे वहां से स्थानांतरित कर देते हैं । अहमदनगर में 12 वर्ष से मोटर गाड़ियों के निर्माण के लिये कारखाना है, वहां बहुत से सहायक उद्योग स्थापित हो गये हैं । अब दिल्ली में बैठकर कोई निर्णय करता है कि उसे वहां से स्थानांतरित कर दिया जाये । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो 12 वर्ष बाद निर्णय क्यों किया गया है ?

यही स्थिति मिग विमान के कारखाने की है । इंजन कहीं बनते हैं, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण किसी और स्थान पर तथा अन्य उपकरण कहीं और ही बनते हैं । इसके विभिन्न यूनिट दूर-दूर चार–पांच स्थानों पर हैं । यदि किसी पुर्जे या उपकरण में कोई खराबी हो, तो उसे मरम्मत के लिये हजारों मील ले जाना पड़ेगा । कुछ वर्ष बाद हो सकता है कि मंत्रालय उन्हें भी स्थानांतरित करने का निश्चय करें ।

मैं समझती हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय बहुत बढ़ गया है । इतने बड़े मंत्रालय में किस प्रकार समन्वय हो सकता है । प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रतिरक्षा मंत्रालय से अलग किया जाना चाहिए । मैंने ये सब बातें एक ही उद्देश्य से कही हैं कि हमारी एक व्यापक प्रतिरक्षा नीति होनी चाहिए, जो इस बात को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए कि कम से कम आगामी कुछ महीनों में हमारे शत्रु कौन हैं । हम अस्थायी निर्णयों पर निर्भर नहीं रह सकते । अमर्जेन्सी कमीशन देकर हम एकदम से सेना की जनशक्ति नहीं बढ़ा सकते । अब हम उन्हें निकाल रहे हैं । 1939-45 के युद्ध के बाद भी अमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को बीस वर्ष तक रखा गया था । सरकार को इस बारे में विचार करना चाहिए । प्रतिरक्षा नीति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किसी समय में उपलब्ध विभिन्न राजनैतिक, आर्थिक, सैनिक विकल्पों को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए । अन्त में मैं कहना चाहती हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय बहुत बढ़ गया है । आधुनिक विज्ञान और टैक्नॉलाजी को ध्यान में रखते हुए जहाज-निर्माण आदि सभी प्रकार के प्रतिरक्षा उत्पादन को प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन रखने की किसी भी देश में प्रथा नहीं है । 100 अथवा 50 वर्ष पहले ऐसा होगा परन्तु अब ऐसा नहीं है । यदि प्रतिरक्षा मंत्रालय को कुशलता से चलाना है, तो इसका पुनर्गठन करना चाहिए ।

श्री उमानाथ (पुद्दूकोटै) : इस प्रतिरक्षा बजट का हमारे देश की अर्थ-व्यवस्था और लाखों लोगों के पारिवारिक बजट पर बुरा प्रभाव पड़ेगा । देश के लोगों के सच्चे हित में प्रतिरक्षा बजट में भारी कटौती होनी चाहिए । प्रतिरक्षा व्यय अधिक होने से बड़े उद्योगपतियों को क्रयादेश मिलने से लाभ होता है । टाटा को ट्रकों के, माहेन्द्रा को जीपों के, मफतलाल को तम्बुओं के, कैलिको को मच्छरदानियों के और बिड़ला को अन्य चीजों के बहुत से क्रयादेश मिलते हैं । ये सब उद्योग समूह लगी हुई पूंजी की तुलना में बहुत अधिक लाभ कमाते हैं । 1964–65 में 51 बड़े समूहों का औसत लाभ 11 प्रतिशत का जबकि महिन्द्रा का 15 प्रतिशत और कैलिको का 17 प्रतिशत था । इस प्रकार सरकार बड़े उद्योगपतियों को भारी लाभ कमाने में संरक्षण दे रही है । हमारी अर्थ-व्यवस्था के सैन्यीकरण से हमारे देश के लाखों लोगों का सर्वनाश होगा । मुझे मालूम हुआ है कि टाटा को एक ट्रक पर 2,000–4000 रुपए का

लाभ होता है। यदि मैं गलत कह रहा हूं, तो प्रतिरक्षा मंत्री सही स्थिति स्पष्ट कर दें। दूसरी ओर पैदल सेना के एक सैनिक को 55 रुपए मात्र मूल वेतन मिलता है। मेरे विचार से 2,000 - 4,000 तक लाभ देना अनुचित है। यह बैंक दर तक सीमित रहना चाहिए। इससे पर्याप्त बचत हो सकती है। यदि सरकार इसे स्वीकार नहीं करती, तो मैं कहूंगा कि 'जय जवान' का नारा केवल असली नारे 'जय टाटा, जय बिड़ला' को दिखाने के लिये है।

मैं देश की सुरक्षा के लिए एक बड़े खतरे की ओर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह है हमारे उच्च सैनिक अधिकारियों को, सरकार की पीठ पीछे विदेशी अधिकारियों से सम्पर्क है। लेफ्टिनेंट जनरल कौल ने अपनी पुस्तक 'अनटोल्ड स्टोरी' में लिखा है कि उन्होंने 4 (रैड ईगल) इंफैन्ट्री डिवीजन की कमान संभालते ही ब्रिटेन के एक भूतपूर्व कमान्डर मेजर जनरल टी० डबल्यू–रीज को लिखा कि वे कुछ वर्ष पहले की तरह उनका मार्ग-दर्शन करते रहेंगे। जनरल कौल ने आगे लिखा है कि जनरल रीज़ को उनके डिवीजन के बारे में जानकारी प्राप्त करने में प्रसन्नता होगी और जनरल कौल अपने डिवीजन के समाचार उन्हें भेजते रहे। यह स्थिति है। पता नहीं कितने अधिकारियों के ब्रिटेन, अमरीका अथवा अन्य देशों के साथ सम्पर्क हैं।

दूसरे हमारे उच्च सैनिक अधिकारियों के पास विदेशी उद्योगपतियों की सीधी पहुँच है। यह मैं सैनिक अधिकारियों के स्वीकारोक्ति के आधार पर कह रहा हूं। जनरल चौधरी ने अपनी पुस्तक 'आर्म्स, एम्स एण्ड एस्पैक्ट्स' में लिखा है कि 1951 में अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्हें बर्मा-शैल के मालिक श्री सिंक्लेयर ने एक कॉक्टेल पार्टी दी। जनरल कौल 1961 के बारे में लिखते हैं कि लन्दन में बर्मा-शैल के मालिक सिंक्लेयर ने उनकी आवभगत की। सरकार को मालूम है कि विदेशी तेल कम्पनियों के मालिक विभिन्न स्वतंत्र देशों में सरकार बदलने के लिये उत्तरदायी रहे हैं। इनके साथ हमारे उच्च सैनिक अधिकारियों का निरंतर सम्पर्क रहता है और वे इन पर बहुत सा धन खर्च करते हैं। इसके विपरीत एक जवान को संसद् सदस्य अथवा विधान मण्डल सदस्य के पास तक जाने की अनुमति नहीं है। इसे अपराध समझा जाता है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
The Deputy Speaker *in the Chair*]

अब मैं विदेशी समाचार पत्रों के सैनिक संवाददाता के रूप में उच्च सैनिक अधिकारियों के काम करने के बारे में कहना चाहता हूँ। श्री चौधरी मेजर जनरल के पद पर काम करते हुए और बाद में सेनाध्यक्ष होते हुए भी ब्रिटेन के एक समाचारपत्र स्टेट्समेन के सैनिक संवाददाता के रूप में काम करते रहे। इस ओर ध्यान दिलाने पर प्रतिरक्षा मंत्री ने कहा कि उनकी जानकारी के अनुसार श्री चौधरी ने इसकी अनुमति ले ली थी। यह सच नहीं है। जनरल चौधरी ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उनके संवाददाता के रूप में काम करने की बात एक कॉकटेल पार्टी में तय हुई थी और 'स्टेट्समेन' समाचारपत्र में भी सम्पादक और एक अन्य व्यक्ति के अतिरिक्त किसी को भी इसका ज्ञान नहीं था। सरकार को भी मालूम नहीं था कि उन लेखों को लिखने वाला व्यक्ति कौन था। एक अन्य गंभीर बात जनरल चौधरी ने यह

लिखी है कि उन्होंने इन लेखों को सरकार की सैनिक नीति पर प्रभाव डालने का माध्यम बनाया था क्योंकि उन्हें अपनी सरकारी हैसियत में कार्यवाही सफल होने की आशा नहीं थी। 1965 में कच्छ संघर्ष के समय, जब वे सेनाध्यक्ष थे, सेना में कुछ दोष मालूम दिये, जिनकी अभिव्यक्ति उन्होंने इस समाचारपत्र में एक लेख में की और उसका प्रभाव सरकार की नीति पर पड़ा।

अब मैं जवानों की काम की दशा और सेवा की शर्तों का उल्लेख करना चाहता हूँ। सेना में जवान को 55 रुपए प्रतिमास मूल वेतन मिलता है जबकि एक कांस्टेबल को 75–95 रुपए और एक चपड़ासी को 80–95 रुपए मिलते हैं। आगे जे० सी० ओ० तथा अन्य अधीनस्थ सैनिकों को महगाई भत्ते की असैनिकों की दर के दो–तिहाई के हिसाब से महंगाई भत्ता दिया जाता है, पूरा नहीं परन्तु सेना के अधिकारियों को पूरा महगाई भत्ता मिलता है। यह असमानता क्यों है ? अधिकारियों को 50 रुपए प्रतिमास परिवारों से पृथक रहने का भत्ता मिलता है परन्तु सैनिकों को कुछ भी नहीं। राशन भत्ता अधिकारियों को 12 रुपए प्रतिदिन मिलता है परन्तु डी० सी० ओ० तथा अधीनस्थ सैनिकों को प्रतिदिन 1.75 रुपए की दर से मिलता है। तबादला होने पर अधिकारियों को प्रासंगिक भत्ता मिलता है परन्तु सैनिकों को नहीं मिलता है। अधिकारियों के मकान का कोटा शत प्रतिशत है जबकि सैनिकों का कोटा केवल 14 प्रतिशत है। मैं ये तथ्य प्रतिरक्षा मंत्री महोदय के उत्तर से दे रहा हूं। इस पुराने उपनिवेशवादी दृष्टिकोण को त्याग चाहिए।

मेरी जानकारी यदि सही है, तो हवलदार से जमादार बनाने के लिये हिन्दी में प्रवीण होने की शर्त हैं। इससे सेना और देश की एकता को खतरा है। एक अन्य प्रश्न सेना के लोगों को परेशान किये जाने का है। 1960 में एक श्री संतोखसिंह को प्रतिरक्षा कर्मचारियों की यूनियन बनाने के कारण मुअत्तिल कर दिया गया और 1962 में उसे पुनः नियुक्त किया गया और ग्वालियर भेज दिया गया।

सरकार 6,000 इमर्जेन्सी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की धीरे-धीरे छंटनी करने जा रही है। इससे सेना के कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया जा रहा है। मेरा रक्षा मंत्री से निवेदन है कि इस छंटनी को बन्द कर दिया जाये और इन अधिकारियों को अन्य रोजगार उपलब्ध होने पर ही उनको सेना से निकाला जाये।

एवरो विमान का निर्माण कार्य ठीक तरह से नहीं चल रहा है। इस विमान का निर्माण प्रतिरक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये आरम्भ किया गया था परन्तु अब इससे इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की आवश्यकता पूरी की जा रही है। यहां तक कि इस निगम की मांग भी पूरी नहीं की जा सकी है और वह भी फोकर फ्रैंडशिप विमान खरीदा जा रहा है। इसका कारण यह है कि प्रतिरक्षा विभाग ने अभी इसकी उपयुक्तता के बारे में निर्णय करना है। इसकी उपयोगिता के बारे में निर्णय करने से पहले इसका निर्माण क्यों आरम्भ किया गया ? इसके लिये दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिया जाना चाहिये।

हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड, बंगलौर में वायु सेना उपकरण बनाने सम्बन्धी परियोजना की ओर भी मैं सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। 1956 का प्राक्कलन

1,10,00,00 रुपये था। 1961 का पुनरीक्षित प्राक्कलन 4,50,00,000 रुपये था। 1965 का पुनरीक्षित प्राक्कलन 5,56.00,000 रुपये था। इस पर 2,39,00,000 रुपये खर्च हो चुके हैं और अब इस समूची परियोजना को त्याग दिया गया है।

दूसरे बेल मिशन ने अपने प्रतिवेदन में सलाह दी है कि प्रतिरक्षा खर्च में कमी की जाये और पाकिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग की संभावनाओं का पता लगाया जाना चाहिये। एक ओर तो अमरीका पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा है और दूसरी ओर वह हमसे प्रतिरक्षा व्यय में कमी करने की बात कह रहा है। वह हमें अधिकाधिक पराश्रित बनाना चाहता है। बेल मिशन ने पाकिस्तान के साथ शान्ति और चीन के साथ युद्ध की बात कह कर अमरीकी नीति का ही समर्थन किया है। इस नीति से हमारी अर्थ-व्यवस्था, प्रभुसत्ता एवं स्वतन्त्रता नष्ट हो जायेगी। हमें यह रण नीति छोड़ देनी चाहिये और चीन सहित हमें सभी पड़ोसी देशों के साथ शान्ति की नीति अपनानी चाहिये और अपने रक्षा बजट में कमी करके लोगों को राहत पहुँचानी चाहिये।

Shri Gajraj Singh Rao (Mahendragarh): Our country faces danger from two neighbouring countries. We should always be fully prepared to meet any threat whatsoever. Antinational elements exist within the country and we have to be on the guard so far as these elements are concerned. Government should keep a close watch on their activities.

The security force which is at present under the Ministry of Home Affairs should be left to the care of the Ministry of Defence especially in the areas which are open to aggression. Retired army personnel should be given preference for appointment in the security forces.

We should not make any cut in our defence budget. If we require additional funds for other purposes, other sources should be tapped. Some railway bogeys should be reserved for army personnel. As at present, they have to spend some days on the railway stations. Those days of their leave go waste.

Government should take special care of the families of the army personnel. This step will help raise their morale further.

Some emergency commissioned officers are being retrenched. These officers have served this country at a time when it was exposed to a grave danger. Government should take it upon themselves to absorb them in civil employment. The morale of our soldiers is very high. But steps should also be taken to strengthen our civil defence which is most essential.

Shri Arjun Singh Bhadoria (Etawah): The amount ear marked for defence should be spent in full. The amount allocated for ordnance factories has not been fully utilised.

{श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए}
{Shri G. S. Dhillon *in the Chair*}

Various types of equipments required for defence purposes should be procured without any delay. In 1963 engines worth 4 65 lakhs of rupees were purchased and they remained idle for 2-3 years for want of a spare parts costing only 41 paise which could not

be procured. Government have already made payments of Rs. 3 rores for the procurement of 1200 road rollers for the army but stil: they have not been pr cured. Therefore the question before us is not for an increase in de ence allocation b it its fuller utilisation. Some equipments for the navy were idented in 1952-53 and they could not be procured before 1957. This clearly shows that there is something wrong some where. The foreign and defence policies are closely interrelated. Our foreign policy has so far been under the influence of some foreign countries. As a result of this we have not been able to make our defence forces fully upto-date and strong. We should adopt an independent foreign policy.

Some 6,000 emergency commissioned officers are being retrenched. They have helped the country at a critical time. We should not do any such thing which will have an adverse effect on the morale of our armed forces. What are the reasons which have compelled the Government to retrench these persons. Such a step may result in wide-spread dis-contentment and rebellion which will not only affect the armed forces but the independence and security of our country as well.

I want to bring one more thing to the notice of the Government. The General Officer commanding in Gaza General Rikhey has informed Dr. Lohia that the Indian Soldier gets Rs. 3/- per day while Italian or Swedish Soldier gets Rs. 60/- per day, On this issue General Rikey was taken to task. But on the other hand our Prime Minister has called some Army Officers and asked their readiness in regard to a situation if Parliament disolved.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : जनरल रिखी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। प्रधान मंत्री ने किसी जनरल को नहीं बुलाया, यह सब गलत बात है।

Shri Arjun Sihgh Bhadoria : I have said with authority. I am on both side every thing I have said is correct. The second thing I want to say that we should increase our defence production. We should not depend on other countries for meeting our defence requirements and make serious endeavours to achieve self-sufficiency in the matter of defence production.

The ruling party has not taken any steps to raise the morale of our countrymen during the last 20 years. Without raising their morale, we cannot defend our country and safeguard its indepenpence. The history of our defence during the last 20 years has been the history of the failures of our defence policies, the history of this Government has been the history of its failures.

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का समर्थन किया है कि 1962 में चीनी आक्रमण के पश्चात् प्रतिरक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में जो शुरूआत की गई है उसे जारी रखा जाये और उसमें और तीव्रता लाई जाये। प्रतिरक्षा उत्पादन का कार्यक्रम चलाना नितान्त आवश्यक है। इसका मूल लक्ष्य यह होना चाहिये कि हम आत्मनिर्भर हों। हम प्रतिरक्षा उत्पादन में अधिकाधिक आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। केवल पुराने सैनिक कारखानों को ही आधुनिक नहीं बनाया गया अपितु नए कारखाने भी स्थापित किये गये हैं और उनकी उत्पादनक्षमता बढ़ायी जा रही है। प्रतिरक्षा क्षेत्र के एयरोनाटिक्स, इलेक्ट्रोनिक्स और अन्य सरकारी उपक्रमों का तेजी से विकास किया जा रहा है और उनको सर्वोपरि स्थिति में लाया जा रहा है। कच्चे माल की अपनी तत्काल मांग को, जिसे हम देश में तैयार नहीं कर सकते हैं, अबाध विदेशी

मुद्रा के साधनों से पूरा किया जा रहा है। लेकिन आगे चल कर हमारी सारी विज्ञान तथा विकास अनुसन्धान संस्थाएं देश में ही उत्पादन की नई तकनीकों में सुधार करके इस कमी को पूरा करने का प्रयास कर रही हैं।

यह सही है कि दूसरे देशों की तुलना में प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास कार्य पर हमारे यहां कम राशि खर्च की जा रही है। परन्तु इस बारे में तुलना हमेशा ठीक नहीं बैठती है क्योंकि हमारे अनुसन्धान तथा विकास संस्थान को केवल विशिष्ट कार्य ही सौंपे जाते हैं और उन्हें मूल गवेषणा नहीं करनी पड़ती।

विज्ञान विकास तथा अनुसंधान संगठन का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत है। इसका कार्य यहां तक ही सीमित नहीं है कि हमारी प्रतिरक्षा सेनाओं को आधुनिक एवं उत्तम हथियारों से लैस किया जाये, अपितु सैनिकों का मनोबल सुदृढ़ करने का दायित्व भी इसी संगठन का काम है। अतः विज्ञान का सहयोग प्रतिरक्षा के किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि सैनिकों के मनोबल को सशक्त बनाना, उन्हें उत्तम आहार आदि मुहिया करने में सहायता देना, युद्ध सम्बन्धी अनुसंधान करना तथा अन्य महत्वपूर्ण कर्तव्यों का पालन करना आदि सब कार्य इसके कार्यक्षेत्र में शामिल हैं।

इस संगठन द्वारा किये गए कार्य का मूल्यांकन हम इस पर खर्च की गई धन राशि से नहीं कर सकते। इस के कार्य का मूल्यांकन करने के लिये हमें इस द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हजारों परियोजनाओं पर ध्यान देना होगा। यदि हम इसके कार्य का मूल्यांकन इस पर खर्च की गई धनराशि से करते हैं, तो यह इस संगठन के कार्यों का कोई मापदण्ड नहीं है। इस संगठन के कार्य में धन के अभाव के कारण कभी रुकावट पैदा नहीं हुई है। रुपये के अभाव के कारण किसी परियोजना को स्थगित नहीं किया गया है। इस संगठन के कार्य के विस्तार में बाधा पड़ने का मूल कारण है–उपयुक्त अनुभवी व्यक्तियों की कमी। हमें बहुत से प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की आवश्यकता है। ज्यों ज्यों हमें वे प्राप्त होते जाते हैं, हम उन्हें प्रशिक्षण–कठोर प्रशिक्षण–जो कभी इस संगठन के अन्तर्गत तथा कभी इसके बाहर दिया जाता है–देकर तैयार करते रहते हैं। इन वैज्ञानिकों का एक संवर्ग तैयार हो जाने के बाद ये अधिक से अधिक कार्य करने में सफल होंगे।

{अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए}
{Mr. Speaker *in the Chair*}

अतः हमारा प्रयत्न यह है कि आगामी वर्षों में प्रक्षेपणास्त्र से लेकर इलैक्ट्रोनिकों तक सब सैनिक साज-सामान के उत्पादन को बढ़ाया जाये, ताकि हम इस मामले में पूर्ण रूप से आत्म निर्भर हो सकें।

कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ विशिष्ठ परियोजनाओं का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति संतोषजनक नहीं है। मैं समझता हूं

कि उनकी यह धारणा सही नहीं है । मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि हमारी प्रगति हर क्षेत्र में चाहे वह एच० एफ० 24 अथवा लीयेंडर फ्रिगेट का उत्पादन हो–चाहे इलैक्ट्रोनिक्स का बनाया जाना–अधिक तीव्र होनी चाहिये थी, परन्तु मैं माननीय सदस्यों के इस कथन से आश्चर्यचकित हूं कि इलैक्ट्रोनिक्स के उत्पादन में हमारी प्रगति संतोषजनक नहीं है । हम इलैक्ट्रोनिक्स को अधिक महत्व देते हैं । आगामी दस वर्षों में 1600 करोड़ रुपये के विकास कार्यक्रम में से लगभग 50 प्रतिशत प्रतिरक्षा आवश्यकतायें इलेक्ट्रोनिक्स सम्बन्धी होंगी । भाभा समिति के प्रतिवेदन में प्रतिरक्षा के लिये केवल इलैक्ट्रोनिक्स की आवश्यकतायें 760 करोड़ रुपये की रखी गई हैं । इसके अतिरिक्त उक्त प्रतिवेदन में आणविक ऊर्जा आयोग, संचार विभाग तथा विज्ञान संस्थानों की आवश्यकताओं का ब्यौरा दिया गया है । मनोरंजन तथा अन्य कार्यक्रमों की आवश्यकतायें बहुत कम दिखाई गई हैं । इलैक्ट्रोनिक्स के वैमानिक तथा राडार सम्बन्धी महत्व एवं हमारी युद्ध क्षमता को दृढ़ बनाने में इनकी आवश्यकता को देख कर हम इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते । मैंने उक्त प्रतिवेदन को पढ़ा है और उसमें काफी जानकारी दी गई है, अतः माननीय सदस्यों का यह कथन सही प्रतीत नहीं होता कि प्रतिवेदन में इलैक्ट्रोनिक्स का कोई उल्लेख नहीं है ।

मिग कारखाना समूह के अन्तर्गत हमने एक दूसरा कारखाना बनाया है, जिससे "मैच II" तथा "इन्टरसैपटर II" तेज विमानों की इलैक्टोनिक पुर्जों की आवश्यकतायें पूरी की जाती हैं । भारत इलैक्ट्रोनिक्स अपने संसाधनों से एक तीसरा कारखाना स्थापित करने जा रहा है, जो कि राडार की हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा । हम कुछ राडारों का विकास करने में सफल हुए हैं क्यों कि इस क्षेत्र में आर्थिक कारणों के साथ राजनीतिक कारणों के जुड़े होने के कारण विदेशी सहायता तथा तकनीकी जानकारी सरलता से उपलब्ध नहीं होती है । इन सब बातों के होते हुए प्रतिरक्षा के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं । भारत इलैक्ट्रोनिक्स उन बहुत कम कारखानों में से एक है जिन्होंने अवमूल्यन के पश्चात् मूल्य नहीं बढ़ाये हैं । यही नहीं उसने अपनी वस्तुओं के मूल्य बल्कि घटाये हैं । इसके अतिरिक्त भारत इलैक्ट्रोनिक्स अपने संसाधनों से एक तीसरा कारखाना खोलने वाला है । इन सब बातों से स्पष्ट हो जाता है कि इसने अपने कार्य संचालन में कितनी मितव्ययिता एवं दक्षता से काम किया है ।

विजयन्त टैंक के बारे में यह कहना सही नहीं है कि बिजली के भारी सामान के कारखाने में उत्पादन संतोषजनक नहीं हो रहा है । मैं मानता हूं कि उन पुर्जों की प्राप्ति में कुछ देरी हुई है, जिनका अभी तक आयात किया जाता है । परन्तु इस देरी से वास्तव में हमें कुछ लाभ हुआ है, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा मिली है, जिसके परिणामस्वरूप हम देश में कुछ निर्माण कर सके हैं । वास्तव में देसी पुर्जों का अनुपात परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित अनुपात की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रहा है ।

माननीय सदस्य ने आर्मामेंट प्लेट का जो उल्लेख किया था, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आर्मामेंट प्लेट का उत्पादन एक विदेशी फर्म के सहयोग से रूरकेला इस्पात

कारखाने में करना है । काफी लम्बी बातचीत के बाद संविदा पर हाल में हस्ताक्षर किये गये हैं और हमें आशा है कि उल्लिखित उत्पादन कार्यक्रम का पालन किया जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : देश में आर्मामेंट प्लेट का उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ।

श्री ब० रा० भगत : आशा है अगले वर्ष से आर्मामेंट प्लेट का उत्पादन देश में आरम्भ हो जायेगा । माननीय सदस्य ने यह भी कहा है कि अभितट सुरंग तोड़ उपकरणों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब हुआ है । जहां तक अभितट सुरंग तोड़ अभिकरणों का सम्बन्ध है, इसका आवरण (हॉल) एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनाया जाता है । इसे कुछ समय रखना होता है तथा तदुपरान्त इसको परिपक्व बनाना होता है । ठीक प्रकार की लकड़ी ढूंढने, पक्का करने और इसको विकसित करने में काफी परिश्रम करना पड़ता है । पहले सुरंग तोड़ उपकरण का हॉल बनाया जा चुका है, इसे फिट किया जा रहा है तथा आशा की जाती है कि लगभग छह महीने में इसे चालू कर दिया जायेगा । हालांकि पहले अभितट सुरंग तोड़ उपकरण के बनाने में काफी समय लगा है, तथापि मैं समझता हूँ, जैसा कि साधारणतया होता है, दूसरे सुरंग तोड़ उपकरण के बनाने में इससे आधा समय लगेगा और ज्यों ज्यों हम अन्य सुरंग तोड़ उपकरण बनाते जायेंगे, त्यों त्यों कम समय लगता जायेगा ।

यह कहा गया है कि मिग–21 कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में विलम्ब हुआ है । जैसा कि सभा को ज्ञात है हमने मिग–21 कार्यक्रम को चार चरणों में शुरू किया है । पहले चरण में बड़ी मशीनें जोड़ी जायेंगी । इसके बाद उससे छोटी मशीनें जोड़ी जायेंगी तथा इसके बाद और छोटी मशीनें जोड़ी जायेंगी और इसके बाद कच्चे माल का काम शुरू किया जायेगा । पहले चरण में हमें बड़े पुर्जे प्राप्त होते हैं तथा हम उनको जोड़ते हैं तथा उत्पादन कार्यक्रम क्रमवार चलता है । जब हम उनसे छोटी मशीनों के जोड़ने का काम आरम्भ करते हैं, तो काम की गति धीमी हो जाती है और हमें काफी ब्यौरेवार काम करना होता है । जब हम छोटी मदों पर काम करते हैं तो काम काफी धीमा पड़ जाता है, क्योंकि हम काफी कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, विशेष रूप से जब हम कच्चे माल वाले चरण में पहुंचते हैं । यह माल ज्यादातर हमें खुद तैयार करना होता है । यह सच है कि दूसरे चरण में कुछ देरी हुई है तथापि पुरा कार्यक्रम जारी रहेगा और मिग–21–हमारी वायुसेना के स्क्वेड्रन में शामिल होकर अपना योगदान देंगे ।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि बी० आर० डी० को अहमदनगर से बदल कर आवड़ी ले जाया जा रहा है । परन्तु वास्तविकता यह है कि कारखाने को नहीं बदला जा रहा है, अपितु अनुसंधान और विकास संस्था की एक विशेष शाखा को बदला जा रहा है, क्योंकि इस शाखा का मुख्य रूप से उपकरणों की कुछ मदों के विकास से सम्बन्ध है, जिसके लिये उत्पादन सम्बन्धी सुविधायें आवड़ी में विकसित की गई हैं । यह आश्वासन दिया गया है कि संस्थान के कर्मचारियों में कोई कमी की जायेगी । उन लोगों को भी विकल्पित रोजगार दिया जायेगा, जो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिनको भारत भर में कहीं पर भी लगाया जा सके ।

यह कहना कि फ्रिगेट के बनाने में देरी हुई है ठीक नहीं है। समझौते में उल्लिखित कार्यक्रम के अनुसार यह काम चल रहा है। यह स्मरण रखना चाहिये कि यह बहुत जटिल परियोजना है और इसके निर्माण में काफी समय लगा। यह फ्रिगेट काफी आधुनिक प्रकार का है और क्योंकि हम पहली बार इसे बना रहे हैं, इसलिये इसके बनाने में जो समय लगा है उसे "अत्यधिक विलम्ब" नहीं कहा जा सकता। इसकी फिटिंग इत्यादि के निर्माण में कुछ और समय लगेगा तथा अन्त में 1971 तक इसे चालू किया जायेगा।

हम आयात प्रतिस्थापन के लिये और प्रतिरक्षा के उत्पादन को अधिक व्यापक आधार पर लाने के लिये काफी प्रयत्न कर रहे हैं और प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रम में स्थानीय उत्पादन आधार को भी लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता की भावना सभी पदों पर काम करने वाले लोगों में फैली हुई है। प्रत्येक व्यक्ति यह महसूस कर रहा है कि यदि हमें आधुनिक युग में, खासकर जब हमारी सीमाओं पर खतरे की स्थिति है, जीवित रहना है, तो हमें स्वावलम्बी बनना होगा और इसी भावना से प्रतिरक्षा उत्पादन कार्यक्रम चालू किया गया है।

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

अन्त में मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि उनकी आलोचना पर गौर किया जायेगा तथा कार्यसंचालन में सुधार करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जायेगा।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल-भारतीय) : प्रतिरक्षा मंत्रालय के प्रतिवेदन उद्देश्यहीन तथा खतरनाक और गोपनीय सा मालूम होता है। इस रिपोर्ट में कोई ऐसी जानकारी नहीं दी गई है, जिसे सार्थक कहा जा सके। मुझे जो कुछ जानकारी प्राप्त हुई है वह अमरीकी समाचार पत्रिकाओं तथा ब्रिटिश इन्सीट्यूट आफ स्टडीज़ से मिलती है। इसका परिणाम यह होता है कि इस सभा के सदस्य प्रतिरक्षा कार्यक्रमों तथा प्रतिरक्षा नीतियों से बिल्कुल अनभिज्ञ रहते हैं। यदि सदस्यों को जानकारी ही नहीं दी जाती, तो इस चर्चा का कोई अर्थ ही नहीं है। यह तो सभा का समय बर्बाद करना है। पूरी जानकारी मिलने पर ही हम कोई सार्थक योगदान दे सकते हैं। यह सभा का ही तिरस्कार नहीं है, अपितु इस से भी बुरी बात यह है कि यह देश के लिये खतरनाक है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि हम 45 स्क्वैड्रन की एक संतुलित वायु सेना बनाने का प्रयास कर रहे हैं परन्तु हमें यह नहीं बताया गया है कि इस समय हमारी वायु सेना में कितने स्क्वैड्रन हैं तथा कितने नये स्क्वैड्रन बनाये जा रहे हैं। अतः यह जानकारी अधूरी है और इससे कोई उपयोगी अर्थ सिद्ध नहीं होता। मेरा विचार यह है कि हम अपने वायु सेना सम्बन्धी कार्यक्रम में पिछड़ गये हैं। मिग विमानों का जोड़ने का काम अनुसूचित कार्यक्रम से पीछे पड़ गया है। कोरापट इंजन फक्ट्री को उड़ीसा सरकार को सौंप दिया गया है और उड़ीसा सरकार अपना वायदा पूरी नहीं कर सकी है तथा इस के परिणामस्वरूप हम मिगो की तैयार करके पहुंचाने का काम आशानुसार

नहीं कर सके हैं । इस रिपोर्ट में इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि हमारे पास लड़ाकू बमवर्षक विमानों, बमवर्षक विमानों तथा परिवहन विमानों के कितने स्क्वैड्रन हैं। एच० एफ०–24 को तैयार करने के लिए 7 से 8 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी परन्तु हम माक–II संचालन व्यवस्था सहित यह इंजन अभी तक तैयार नहीं कर सके हैं। इस बारे में हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय निश्चयात्मक स्पष्टीकरण दें। इस इंजन के सम्बन्ध में संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सहयोग व्यवस्था में शामिल होना हमारे लिये हानिकारक है । लड़ाकू बमवर्षक विमानों का अभाव भी हमारी एक कमजोरी है । हम यह नहीं जानते कि बमवर्षकों के विकास का कोई कार्यक्रम बनाया भी गया है अथवा नहीं । हमारे पास जो कैनबरा विमान है, वे कम से कम 12 अथवा 13 वर्ष पुराने हैं और वे अब बेकार हो गये हैं ।

हमारे देश के बारे में जो जानकारी नहीं दी गई है, उसकी पूर्ति तो हम ब्रिटिश अथवा अमरीकी समाचार पत्रिकाओं को पढ़ने के बाद कर सकते हैं, परन्तु हमें पाकिस्तान के बारे में भी कुछ सूचना दी जानी चाहिये थी । हमारा विचार है कि पाकिस्तान वायुसेना की शक्ति की दृष्टि से अब वर्ष 1965 की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हो गया है और वह लगातार अपनी वायुसेना की शक्ति को हमारे से अधिक बढ़ा रहा है । जहां तक वायुसेना सम्बन्धी सहायता का सम्बन्ध है, ऐसा समझा जाता है कि पाकिस्तान को पर्याप्त मात्रा में सहायता प्राप्त हो रही है । हमने यह समाचार पढ़ा है कि पाकिस्तान को पश्चिम जर्मनी से 100 मिग तथा 90 एफ 86 विमान प्राप्त हुए हैं और ईरान से भी 50 विमान प्राप्त हुए हैं । ऐसा विचार किया जाता है कि चीन ने पाकिस्तान को काफी संख्या में विमान दिये हैं । अतः पाकिस्तान की शक्ति बढ़ रही है । गत भारत-पाक संघर्ष में राडार-संरक्षण का अभाव हमारी एक कमजोरी रही है । इस दृष्टि से भी पाकिस्तान हम से आगे है । हम यह नहीं जानते कि वर्तमान स्थिति क्या है ।

जहां तक पाकिस्तान की थलसेना का सम्बन्ध है, मुझे याद है मैंने एक समाचार पढ़ा था जिसमें लिखा था कि वर्ष 1965 में पाकिस्तान ने निश्चय किया था कि वह अपने सेना में कम से कम 5 डिविज़न और बढ़ायेगा । पाकिस्तान से व्यक्तिशः मुकाबला करने के लिये भी हमारी सेना कम में कम दुगुनी होनी चाहिये, क्योंकि हमारी कम से कम आधी सेना तो चीन के साथ लगने वाली हमारी सीमाओं पर तैनात रहती है । मैंने यह भी समाचार पढ़ा है कि पाकिस्तान के दो डिविजनों को चीन ने हथियारों से लैस किया है और यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि चीन ने पूर्वी पाकिस्तान में दो आयुध कारखाने स्थापित किये हैं । भारत–पाक संघर्ष के समय पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में बहुत कम सेना तैनात की थी, परन्तु अमरीका की एक समाचार पत्रिका में प्रकाशित समाचार के अनुसार अब उसने पूर्वी पाकिस्तान में सेना की कम से कम चार डिविज़न तैनात कर दिये हैं। यह भी समाचार मिला है कि चीन पाकिस्तान को 200 अथवा 250 टैंक देगा । इन सब बातों के बारे में हमें सूचना दी जानी चाहिये ।

हमारे जवान विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं । उचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता । वे रेजीमेंट अनुशासन में रहते हैं तथा अपने पदाधिकारियों के पूर्ण

वफादार हैं। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि उन के रहने की व्यवस्था ठीक हो। परन्तु मैं समझता हूं कि हमारे लिये यह दुर्भाग्य की बात है कि बात पदाधिकारी संवर्ग में हमें भारत सर्वश्रेष्ठ युवक प्राप्त नहीं हो रहे हैं। स्थिति गम्भीर है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिये। हमारे सर्वोत्तम श्रेणी के युवक सैनिक सेवा की अपेक्षा असैनिक सेवा को अधिक पसन्द करते हैं। मैं समझता हूं इसका कारण यह है कि हम उन्हें उचित सुविधायें नहीं देते हैं। पदाधिकारी संवर्ग को विकसित देश विशेष सुविधायें और फिर से रोजगार प्रदान करने का अवसर देते हैं। आयु की सीमा नियत होने के कारण हमारे युवक अधिकारियों को ऐसे समय सेवा से बाहर कर दिया जाता है, जब कि परिवार के प्रति उनके दायित्व सबसे अधिक होते हैं। हम उनका असैनिक सेवाओं में नहीं लेते, जहां वे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। मंत्री महोदय को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिये।

पुराने अस्त्रों के आधार पर सेना का निर्माण कर सुरक्षा प्राप्त की जा सकती है; इस बात को सिद्ध करने के लिये यह पूरी रिर्पोट तैयार की गई है। 1962 में हमारा देश घटनाओं के कुचक्र में फंस गया था और इसको नीचा देखना पड़ा था। इसी प्रकार हम परमाणु क्षेत्र में भी घटनाओं के अधीन हैं। हम चाहे जो कुछ दावा करें पर हम परमाणु तकनीकी में चीन से बहुत पीछे हैं। हमने अणु बम बहुत पहले बना लिया होता, परन्तु हमने ऐसा न करने का निर्णय कर रखा है। ब्रिटिश युद्ध कौशल अध्ययन संस्था के निदेशक ने यह कहा था कि भारत 15 से 20 किलोटन के बन 24 करोड़ रुपये की नगन्य लागत से बना सकता है। परन्तु हम रूस और अमरीका के बढ़ते हुए दबाव के नीचे हैं। हम इस कार्य को न करने देने के दोनों के अपने उद्देश्य हैं। इसी बीच हम दार्शनिक नकारात्मक नारों के कारण पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गये हैं। चीन ने पहले ही पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के विकास के लिये पहले ही प्रस्ताव रखा है। इसराईल भी इस बारे में सक्रिय है और वह चुप नहीं बैठा है। परन्तु हम इस भ्रम में बैठे है कि परमाणु सम्बन्धी हमारी नीति के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सराहना की जा रही है। सचाई तो यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय चेत्र में हमारा कोई सम्मान नहीं है।

हमारा गुप्तचर विभाग अविकसित और अव्यवस्थित तथा पुराने ढगं का है। वर्ष 1962 में हम पर अचानक ही हमला कर दिया गया। हम चीन की गतिविधियों, उस के प्रशिक्षणों और उपकरणों से अनभिज्ञ हैं। कच्छ में बनाई जाने वाली सड़कों और पाकिस्तान के भारी सैनिक विकास के सम्बन्ध में हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी। 1965 में हम जब इच्छोगिल नहर तक पहुंच गये थे, तब ही हमें पता लगा कि पाकिस्तान में मैंगनेट लाइने, पिल बौक्सिज़ और सब प्रकार की रक्षा व्यवस्था की हुई है। इसके परिणाम स्वरुप बहुत सी अमूल्य जानें गई है। हमारी एकीकृत गुप्तचर सेवा होनी चाहिये। उसमें अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

हड़तालों और श्रमिक आन्दोलनों के बारे में

** RE : STRIKES AND LABOUR AGITATION

श्री प्र० कु गोपालन : (कप्सरगोड) मैं हड़तालों तथा श्रमिकों के आन्दोलनों से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या 46 के उत्तर से उत्पन्न हुए प्रश्नों पर आधे घण्टे की चर्चा उठाना चाहता हूं।

आज देश की औद्योगिक स्थिति बहुत खराब है। आर्थिक संकट दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। दिन प्रति दिन कारखानों के बन्द होने की घटनाओं जबरी छुट्टी, बढ़ रही हड़तालों तथा श्रमिक वर्ग की अन्य कार्यवाइयों से यह स्पष्ट आभास मिलता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है। इन सभी करणों के परिणामस्वरूप श्रमिक आन्दोलन प्रचण्ड रूप धारण कर रहे हैं।

आज ही बताया गया है कि झरिया कोयला खानों की 450 खानों में एक लाख 25 हजार से अधिक कोयला खान मजदूरों ने कोयला मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की क्रियान्विति की मांग के समर्थन में तथा कोयला खान क्षेत्र को संविहित रुप से राशन की व्यवस्था करने की मांग के समर्थन में आज प्रातः काल से 24 घण्टे की हड़ताल कर दी है और अपनी मांगों को मनवाने के लिये 17 जुलाई से अनिश्चित काल तक हड़ताल करने का नोटिस दिया है। श्रमिकों ने कई वर्षों तक प्रतीक्षा की है और अब वे शांत रहने में असमर्थ है, क्योंकि रोटी छीनी जा रही है।

कांग्रेस सरकार ज्वालामुखी के मुंह पर बैठी हुई है। वे घेराव को नहीं समझती है जिस की चर्चा संसद में तथा इसके बाहर प्रतिदिन की जा रही है। घेराव की कमिया ढूंढने की बजाय उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिये कि घेराव का सहारा कैसे और क्यों लिया जाता है। जब तक हम इसके मूल भूत कारणों को नहीं समझते और इन हड़तालों तथा अन्य आन्दोलनों के कारण दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं करते तब तक उनकी त्रुटियां ढूंढना व्यर्थ है।

श्रमिकों की हड़ताल से कोई खुशी नहीं होती। हड़ताल का अर्थ है कठिनाई। फिर भी श्रमिक हड़ताल करते हैं, और त्याग करते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ मूलभूत अधिकार नहीं दिये जाते और श्रमिक इन अधिकारों को प्राप्त करना चाहते हैं।

1½ वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत हो चुका है परन्तु इंजीनियरी मजूरी बोर्ड की अन्तरिम सहायता सिफारिशों को काफी मालिकों ने अभी तक क्रियान्वित नहीं किया है।

मैं कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं कि पंचाट कई वर्षों के बाद दिये गये परन्तु उन्हें क्रियान्वित नहीं किया गया। भारी रसायनों के लिए मजूरी बोर्ड ने जनवरी, 1967 में एक आन्तरिक प्रतिवेदन दिया था परन्तु सरकार ने उसे स्वीकार करने में तीन मास लगा दिये। उसके बाद भी तीन चार मास बीत गये हैं और नियोजकों ने उसे क्रियान्वित करने से इन्कार कर दिया है। बैनेट कालमैन के प्रबन्धकों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशें क्रियान्वित करने से

* आधे घन्टे की चर्चा

** Half an hour Discussion.

इन्कार कर दिया है। झांसी में उत्तर प्रदेश के विद्युत के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के लिए हड़ताल की सूचना दी है।

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा छंटनी किये जाने की सम्भावना है। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के 2,000 श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। विदेशी तेल समवायों ने 1000 कर्मचारियों को निकाल दिया है। दक्षिण में बहुत सी वस्त्र मिलें बन्द पड़ी हैं।

सूत का मूल्य अधिक होने और काम न होने के कारण 60 प्रतिशत मिलें बन्द पड़ी है। माल गाड़ी के डिब्बे बनाने के उद्योग में 14000 मजदूरों को छंटनी का खतरा हैं। इस सीजन में गन्ने की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में 40,000 मजदूरों को पर्याप्त काम नहीं मिल सका है। 23,000 इन्जीयियर तथा डिप्लोमा-होल्डर बेकार पड़े हैं।

स्वचालित मशीनें लगाने से और भर्ती नहीं होगी। जीवन बीमा निगम में लगभग 60,000 व्यक्ति बेकार हो जायेंगे, वे ऐसा नहीं करने देंगे और घेराव होंगे। घेराव शांतिपूर्ण धरने के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं और इसका प्रभाव शीघ्र होता है।

वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद श्रमिकों को उच्च-न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय से पंचाट मिलता है। जब उनको क्रियान्वित नहीं किया जाता और जब 20 अथवा 25 वर्ष तक काम करने के बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उन्हें जीवित रहने के लिए घेराव करने पर बाध्य हो जाना पड़ता है। ऐसे पंचाट तुरन्त क्रियान्वित किये जाने चाहिये।

सरकारी क्षेत्र में भी दुर्गापुर इस्पात कारखाने में एक वर्ष श्रमिकों ने शांतिपूर्वक एक ज्ञापन प्रस्तुत किया परन्तु प्रबन्धकों ने पुलिस को बुलाकर उन पर लाठी चार्ज करवाया और एक व्यक्ति मारा गया। लोगों में असन्तोष के कारण घेराव किया जाता है। घेराव के लिए कोई आदेश नहीं देता। यदि सरकार इसे नहीं समझेगी तो वे और भड़क उठेंगे और मालूम नहीं कि वे सरकार के साथ क्या व्यवहार करें।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The five basic reasons of discontentment amongst the labourers pertain to recognition of the unions, bonafide attempt for reconciliation, voluntary arbitration where talks fail, honest implementation of awards and the fundamental right of labourers to resort to strike. May I know whether Government have undertaken any steps to have a conceret policy with regard to any of these items. The Government should assure the recognition of labour unions in accordance with International Labour Organisation conventions.

India is a member of International Labour Organisation, yet I. L. O. convention 87 and 98 have not been adopted. I would like to know whether Government will announce a definiate policy in that connection.

देवकी नन्दन पाटोदिया (जालौर) : माननीय मंत्री ने 19 जून को एक अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर में यह स्वीकार किया था कि एक संयुक्त समाजवादी नेता, श्री बी० पी० झा

की हत्या की गई थी। राज्य सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही नहीं की है और एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है।

पश्चिमी बंगाल राज्य में जहां प्रबन्धक तथा तकनीकी कर्मचारियों का अवैध रूप से घेराव किया गया है, अन्य सैकड़ों घटनायें हुई हैं। सरकार पश्चिमी बंगाल के नागरिकों के पर्याप्त तथा उचित संरक्षण के लिए क्या व्यवस्था कर रही है।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar): It often happens that the industrialists do not implement the awards. They take matter to High Court and Supreme Court. The Government should give statistics regarding the number of ghraos due to non-implementation of industrial awards and the number of gheraos of flimsy grounds.

The concilliation machinery is very costly and the matters are also prolonged, but I am not in favour of gheraos as a labour problems. The Government should find out a way to implement the awards soon.

The Wage Board for textile industry was constituted five years ago but its report has not so far been received. An interim report should be given. I would like to know the reasons for delay in this connection.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या यह ठीक है कि गैर-कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बनने पर नियोजकों ने श्रमिकों के संगठनों के साथ सहयोग करना बन्द कर दिया है और उसी कारण घेराव हो रहे हैं।

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The demands of the workers should be met. They cannot. be now put off on false promises. If their demands are not met, there will be a bloody revolution in the country.

The cases of Gheroas have mostly taken place in such State whether non-Coungress Governments are functioning at present. The Governments of those States are not meeting the demands of labourers. The Central Government should intervene and help the labourers in their demands. If the State Governments fail to do so, may I know the action proposed to be taken by the Minister against such State Governments.

श्री नायनार (पालघाट) : घेराव केवल पश्चिमी बंगाल में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार में भी हुए हैं। पच्चीस वर्ष पूर्व कार्मिक संघ बनाना भी घेराव से कम नहीं समझा जाता था और इसी कारण मुझे गिरफ्तार किया गया था। मंत्री महोदय को इस मामले में मैत्रीपूर्ण रवैया अपनाना चाहिए। उन्हें घेराव के प्रति नया रुख अपनाना चाहिये। कारखानों के मालिकों को इस बात की प्रेरणा दी जानी चाहिए कि वे कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें और उन्हें पूरा करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : श्री पाटोदिया ने कहा है कि घेराव के 85 प्रतिशत मामलों का वास्तविक श्रम विवादों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं। घेराव केवल पंचाट क्रियान्वित न रहने के मामलों तक ही सीमित नहीं, यह छंटनी, जबरी छुट्टी, तालाबन्दी और अधिकारों को मान्यता न देने के मामलों से सम्बन्धित हो सकता है। क्या सरकार के पास ऐसा कोई

सुझाव है जिसके द्वारा श्रम विवादों को शीघ्र निपटाया जा सके और वह कर्मचारियों के लिए भी सुविधाजनक हो ताकि उन्हें कई मास तथा विवादों में न पड़ना पड़े ।

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : मैं इस बात के लिए पूर्णतया सहमत हूं कि श्रम नीति तथा श्रम की स्थिति पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता । इस पर देश की आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है और उसके साथ ही कम कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन में मंदी का भी उस पर प्रभाव पड़ता है । कर्मचारियों को सबसे बड़ी चिन्ता बढ़ते हुए मूल्यों, नौकरी की सुरक्षा, समय पर मजूरी मिलने और उनकी शिकायतें दूर करने की होती है ।

जब कर्मचारियों के चारों ओर असमानता होती है, उनको उचित मजूरी नहीं मिलती और अपनी शिकायतें दूर कराने के लिए वर्षों प्रतीक्षा करनी पड़ती है तो वे निराश हो जाते हैं । इस निराशा में वे ऐसा काम करते हैं जो कि वे नहीं करना चाहते हैं । औद्योगिक शान्ति चाहने वाले लोग श्रमिकों को संयत करने की सलाह देने की आवश्यकता बतलाते हैं, तभी हमें श्रमिकों तथा नियोजकों पर अपना प्रभाव डालना होता है ।

पश्चिमी बंगाल की अशांति के बारे में सूचना प्राप्त होने पर मैं स्वयं कलकत्ते गया तथा कर्मचारियों, मालिकों तथा वहां के श्रम मंत्री से विचार-विमर्श किया । मैंने तीन सुझाव दिये । पहला यह है कि कर्मचारियों तथा मालिकों के बीच दमनकारी कार्यवाही समाप्त की जाये । दूसरे, मालिकों को एकतरफा छंटनी का आश्रय नहीं लेना चाहिये । तीसरे, उन सभी विवादों को जिनमें अधिक वित्तीय उलझनें नहीं हैं ऐच्छिक मध्यस्थ निर्णय के लिए सौंपा जाना चाहिये ।

श्रम का विषय समवर्ती विषय है । राज्य के अधीन आने वाले क्षेत्रों के बारे में नीति को क्रियान्वित करने का काम राज्य सरकारों पर ही निर्भर करता है । मजूरी बोर्डों की सिफारिशों पर उचित रूप से विचार करने से हमारी बहुत सी कठिनाइयां दूर हो सकती हैं । उसी उद्देश्य से मैंने राज्य सरकारों को इस विषय के विभिन्न पहलुओं से विचार करने के लिए कहा है । श्रम मंत्रियों को कार्यान्वयन समिति की सभाओं की अध्यक्षता करनी चाहिए जैसा कि जनवरी, 1960 में हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में सिफारिश की गई थी । इन समितियों की बैठकें होती रहनी चाहिये । प्रत्येक राज्य में पूरे समय तक काम करने वाला एक ऐसा वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए जिसे श्रम विधियों, अनुशासन संहिता, पंच निर्णय, समझौते आदि का काम सौंपा जाये ।

केन्द्रीय व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में असफल नहीं रही है । केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध व्यवस्था द्वारा सुलझाये गए विवादों की प्रतिशतता पिछले कुछ वर्षों से कम नहीं है । विवाद सुलझाने में लम्बा समय लगता है । मैं कार्यान्वयन व्यवस्था को गतिशील बनाने के मामले पर विचार कर रहा हूँ ।

मजूरी बोर्ड कोई सांविधिक निकाय नहीं है और मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के बारे में कोई सांविधिक उपबन्ध नहीं है । मालिकों समझा बुझा कर ही उन्हें

सिफारिशें क्रियान्वित करने के लिए मनाया जा सकता है। मजूरी बोर्ड को सांविधिक बनाने का प्रश्न विचाराधीन है। न्यायाधिकरणों में विलम्ब के बारे में जांच हो रही है। मजूरी भुगतान के सम्बन्ध में निरीक्षकों को कुछ अधिकार देने के प्रश्न की भी जांच की जा रही है।

यदि मालिक मध्यस्थ निर्णय से सहमत हो जाते हैं, तो उसे क्रियान्वित करना ही पड़ेगा। अन्य समझौते का भी पालन किया जाना चाहिये। मैं मालिकों के संगठन को इस सम्बन्ध में लिख चुका हूँ। औद्योगिक शान्ति चाहने वाले लोगों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि मजूरों की उचित मांग पूरी हो। इसके साथ ही लड़ाई झगड़े के वातावरण पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये और उन्हें समाप्त किया जाना चाहिये।

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार 28 जून, 1967/7 आषाढ़, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Loke-Sabba then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, June 28, 1967/ Asadha 7, 1889 (Saka).